खण्ड-438, अंक-2
बुधवार, 19 वैशाख, शक संवत् 1923
(9 मई, 2001 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2001)

खण्ड 438 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2001

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ग
प्रदेश में 6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या फैजाबाद में घटित घटना के सम्बन्ध में सरकार द्वारा संशोधित अधिसूचना जारी न किये जाने विषयक नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम लिए जाने की मांग	1–2
प्रश्नोत्तर.	3–74
नियम- 301 के अन्तर्गत सूचनाएं.	74–75
मेरठ नगर निगम में मानक के अनुरूप सफाई कर्मचारी भर्ती न करने के कारण ध्वस्त सफाई व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना. .	75
प्रदेश में मुस्लिम जाटों को अन्य पिछड़े वर्ग की भाँति आरक्षण सुविधा का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना.	76
जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सम्पर्क मार्गों के अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना.	76
माननीय सदस्यों को आवास/वाहन अग्रिम, विधायक निधि तथा लैपटाप देने विषयक औचित्य का प्रश्न.	76
प्रश्न काल न चलने देने के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्नों पर श्री अध्यक्ष का निर्णय . . .	76–83
नियम- 311 की नियम- 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	83–102
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा	102 112
नियम- 51 के अन्तर्गत सूचनाएं.	112–113
उत्तर प्रदेश के अन्य सीमावर्ती राज्यों से परिवहन के पारस्परिक समझौतों का अब तक पुनरीक्षण न किये जाने से जनता को हो रही असुविधाओं तथा राजस्व की क्षति के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा दिनांक 01 मई,2001 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवहन मंत्री का वक्तव्य----(जारी)	113
प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्नातक वेतनमान में शिक्षकों का स्थानान्तरण सम्बन्धित विषय के रिक्त स्थानों में न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री उदय राज यादव द्वारा दिनांक 01 मई 2001 को नियम- 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री का वक्तव्य.	114
उत्तर प्रदेश के अन्य सीमावर्ती राज्यों से परिवहन पारस्परिक समझौतों का अब तक पुनरीक्षण न किये जाने से जनता को हो रही असुविधाओं तथा राजस्व की क्षति के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा दिनांक 01 मई, 2001 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवहन मंत्री का वक्तव्य.	114–115

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) में ज्ञानपुर क्षेत्रान्तर्गत सीतामढ़ी में गंगा नदी पर पीपे के पुल के निमार्ण के सम्बन्ध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा दिनांक 01 मई, 2001 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का वक्तव्य	115–116
उत्तरॉचल में कार्यरत उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की वापसी के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दिनांक 01 मई, 2001 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री का वक्तव्य.	116–117
प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग की उदासीनता के कारण राजकीय शिक्षकों की न्यायोचित मांगों को शीघ्र पूरा न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा दिनांक 01 मई, 2001 को नियम- 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री का वक्तव्य.	117–119
आगरा में ताजमहल को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु ताजमहल के निकटवर्ती ग्रामों के निवासियों के वाहनों का चलना बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रघुवर दयाल वर्मा द्वारा दिनांक 1मई, 2001 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का वक्तव्य.	119–121
कृषि उत्पादन मण्डी समिति मथुरा में सचिव एवं व्यापारियों की सांठ-गांठ से किसानों का शोषण किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा दिनांक 01 मई, 2001 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित कृषि मंत्री के वक्तव्य का स्थगन.	121
सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र में पूर्णकालिक निदेशक का पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा दिनांक 1 मई, 2001 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सूचना, प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रानिक्स मंत्री का वक्तव्य.	121
राजकीय बालिका इण्टर कालेज कुर्की बाजार अकबरपुर अम्बेडकर नगर के भवन निर्माण के सम्बन्ध में श्री राम अचल राजभर द्वारा दिनांक, 1 मई 2001 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य.	122
जनपद गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोयडा में गोल्फ कोर्स का हस्तान्तरण जे0पी0 ग्रुप को किये जाने के फलस्वरूप कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा दिनांक 1 मई 2001 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर श्रम राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य.	122–123
नत्थियाँ.	124–131

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

बुधवार, दिनांक 9 मई, 2001 ई0

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे।

1- अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री — गोण्डा
2- अजय राय, श्री — वाराणसी
3- अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
4- अनिल कुमार, श्री — बलिया
5- अनीस खां, श्री — पीलीभीत
6- अब्दुल कलाम, श्री — बस्ती
7- अब्दुल कलाम, श्री — वाराणसी
8- अब्दुल खालिक, श्री — अलीगढ़
9- अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
10- अरविन्द कुमार जैन, श्री — ललितपुर
11- अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
12- इन्द्रदेव सिंह, डा0 — बिजनौर
13- उर्मिला देवी, श्रीमती — मैनपुरी
14- उबैदुर्रहमान, श्री — गोण्डा
15- ओइम्वेश, स्वामी — बिजनौर
16- कल्याण सिंह, श्री — अलीगढ़
17- काजिम अली खां, उर्फ नवेद मियां, श्री — रामपुर
18- काशीनाथ , श्री — सुल्तानपुर
19- काशी राम , श्री — रामपुर
20- केशो मेहरा, श्री — आगरा
21- कोविद कुमार, श्री — शाहजहांपुर
22- गणेश राजभर, श्री — गाजीपुर
23- गुलाब देवी, श्रीमती — मुरादाबाद
24- चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री — झांसी
25- चन्द्रेश पासवान, श्री — गोरखपुर
26- चौधरी नरेन्द्र सिंह, श्री — कानपुर देहात
27- चौधरी लक्ष्मी नारायण, श्री — मथुरा
28- छब्बू पटेल, श्री — वाराणसी
29- छोटे लाल गंगवार, मास्टर — बरेली
30- छोटे लाल राजभर, श्री — बलिया
31-जगत सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
32- जगदम्बिका पाल, श्री — बस्ती
33- जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री — फरुखाबाद
34- जयनारायन तिवारी, श्री — सुल्तानपुर
35- जयपाल सिंह, श्री — मेरठ
36- जयप्रकाश निषाद, श्री — देवरियां
37- जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया — गोरखपुर
38- ज्ञानवती सिंह, डा0 — अलीगढ
39- ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री — महराजगंज
40- दयाशंकर, श्री — जालौन
41- दल बहादुंर कोरी, श्री — रायबरेली
42- दिवाकर विक्रम सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
43- देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री — कानपुर देहात
44- धनराज यादव, श्री — सिद्धार्थनगर
45- धर्मज्ञ मिश्र,डा0 — हरदोई
46- नन्द राम, श्री — बरेली
47- नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
48- पूरन सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर

49प्रदीप कुमार, श्री — सहारनपुर
50- प्रदीप कुमार यादव, श्री — इटावा
51- प्रेम प्रकाश सिंह, श्री — देवरिया
52- प्रेम स्वरूप पाठक, श्री — बदायूँ
53- बंशनारायन सिंह, श्री — भदोही
54- बच्चा पाठक, श्री — बलिया
55- बादशाह सिंह, श्री — हमीरपुर
56- बाबू खाँ, श्री — हरदोई
57- बालेश्वर त्यागी, श्री — गाजियाबाद
58- बी0आर0 वर्मा, श्री — जौनपुर
59- बी0के0 गुप्ता, श्री — पीलीभीत
60- भरत सिंह, श्री — बलिया
61- मंजू, श्रीमती — बलिया
62- मलखांन सिंह, श्री — अलीगढ़
63- महेन्द्र नाथ पाण्डेय,डा0 — वाराणसी
64- महेन्द्र सिंह यादव, श्री — बुलन्दशहर
65- मानिक चन्द्र यादव, श्री — मैनपुरी
66- मारकण्डेय चन्द, श्री — गोरखपुर
67- मुराद लारी , श्री — देवरिया
68- मुस्ताक सोलंकी, श्री — कानपुर नगर
69- रंगनाथ मिश्र, श्री — भदोही
70- रघुराज प्रताप सिंह, "राजा भइया" कुंवर — प्रतापगढ़
71- रज्जन पाल सिंह, श्री — एटा
72- रणधीर सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
73- रतनजीत प्रताप नारायण सिंह कुंवर — पडरौना
74- रमापति शास्त्री; श्री — गोण्डा
75- रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
76- राकेश त्यागी, श्री — बुलन्दशहर
77- राघव, श्री — सहारनपुर
78- राजनाथ सिंह, श्री — बाराबंकी
79- राजपाल सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
80- राजा गजनफर अली खां, श्री — बिजनौर
81- राजा राम पाण्डेय, श्री — प्रतापगढ़
82- राजीव कुमार सिंह, श्री — बाराबंकी
83- राजेश अग्रवाल, श्री — बरेली
84- राधेश्याम, श्री — कानपुर देहात
85- रामआसरे पासवान, श्री — बस्ती
86- राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा0 — कानपुरनगर
87- राम औतार शाक्य, श्री — मैनपुरी
88- राम खिलाड़ी, श्री — बदायूँ
89- रामचन्द्र यादव, श्री — फैजाबाद
90- रामनरेश रावत, श्री — गाजियाबांद
91- रामनाथ, श्री — प्रतापगढ़
92- रामपाल राजवंशी, श्री — सीतापुर
93- रामप्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
94- राम रतन यादव, श्री — सुल्तानपुर
95- राम लखन , श्री — सुल्तानपुर
96- राम ललित चौधरी, श्री — बस्ती
97- राम विशुन आजाद, श्री — गोण्डा
98- रामवीर उपाध्याय, श्री — अलीगढ़
99- रामेश्वर दयाल बाल्मीकी, श्री — मैनपुरी
100-रामेश्वर सिंह यादव, श्री — एटा
101-लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
102-लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
103-लालजी वर्मा, श्री — अम्बेदकरनगर
104-लालमणि प्रसाद, श्री — बस्ती
105-विक्रमाजीत मौर्य, श्री — इलाहाबाद

106-विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
107-विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
108-विनोद कुमार सिंह, उर्फ पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
109-वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
110-वीरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
111-विवेक कुमार सिंह, श्री	बाँदा
112-वेद प्रकाश, श्री	बस्ती
113-शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
114-शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
115-शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
116-शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
117-शिव पूजन राम, श्री	वाराणसी
118-श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
119-श्रीराम पाल, श्री	जालौन
120-श्रीराम यादव, श्री	जौनपुर
121-सतीश जतारिया, श्री	झांसी
122-सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
123-समर पाल सिंह, श्री	मेरठ
124-सरजीत सिंह डंग, डा0	मिर्जापुर
125-सरदार सिंह, श्री	मथुरा
126-सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार कुंवर	मुरादाबाद
127-सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
128-सुधाकर सिंह, श्री	मऊ
129-सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री	देवरिया
130-सुमन लता सिंह, श्रीमती	बरेली
131-सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
132-सुशीला अग्रवाल, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
133-हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
134-हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
135-होराम सिंह, श्री	बुलन्दशहर

तत्र दुर्लभ

बुधवार, दिनांक 9 मई, 2001 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

प्रदेश में 6 दिसम्बर,1992 को अयोध्या, फैजाबाद में घटित घटना के सम्बन्ध में सरकार द्वारा संशोधित अधिसूचना जारी न किये जाने विषयक नियम-311 की सर्वप्रथम सूचना को लिए जाने की मांग

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, अयोध्या के मामले पर सरकार उदासीन रवैया अपना रही है। राज्य सरकार अधिसूचना जारी नहीं कर रही है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, अयोध्या में बाबरी मस्जिद के मामले पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दुलमुल रवैया अपना रही है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

(श्री अखिलेश कुमार सिंह, श्री आर0के0चौधरी, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री इलम सिंह, श्री मुख्तार अंसारी व अन्य अनेक माननीय सदस्य सदन के वेल में आ गये)

श्री अध्यक्ष-

देखिये, इस विषय पर मेरे पास तीन सूचनाएं आई हुई हैं, दो नियम- 311 में और एक सूचना नियम- 56 में आई है। 311 की दोनों सूचनाओं को नियम- 56 में परिवर्तित कर दिया है। आज जिस प्रकार की उपस्थिति है उसको देखते हुए बहुत जल्दी ही सूचनाएं ली जायेंगी। मेरा अनुरोध है कि प्रश्नकाल चलने दें, नियम- 56 की मात्र 4 सूचनाएं है यह सूचना आपकी जल्दी आ जायेगी, मेरा अनुरोध है कि अपना आसन ग्रहण करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इससे जघन्य अपराध और कोई नहीं होगा, जिस नोटीफिकेशन की जरूरत है, राज्य सरकार जारी नहीं कर रही है।

श्री अध्यक्ष-

दो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, एक-दूसरे की आवाज वह स्वयं नहीं समझ पा रहे हैं।

एक सदस्य-

(सदन के वेल से) यह सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है भाजपा के नेता कह रहे हैं कि अधिसूचना जारी नहीं होगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

राज्य सरकार अधिसूचना जारी नहीं होने दे रही है राज्य सरकार इस अपराध में पूरी तरह शामिल है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें, ताकि सदन की कार्यवाही चले।

(सदस्यों के वेल से अपने आसन पर न जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन की कार्यवाही 11 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित करता हू।

(व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 03 मिनट पर सदन की कार्यवाही 11 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी।

11 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुन: आरम्भ हुई)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैंने एक सूचना नियम- 311 की दी है। आज जिस तरह से भा0ज0पा0 की सरकार भ्रष्टाचार कर रही है और जो रवैया अपना रही है वह अनुचित है।

श्री अम्बिका चौधरी-

सरकार नोटीफिकेशन जारी नहीं कर रही है। माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किया है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न काल चलने दें, प्रश्न काल के बाद अपने आप आपकी सूचना आ जायेगी।

श्री अम्बिका चौधरी-

बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाली यह सरकार है। धर्म निरपेक्षता को नष्ट करने वाली यह सरकार है। धर्म के आधार पर कलंक लगाने वाली यह सरकार है।

श्री अध्यक्ष-

अगर आप सदन नहीं चलने देना चाहते हैं तो बात अलग है। विपक्ष का ही नुकसान हो रहा है, यह प्रश्न काल सदस्यों का समय है।

श्री अम्बिका चौधरी-

आप अपनी पीठ से यह निर्देश करें कि आज 5 बजे के पहले अधिसूचना सरकार जारी कर दे।

एक सदस्य-

[x x x]

श्री अध्यक्ष-

तीन-तीन माननीय सदस्य एक साथ बोल रहे हैं, यह कुछ नहीं लिखा जायगा। पहले प्रश्न काल चलने दीजिये।

(श्री आर0के0चौधरी, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री अखिलेश कुमार सिंह तथा श्री मुख्तार अंसारी और अन्य कई सदस्य सदन के वेल में आ गये और नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन को 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित कर रहा हूँ। उसके बाद भी हंगामा हुआ तो मैं सदन को दिन भर के लिये स्थगित कर दूँगा। यह अच्छी बात नहीं है।

(सदस्यों के अपने आसन पर न जाने पर और नारे लगाते रहने पर।)

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन को 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित करता हूँ।

(व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11बजकर 33 मिनट पर व्यवधान के कारण सदन को 12 बजकर, 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दिया।)

नोट-[x x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

विद्युत की मांग के अनुसार विद्युत उत्पादन की नीति

**1-श्री राम औतार शाक्य-

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि वर्तमान में विद्युत संकट को देखते हुये क्या मांग के अनुसार विद्युत उत्पादन की कार्ययोजना/विशेष नीति बनाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो वह क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश अग्रवाल)-

जी हॉ।

(1) उ0प्र0 रा0वि0उ0नि0लि0 के ताप विद्युत गृहों से उत्पादन बढ़ाने हेतु दिनांक 25 फरवरी, 2000 को केन्द्र सरकार के विद्युत मंत्रालय एवं प्रदेश सरकार के मध्य एक एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया था। इस एम0ओ0यू0 के अन्तर्गत पी0एफ0सी0 के माध्यम से प्राप्त होने वाली रू0 2000 करोड़ की ऋण सहायता से प्रदेश के ताप विद्युत गृहों का अधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण प्रस्तावित है। इस हेतु ओवरा, पनकी, हरदुआगंज, आनपरा तथा पारीक्षा ताप विद्युत गृहों की आर0एण्ड0एम0/रिफर्विमेन्ट योजनायें बनाकर पी0एफ0सी0 को प्रेषित कर दी गयी है। इसमें रू0 1537 करोड़ लागत की आर0 एण्ड एम0 योजनाओं तथा रू0 87599 करोड़ की ओवरा 5x200 मेगावाट रिफर्विमेन्ट योजना के विरूद्ध पी0एफ0सी0 द्वारा ऋण स्वीकृत कर दिया गया है परन्तु उ0प्रे0 शासन से गारन्टी न मिलने के कारण ऋण का आहरण अभी नहीं किया जा सका है। अन्य योजनायें ऋण स्वीकृति हेतु अभी पी0एफ0सी0 में लम्बित हैं। ये योजना 9 वी एवं 10 वीं पंचवर्षीय योजना में धन की उपलब्धता के अनुसार कार्यान्वित की जायेगी जिससे कि ताप विद्युत गृहों के उत्पादन में वृद्धि हो सकें।

(2) अपना "अ" एवं "ब" परियोजना अनपरा, सोनभद्र के विस्तार के रूप में 2x500 मैगावाट अनपरा "स" परियोजना प्रस्तावित है। इस परियोजना के निर्माण हेतु लगभग रू0 3350 करोड़ की आवश्यकता होगी तथा यह परियोजना निर्माण कार्य आरम्भ होने के बाद से लगभग 40 माह में बनकर पूरी हो जायेगी। परियोजना के लिये वित्त पोषण पावर फाइनेन्स कारपोरेशन अथवा जे0वी0आई0 सी "जापान" आदि से करवाने हेतु उ0प्र0 सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है।

लागू नहीं।

प्रदेश में उर्जा उत्पादन, पारेषण एवं वितरण का कार्य

**2-गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन, पारेषण एवं वितरण कार्य अलग-अलग निगमों द्वारा कराया जाना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या इस पर अमल करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है? यदि हां, तो क्या इस पर अमल करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है? यदि हां, तो कब से? क्या इसके परिणाम स्वरूप विद्युत के उत्पादन, वितरण एवं पारेषण में कोई सुधार आया है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं , तो क्यों?

नोट-उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

श्री नरेश अग्रवाल-

जी हॉ।

जी हॉ।

15 जनवरी, 2000 से ऊर्जा पारेषण एवं वितरण कार्य उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा तापीय विद्युत उत्पादन का कार्य उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 द्वारा एवं जलीय उत्पादन कार्य उ0प्र0ज0वि0 निगम लि0 द्वारा किया जा रहा है।

विद्युत परिषद के पुनर्गठन के पश्चात् तापीय विद्युत उत्पादन में सुधार आया है।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद्/उ0प्र0 राज्य विद्युत निगम लि0 के तापीय विद्युत गृहों का प्ला लोड फैक्टर वर्ष 1999-2000 में 50.5 प्रतिशत रहा है जो वर्ष 2000-2001 में 26 मार्च, 2001 तक 57.03 प्रतिशत हो गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

मेडिकल कालेजों के चिकित्सकों पर निजी प्रैक्टिस कर लगाने का विचार

*1-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के मेडिकल कालेजों के चिकित्सकों द्वारा निजी प्रेक्टिस पर कोई कर लगाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

गन्ना विकास एवं चिकित्या शिक्षा मंत्री (डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)-

जी हॉ।

प्रदेश के मेडिकल कालेजों के चिकित्सा शिक्षकों द्वारा निजी प्रैक्टिस के संबंध में शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है।

अभी शासन स्तर पर अंतिम निर्णय नही हुआ है। मेडिकल कालेजों में चिकित्सा शिक्षा में सुधार और जनसामान्य को समुचित उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समग्र रूप में इस विषय पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है, अंतिम रूप से कोई निर्णय प्रकरण में नहीं लिया गया है।

मच्छरों के प्रकोप से पैदा होने वाली बीमारियों की रोकथाम

*2 श्री विजय पाल सिंह तथा श्री संजय गर्ग-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मच्छरों का प्रकोप शहर एवं ग्रामीण अंचलों में व्याप्त है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि संबंधित विभाग द्वारा कहीं भी फागिंग तथा दवाओं का छिड़काव न करने के कारण मलेरिया, डेंगू जैसी भयंकर संक्रामक बीमारियों का खतरा पैदा हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकने के लिए कोई योजना बना रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)-

जल भराव व कूड़ा इकट्ठा होने पर मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है।

जी नहीं।

मलेरिया, डेंगू जैसी भयंकर संक्रामक बीमारियों आदि की रोकथाम के लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित एक प्रभावी कार्य योजना है, जिसमें उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में फर्जी चिकित्सकों की गतिविधियों को रोकने हेतु कानून

*3 डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में फर्जी चिकित्सकों की गतिविधियों से निपटने के लिए वर्तमान कानून के स्थान पर कोई नया कानून बनाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है? यदि नही, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नही।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के मेडिकल कालेजों को स्वायत्तत्ता प्रदान करने का प्रस्ताव

*1-श्री राम औतार शाक्य-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के मेडिकल कालेजों को स्वायत्ता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो इसका विवरण क्या है?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

शासनादेश दिनांक 2-4-98 द्वारा मेडिकल कालेजों के स्वरूप को समिति में परिवर्तित किया गया है जो वर्तमान में प्रभावी है।

मेडिकल कालेजों की कार्यक्षमता में सुधार लाने, प्रशासनिक अधिकारों का प्रतिनिधायन बढ़ाने और कार्य में गति लाने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई है जिसमें प्रत्येक मेडिकल कालेज में एक बोर्ड आफ गवर्नर है जिसके अध्यक्ष विभागीय मंत्री एवं उपाध्यक्ष सचिव चिकित्सा शिक्षा हैं। इस बोर्ड में नियोजन, वित्त, महानिदेशालय, मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया आदि के प्रतिनिधि हैं। यह बोर्ड निर्णय लेनेवाली सर्वोच्च इकाई है। इसके अतिरिक्त वित्त समिति, प्रशासनिक समिति, क्रय समितियां आदि बनाई गयी हैं जो कालेज स्तर पर ही निर्णय लेने हेतु सक्षम हैं। शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि वहां जो आय होगी वह कालज में ही आवश्यक कार्यो में उपयोग की जायेगी।

*2-श्री रामललित चौधरी-

[निदेश सं0-26 (1) के अन्तर्गत उत्तरित]

प्रदेश में फर्जी डिग्रीधारी चिकित्सकों की सेवाओं पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की योजना

*3-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में फर्जी डिग्री धारक एवं अप्रशिक्षित चिकित्सक, चिकित्सा कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इन फर्जी डाक्टरों को दण्डित करने की कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नही, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

सूचना प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाती है।

फर्जी डिग्रीधारक अनर्ह एवं अप्राधिकृत चिकित्सको को चिन्हित करके उनके विरूद्ध "दि यूनाइटेड प्राविसेंज मेडिकल एक्ट-1917" को धारा-30 के अन्तर्गत अभियोग/मुकदमा पंजीकृत करके विधि के अनुसार कार्यवाही की जाती है तथा इण्डियन मेडिकल कौसिल ऐक्ट, 1956 की धारा 15 के अन्तर्गत उन्हें दण्डित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नव सृजित जनपदों में प्रोवेशन अधिकारी की नियुक्ति

*4-श्री संजय गर्ग-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 1 की उपधारा (3) में प्रदेश के नये सृजित सभी जनपदों में उक्त अधिनियम प्रभावी कर प्रोवेशन अधिकारियों के पद सृजित किये गये हैं? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्या सरकार नये सृजित जनपदों व भंण्डलों में उप मुख्य परिवीक्षाधिकारी/जिला प्रोवेशन अधिकारी/प्रोवेशन अधिकारी व विभागीय योजनाओं के पदों का सृजन कर योजनाओं के कार्यान्वयन की कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार व प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)-

जी नही।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हॉ।

यथाशीघ्र व्यवस्था की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के गन्ना किसानों द्वारा उत्पादित गन्ने का सर्वेक्षण

*5 श्री राम विशुन आजाद-

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि गन्ना कृषकों के वास्तविक राजस्व अभिलेखों के आधार पर उनके गन्ने की भूमि की उपलब्धता का सही सर्वे मिलों द्वारा न कराने के कारण वास्तविक गन्ना कृषकों की पर्चियां न आकर फर्जी किसानों की पर्चियां बराबर आ रही हैं? यदि हां तो क्या सरकार भौतिक सत्यापन कराकर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

किसानों द्वारा उत्पादित गन्ने का सर्वेक्षण करने हेतु पेराई सत्र 2000-2001 में मिल कर्मचारी तथा विभागीय कर्मचारी के साथ संयुक्त सर्वे की व्यवस्था निर्धारित की गयी है। गन्ना पर्यवेक्षकों के पंचायत राज विभाग में बहुउद्देशीय कर्मी हो जाने के कारण जहां राजकीय स्टाफ नही था वहॉ कुछ चीनी मिलों द्वारा गन्ने का सर्वे कार्य किया गया। गन्ना सर्वे के सम्बन्ध में जहां शिकायतें प्राप्त हुई उन पर कार्यवाही की गयी।

गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश की समस्त चीनी मिलों के 5-5 ग्रामों को दल बना कर सर्वेक्षण की जांच कराने के आदेश दिनांक 20.4.2001 को दिये है। विशिष्ट प्रकरण संज्ञान में आने पर कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज लखनऊ को एंव उसके विभिन्न फैकल्टियों को विगत दो वर्षो में दी गयी धनराशि की जानकारी

*6-श्री विश्वनाथ-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ स्थित किंग जार्ज मेडिकल कालेज को राज्य सरकार ने गत वर्षो में कितनी धनराशि आवंटित की है? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सालाना बजट के

अलावा क्या राज्य सरकार द्वारा कालेज के विभिन्न फैकल्टियों (विभागों) को समय-समय पर एक मुश्त धनराशि भी प्रदान की गयी है? यदि हां तो कितनी? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि पिछले वर्ष राज्य सरकार द्वारा भारी चिकित्सा शुल्क बढ़ोत्तरी मेडिकल कालेज द्वारा लागू किये जाने के बावजूद माह फरवरी, 2001 के यह पहले सप्ताह में दस फीसदी शुल्क की और बढ़ोत्तरी कर दी गयी है? यदि हां, तो निर्धन मरीजों के उपचार हेतु कोई योजना तैयार की गयी है? यदि हां, तो क्या? यदि नही, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

शासन द्वारा के0जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ को वर्ष 1999-2000 में रू0 39,52,68,000 एवं 2000-2001 में रू0 36,50,50,000 तथा अनावर्ती अनुदान के रूप में रू0 3,71,48,000 कुल रू0 79,74,64,000 (रूपये उन्यासी करोड़ चौहत्तर लाख चौसठ हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृति की गई है।

जी हॉ।

के0जी0मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय लखनऊ के विभिन्न विभागों को वर्ष 1999-2000 में विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये कोई धनराशि प्रदान नहीं की गई है। वर्ष 2000-2001 में विभिन्न विभागों के लिये कुल रू0 3,71,48,000 (रूपये तीन करोड़ इक्हत्तर लाख अड़तालिस हजार मात्र) की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। मेडिकल कालेजों में जनसामान्य को समुचित उपचार व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु मेडिकल कालेजों में संसाधनों की वृद्धि किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 12.7.2000 द्वारा शुल्कों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है।

अतिनिर्धन एवं असहाय रोगियों के उपचार हेतु चिकित्सालय में उपलब्ध सेवायें निःशुल्क दी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्वच्छ पेयजल योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की जानकारी

*7-श्री श्रीराम पाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्वच्छ पेयजल योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की जांच, भौतिक सत्यापन, मूल्यांकन तथा धन आवंटन व व्यय की जनपद स्तर पर जनप्रतिनिधियों की भागीदारी में समीक्षा करने की नीति निर्धारित की गयी है? यदि हां, तो वह नीति क्या है? क्या सरकार द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को विभिन्न परियोजनाओं में आवंटित धनराशि व कार्यों की जानकारी सांसद व विधायकों को भी कराने की व्यवस्था की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)-

जी हां। विकास कार्यों की भौतिक प्रगति एवं उसकी गुणवत्ता के सत्यापन हेतु जिला स्तर, मण्डल स्तर तथा राज्य स्तर पर मा0 जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा शासनादेश जारी किया गया है जिसमें विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी निर्माण कार्यों की सूची जिलाधिकारी के माध्यम से प्रभारी मा0 मंत्री जी, मा0 सांसद, मा0 विधायक गण एवं जिला पंचायत अध्यक्ष व क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष को उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में क्षय रोग एवं एड्स रोग जैसी बीमारियों केनिवारण हेतु योजना

*8-श्रीरामजग-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्षय रोग एवं एवं एड्स जैसे भयंकर बीमारी के निवारण हेतु सरकार कोई ठोस योजना बना रही है? यदि हां, तो वह योजना क्या है? यदि नही, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

क्षय रोग तथा एड्स जैसी भयंकर बीमारियों के बचाव हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देश एवं सहयोग से पहले से ही योजना चल रही है।

क्षय रोग की रोकथाम हेतु प्रथमतः नवजात शिशुओं को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा बी0सी0जी0 का टीका लगाकर क्षय रोग की रोकथाम की जाती है। क्षय रोग से बचाव हेतु राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षयरोग के लक्षण युक्त रोगी के 3 बलगम परीक्षण व एक्सरे जॉच कर क्षयरोग की पहचान की जाती है। क्षय रोग से ग्रसित होने पर निःशुल्क क्षय निरोधी औषधियॉ प्रदान कर रोगमुक्त किया जाता है ताकि वह अन्य स्वस्थ्य व्यक्ति को क्षयरोग से संक्रमित न कर सके।

एड्स से बचाव हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का द्वितीय चरण वर्ष 1999 से 2004 तक संचालित किया जा रहा है जो कि शत् प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजना है। एड्स नियंत्रण हेतु इससे बचाव के उपायों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। एच0आई0वी0 के प्रसार को रोकने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश के समस्त मेडिकल कालेजों में अवसरवादी संक्रमण के उपचार तथा जिला चिकित्सालयों में एस0टी0डी0/आर0टी0आई0 ग्रसित रोगियों के उपचार हेतु व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम्य विकास अधिकारियों के संवर्ग मृत घोषित करने सम्बन्धी शासनादेश की वापस लेने की मांग

*9-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम्य विकास अधिकारियों के मृत संवर्ग घोषित किये गये शासनादेश (लागू) को वापस लेने पर सरकार विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

पंचायती राज विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत बहुउद्देशीय कर्मियों की भूमिका तथा इसके अन्य समस्त पहलुओं की व्यवहारिकता एवं इनके सम्बन्ध में प्राप्त अनुभवों के आधार पर पुनर्विचार करके अपनी संस्तुतियां देने हेतु मंत्रिमण्डल की उप समिति गठित की गयी है। ग्राम पंचायतों में सत्ता के विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप ग्राम विकास कार्यक्रमों, योजनाओं एवं विभिन्न ढांचें में व्याप्त विसंगतियों के सम्बन्ध में ग्राम विकास अधिकारी संघ, उ0प्र0 का ज्ञापन संख्या-330/2000, दिनांक 10-10-2000 प्राप्त हुआ है। संघ के ज्ञापन में उल्लिखित मांगों में ग्राम विकास अधिकारी के मृत संवर्ग को बहाल करने की मांग भी सम्मिलित है। ग्राम विकास अधिकारी संघ, उ0प्र0 का उक्त ज्ञापन मा0 मंत्रिमण्डल की उप समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु पंचायती राज विभाग को प्रेषित कर दिया गया है। मा0 मंत्रिमण्डल की उप समिति की संस्तुतियां प्राप्त होने पर प्रकरण में कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश के मिश्रित चिकित्सा प्रणाली के स्नातकों को मिश्रित चिकित्सा कार्य में समायोजित करने की मांग

*10-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री प्रदेश की मिश्रित चिकित्सा प्रणाली के स्नातकों के मिश्रित चिकित्सा पद्धति में चिकित्सा कार्य करने के अधिकार को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये क्या सरकार कोई कानून बनाने या अन्य कोई नीति निर्धारित करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो वह क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

वर्तमान में मिश्रित चिकित्सा प्रणाली के नाम से कोई स्नातक स्तरीय उपाधि प्रदान नहीं की जा रही है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं केन्द्र खोले जाने की नीति

*11 श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा श्री विजय पाल सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनता की सुविधा हेतु एक हजार की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र तथा पांच हजार की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की कोई नीति निर्धारित की गयी? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त नीति के अनुसार प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सुविधायें देने हेतु उक्त केन्द्रों की स्थापना कर दी है? यदि नहीं, तो क्यों?

मातृ एवं शिशु कल्याण व परिवार कल्याण मंत्री (श्री सरदार सिंह)-

जी, नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नियत वेतन पर नियुक्त एलोपैथिक चिकित्सकों को कम मंहगाई भत्ता दिये जाने की शिकायत

*12-डा0 अशोक बाजपेयी-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1992 में नियत वेतन पर नियुक्त एलोपैथिक चिकित्सकों को दिनांक 1-4-98 से नियत वेतन रू0 9,400/-पर 13 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है जबकि राज्य सरकार द्वारा मंहगाई भत्ता बढ़ा कर 41 प्रतिशत किया जा चुका है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सकों को अन्य राज्य कर्मियों के समान मंहगाई भत्ते का भुगतान किये जाने हेतु आदेश जारी करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

वर्ष 1992 में नियत वेतन पर नियुक्त एलोपैथिक चिकित्सकों के शासनादेश संख्या-1978/चि-3-90-450/88, दिनांक 19.05.1998 के आधार पर केवल नियत वेतन रू0 9,440 अनुमन्य है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नियत वेतन पर नियुक्त इन चिकित्सकों के मंहगाई भत्ता अनुमन्य नहीं है।

*13-श्री नरेन्द्र सिंह-

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश के अप्रशिक्षित/अपंजीकृत डाक्टरों की प्रैक्टिस पर रोक

*14-श्री रघुवर दयाल वर्मा-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के नगरीय और ग्रामीण अंचलों में अपंजीकृत, अप्रशिक्षित झोलाछाप टाक्टर गरीब रोगियों के इलाज में अनियमित रूप से लगे हुये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अप्रशिक्षित एवं अपंजीकृत डाक्टरों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

इस विषय में सूचना प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाती है।

अप्रशिक्षित एवं अपंजीकृत डाक्टरों के विरूद्ध "दि यूनाइटेड प्रविसेंज मेडिकल एक्ट-1917" को धारा-30 के अन्तर्गत अभियोग/मुकदमा पंजीकृत करके विधि के अनुसार कार्यवाही की जाती है तथा इण्डियन मेडिकल कौसिल ऐक्ट, 1956 की धारा 15 के अन्तर्गत उन्हें दण्डित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ में कार्डियोलाजी डिपार्टमेंट के मरीजों के काम आने वाली मशीनों की कमी की शिकायत

*15-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ में कार्डियालोजी डिपार्टमेन्ट में मरीजों के इलाज हेतु प्रयोग में आने वाली मशीनों की संख्या क्या है? क्या यह सही है कि धन के अभाव में बलरामपुर के काडियक विभाग में आधुनिक मशीनों की अत्यन्त कमी है? यदि हां, तो क्या उक्त चिकित्सालय के कार्डियक तथा अन्य विभागों को आधुनिक मशीने उपलब्ध कराने हेतु धन उपलब्ध कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ के कार्डियोलाजी विभाग में मरीजों के इलाज हेतु प्रयोग में आने वाली मशनों की संख्या निम्नवत है:-

1-ई0सी0जी0 मशीन-पांच

2-डिफिब्रिलेटर मशीन-दो

3-वेड साइड मानीटर-आठ

4-सेन्ट्रल मानीटर-एक

5-टी0एम0टी0 मशीन-एक

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्र सहायतित विकलांग जनपुनर्वासन कार्यक्रम की स्थापना की जानकारी

*16-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा सहायतित विकलांग जनपुनर्वासन कार्यक्रम, कम्पोजिट रिजनल रिहेविलीटेशन सेन्टर की स्थापना, ग्रामीण पुनर्वास योजना तथा

स्पाइनल इंजरी सेन्टर की स्थापना से संबंधित गत वर्ष की प्रस्तावित योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उपरोक्त कार्यक्रमों हेतु प्रदत्त धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा वापस ले ली गयी है? यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्रीमती प्रेम लता कटियार)-

योजनाओं के क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रगति में है।

उपरोक्तानुसार।

ग्रामीण पुनर्वास योजना के अन्तर्गत 14 जनपदों में से जिला पुनर्वास केन्द्र सीतापुर चार जनपदों लखनऊ, बरेली, मेरठ, आगरा के लिये नोडल ऐजेंसी है। पुनर्वास केन्द्र सीतापुर को रू0 12.00 लाख की धनराशि बरेली तथा लखनऊ के फिटमेन्ट सेन्टरों के उपयोगार्थ प्राप्त हुयी थी जो भारत सरकार के निर्देशानुसार वापस की गयी है। शेष किसी भी योजना में कोई धनराशि वापस नहीं की गयी है। ग्रामीण पुनर्वास योजना के कार्यान्वयन हेतु सभी 14 जनपदों के लिये धनराशि की मॉग भारत सरकार से की जा रही है।

धनराशि भारत सरकार के निर्देशानुसार वापस की गयी है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद संत रविदास नगर भदोही के विकास खण्ड ज्ञानपुर में प्राइमरी पाठशाला नजरपुर से मौर्या बस्ती सम्पर्क मार्ग के निर्माण की जानकारी

1-डा0 पूर्णमासी पंकज-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद संत रविदास नगर भदोही के विकास खण्ड ज्ञानपुर में प्रा0पा0 नजरपुर से मौर्या बस्ती सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु वर्ष 1996-97 में एस0आर0 बार्ड द्वारा 700 मी0 के लेपन हेतु सी0 एण्ड डी0 एस0 को 4.26 लाख रूपया अवमुक्त किया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग लेपन स्तर तक निर्मित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी नहीं, अपितु जनपद संत रविदास नगर भदोही के विकास खण्ड ज्ञानपुर में प्रा0पा0 नजरपुर से मौर्या बस्ती सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु वर्ष 1997-98 में निर्माण एवं परिकल्प इकाई, यूनिट-34, उ0प्र0 जल निगम, भदोही को मु0 3.90 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।

जी नहीं।

उक्त कार्यदायी संस्था द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 317 मीटर लम्बाई में मिट्टी, गिट्टी सीलिंग स्तर तक कार्य पूर्ण कराया गया है। अवशेष 283 मीटर के संबंध में परियोजना प्रबन्धक के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।

विकास खण्ड सुरियावां के अम्बेडकर ग्राम भटैवरा जिला संत रविदास नगर भदोही को जोड़ने वाली दो किलोमीटर सड़क को मानक के अनुरूप बनाये जाने की जानकारी

2-डा0 पूर्णमासी पंकज-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद संत रविदास नगर भदोही के विकास खण्ड सुरियावां के अम्बेडकर ग्राम भटैवरा को जोड़ने हेतु 2 कि0मी0 मार्ग निर्माण के लिये वर्ष 1997-98 में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को रू0 11.00 लाख शासन से धन अवमुक्त किया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग को मानक के अनुरूप पूर्ण करा दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवप्रताप शुक्ल-

जनपद संत रविदास नगर भदोही के विकास खण्ड सुरियांवा के अम्बेडकर ग्राम भटेवरा को जोड़ने हेतु मार्ग निर्माण के वर्ष 1997-98 में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को धनराशि रू0 9.78 लाख अवमुक्त की गयी।

सम्पर्क मार्ग की जॉच सहायक अभियन्ता डी0आर0डी0ए0 द्वारा करायी गयी। जॉच आख्या के अनुसार आवंटित धनराशि के सापेक्ष कार्य संतोषजनक तथा पूर्ण है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद संत रविदास नगर भदोही के विकास खण्ड सुरियावां में सासंद निधि से अवमुक्त धनराशि से निर्माण की जानकारी

3-डा0 पूर्णमासी पंकज-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद संत रविदास नगर भदोही के विकास खण्ड सुरियावां में सुरियावां से महुआपुर मार्ग निर्माण हेतु निर्माण एवं परिकल्प इकाई जल निगम शाखा भदोही को जवाहर रोजगार योजना द्वारा दिनांक 31-3-96 को 7.00 लाख तथा दिनांक 19-9-96 को 6.00 लाख तथा उसी मार्ग पर चौथार से महुआपुर हेतु सांसद निधि से 1995-96 में 0.268 लाख रूपया अवमुक्त किया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग का निर्माण मानक के अनुरूप विभाग द्वारा पूर्ण करा दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी नहीं, अपितु जनपद संत रविदास नगर, भदोही के विकास खण्ड सुरियांवा में सुरियावां से महुआपुर मार्ग निर्माण हेतु निर्माण एवं परिकल्प इकाई, जल निगम शाखा, भदोही को वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत कुल रू0 13.00 लाख की धनराशि संस्था को उपलब्ध करायी गयी है। संस्था द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 2.5 कि0मी0 कार्य कराया गया है। शेष 1.00 कि0मी0 के संबंध में संस्था से स्पष्टीकरण मांगा गया, जो अप्राप्त है। परियोजना प्रबन्धक के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।

लखनऊ के राजकीय शिशुशाला एवं बालवाड़ी केन्द्र की अप्रशिक्षित नर्सो को स्वीकृत वेतनमान

4-श्री लवकुश कुमार-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय शिशुशाला एवं बालवाड़ी केन्द्र लखनऊ में अप्रशिक्षित नर्स जिनकी 14 वर्ष की संतोषजनक सेवा वर्ष मई, 1995 तक पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 1-1-96 से लागू वेतनमान 4500-125-7000 किन-किन को स्वीकृत किया गया गया? क्या वहां कार्यरत श्रीमती शोभावती मिश्र नर्स को उक्त वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

श्रीमती रश्मि तिवारी को स्वीकृत कर दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में रजिस्टर्ड यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवाओं के प्रयोग के अधिकार की जानकारी

5-श्री सौलत अली एडवोकेट-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय चिकित्सा परिषद् के पैरा-1, पैरा-2 व पैरा-3 के अन्तर्गत रजिस्र्ड यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सकों को शांसनादेश सं0-1603 बी0आई0पी0-1391/50 दिनांक 21 अप्रैल, 1953 के अनुसार एलोपैथिक पद्धति की दवायें प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

प्रश्नगत प्रकरण में विधिक परीक्षण कराया जा रहा है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर व आजमगढ़ जनपदों में क्षय रोग के प्रकोप एवं उपचार के उपायों की मांग

6-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनुपर एवं आजमगढ़ जिले में क्षय रोगियों की संख्या बढ़ रही है? क्या सरकार इसको चिन्हित करने तथा उपचार हेतु अभियान चलाकर कार्यवाही करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं ।

जनपद जौनपुर एवं आजमगढ़ में विगत तीन वर्षो [1997-98,1998-99 एवं 1999-2000] के प्राप्त आंकड़ो के अनुसार क्षय रोगियों की संख्या में गिरावट पायी गयी है।

जनपद जौनपुर एवं आजमगढ़ में क्षय रोगियों को चिन्हित करने एवं उनके उपचार हेतु राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले से ही व्यवस्था उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा, छाता शुगर मिल के गन्ना कृषकों के गन्ना मूल्य के भुगतान की मांग

7-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेगे कि छाता शुगर मिल मथुरा से गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक- सी0 एम0 /वि0 को0/ एम-2 /मथुरा/ 37824/2000, दिनांक 21-9-2000 प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग को प्राप्त हुआ है? यदि हां,तो उस पर अब तक कया कार्यवाही सुनिश्चित की गयी ह? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी हॉ।

प्रकरण की जॉचोपरान्त पाया गया कि 298 गन्ना किसानों द्वारा फर्जी पर्ची पर 10412.34 कु0 गन्ना आपूर्ति किया गया जो रू0 7,44,578.58 कीमत का है। चीनी मिल छाता ने उक्त का भुगतान गन्ना समिति को कर दिया है, जो समिति के सस्पेन्स एकाउन्ट में जमा है। जॉच दल की जॉच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन सचिव, श्री सुखपाल सिंह तथा कान्ती स्वरूप को निलम्बित करते हुए अन्य लिप्त दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध एफ0आई0आर0 स्थानीय थाने में दर्ज कराई गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश स्तर पर राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों/यूनानी चिकित्सालयों में आयुर्वेदिक/यूनानी फार्मेसिस्ट के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

8-डा0 ज्ञानवती सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों/यूनानी चिकित्सालयों में फार्मेसिस्ट आयुर्वेदिक/यूनानी के कितने पद रिक्त पड़े हैं? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक/यूनानी के 345 पद रिक्त है। राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में 500 आयुर्वेदिक तथा 50 यूनानी फार्मासिस्टों के रिक्त पदों को भरने हेतु निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी द्वारा 30.9.2000 को विज्ञापन प्रसारित किया गया था। उक्त विज्ञापन के विरूद्ध फार्मासिस्टों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में विभिन्न रिट याचिकायें योजित की गयी है।

अधिकांश रिट याचिकाओं में मा0 न्यायालय ने अन्तरिम आदेश पारित करते हुए उक्त चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अत: मा0 न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव है?

प्रश्न नहीं उठता है।

9-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

[4 थे सोमवार में अता0 प्र0 स0-40 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

चीनी मिलों द्वारा गन्ना विकास परिषदों को नियमित रूप से दिये जाने वाले धन की जानकारी

10-श्री मूल चन्द्र-

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना विकास परिषदों को जो धन चीनी मिलों द्वारा लिंक मार्ग बनाने के लिये दिया जाता है क्या धन नियमित रूप से प्राप्त हो रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

गन्ना विकास परिषदों को चीनी मिलों द्वारा लिंक मार्ग बनाने के लिये ही धन दिये जाने का नियमों में कोई प्राविधान नहीं है। गन्ना विकास परिषदों को उ0प्र0 गन्ना [आपूर्ति एवं खरीद विनियमन] अधिनियम 1953 की धारा 18 के अन्तर्गत चीनी मिलों से नियमित रूप से प्राप्त होने वाले कमीशन की धनराशि गन्ना विकास एवं अन्य कार्यो सहित लिंक मार्ग निर्माण में भी व्यय की जाती है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

समाज कल्याण निर्माण निगम मुख्य के अभियन्ता तथा निदेशक (अभियंत्रण का कार्य देख रहे अधिकारी) को पदोन्नति प्रदान करने सम्बन्धी कथित प्रकरण

11-श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि समाज कल्याण निर्माण निगम में अधीक्षण अभियन्ता तथा मुख्य अभियन्ता के कितने पद हैं? क्या यह सही है कि महाप्रबन्धक (निर्माण) के पदधारक से पिछले दो दशक से प्रदेश स्तर पर अभियंत्रण संबंधी मुख्य अभियन्ता तथा प्रबन्ध निदेशक (अभियंत्रण) तक का कार्य लिया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उस अधिकारी को अनुभव एवं सेवाकाल के आधार पर मुख्य अभियन्ता/प्रबन्ध निदेशक के पद पर निगम के हित में पदोन्नति करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

समाज कल्याण निर्माण निगम में अधीक्षण अभियन्ता के छः पद तथा मुख्य अभिन्यता का एक पद, महाप्रबंधक (निर्माण) सह मुख्य अभियन्ता के नाम से स्वीकृत है।

प्रश्नगत पद धारक 30-5-94 से महा प्रबन्धक निर्माण सह मुख्य अभियन्ता के पद के दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। प्रबन्ध निदेशक (अभियन्त्रण) का निगम में कोई पद स्वीकृत नहीं है। जी नहीं। प्रबन्ध निदेशक के पद पर शासन द्वारा प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की नियुक्ति की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान नियमों में महाप्रबन्धक (निर्माण) सह मुख्य अभियन्ता के पद धारक को प्रबन्ध निदेशक के पद पर पदोन्नति की व्यवस्था नहीं है।

जनपद हरदोई के अवर अभियन्ता (लघु सिंचाई) द्वारा विकास खण्ड हरियांवा में नि:शुल्क बोरिंग के घोटाले की जाँच

12-श्री राम औतार शाक्य-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के चौथे बुधवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या-97 के उत्तर के संदर्भ में क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मदन मोहन शर्मा, अवर अभियन्ता (लघु सिंचाई) कार्यरत विकास खण्ड हरियांवा जिला हरदोई द्वारा नि:शुल्क बोरिंग में लाखों रूपये के घोटाले में की जा रही जांच पूर्ण हो चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों?

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द)-

श्री मदन मोहन शर्मा, नाम का कोई भी अवर अभियंता (लघु सिंचाई) विकास खण्ड हरियांवा जिला हरदोई में कार्यरत नहीं रहा है।

श्री मदन मोहन मिश्रा, तत्कालीन अवर अभियंता (लघु सिंचाई) विकास खण्ड हरियांवा जिला हरदोई में कार्यरत था, जिसकी जांच अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई, सीतापुर से करायी गयी।

जांचोपरान्त मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय आदेश संख्या-5133/ल0सिं0/स्था0-3(712)/99, दिनांक 28-8-99 द्वारा श्री मदन मोहन मिश्रा, अवर अभियंता को विकास खण्ड हरियांवा जनपद हरदोई के कार्यकाल में वर्ष 1995-96 में नि:शुल्क बोरिंग योजना में रू0 28,383.73 के शासकीय धनराशि अपव्यय के प्रयास करने के लिए निन्दा प्रविष्ट प्रदान की गयी है, जो उनकी वर्ष 1999-2000 की पंजिका में रखी गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

कोल्हुआ पाण्डेयपुर अम्बेदकर सम्पर्क मार्ग जनपद संत रविदास नगर भदोही के निर्माण की जानकारी

13-डा0 पूर्णमासी-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद संत रविदास नगर भदोही में वर्ष 1997-98 में कोल्हुआ पाण्डेयपुर अम्बेडकर सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को 9.00 लाख रूपये अवमुक्त किया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग का निर्माण करा लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मारकण्डेय चन्द-

जी नहीं, अमितु वर्ष 1996-97 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत 1.30 कि0मी0 खडन्जा कार्य हेतु मु0 3.00 लाख रूपया विभाग को अवमुक्त हुआ था। जी हां, अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना समिति अत्तरौली जनपद बलरामपुर के गन्ना किसानों को गन्ना आपूर्ति पर्चियों के प्राप्त होने में कठिनाई की शिकायत

.4-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर स्थित बलरामपुर चीनी मिल द्वारा गन्ना समिति उत्तरौली के समिति कार्यालय पर वर्ष 2000 का सर्वे सट्टा का रिकार्ड वर्तमान में समिति कार्यालय पर नही दिया गया है जिससे गन्ना कृषकों को गन्ना आपूर्ति में गन्ना पर्ची प्राप्त करने में अनियमिता ही जा रही है? यदि हां, तो इसके लिये उत्तरदायी कौन है तथा उसके विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

चीनी मिल बलरामपुर द्वारा वर्ष 2000-2001 में सर्वे सट्टा से सम्बन्धित रिकार्ड गन्ना समिति कार्यालय उत्तरौला को उपलब्ध करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त चीनी मिल द्वारा गन्ना कृषकों को उनका कलेण्डर भी उपलब्ध करा दिया गया है जिसमें उनका सर्वे सट्टा अंकित है। पर्चियों का निर्गमन कम्प्यूटर से मिल द्वारा कलेण्डर के अनुसार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में विकास खण्ड पिसांवा ग्राम सभा बबुर्दीपुर के कास्तकारों का गन्ना भुगतान सम्बन्धित मिल द्वारा रोके जाने की शिकायत

15-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर में ब्लाक पिसावां ग्राम सभा बबुर्दीपुर के कास्तकारों के गन्ना मूल्य का भुगतान क्या रूपापुर चीनी मिल द्वारा किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी किसानों को मार्च, 2001 तक समस्त गन्ने के मूल्य का भुगतान करा देंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जनपद-सीतापुर के ब्लाक हवसावों के ग्राम बबुर्दीपुर का गन्ना, गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा रूपापुर चीनी मिल को सुरक्षित नहीं है।

अतः उक्त ग्राम का गन्ना चीनी मिल रूपापुर द्वारा क्रय किये जाने एवं गन्ना मूल्य भुगतान किये जाने का प्रश्न ही नहीं है।

जनपद मुरादाबाद में सैनिक स्कूल का निर्माण कराने का कथित प्रकरण

16-मेजर जगत पाल सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि मई, 1999 में राजपुर सैनिक परिषद् की बैठक में जनपद मुरादाबाद में सैनिक स्कूल का निर्माण कराने हेतु जिला स्तर से उसके लिये भूमि प्रस्तावित कर दी गयी थी तथा 20 लाख रूपये भी विद्यालय निधि से स्वीकृत कर दिये गये थे? यदि हां, तो क्या उक्त सैनिक स्कूल प्रशासन द्वारा स्वीकृत हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

मई 1999 में राज्य सैनिक परिषद की बैठक में मा0 विधायक ने यह आश्वासन दिया था कि यदि जनपद मुरादाबाद में एक सैनिक स्कूल खोला जाय तो वे भूमि व नकद धनराशि मिलाकर एक करोड़ रूपये की व्यवस्था करा सकते हैं।

जी नहीं। सैनिक स्कूल की स्थापना हेतु न्यूनतम 38 एकड़ भूमि और अनावर्तक व्यय हेतु रू0 10 करोड़ की एकमुश्त धनराशि तथा आवर्तक व्यय हेतु रू0 20 लाख की धनराशि की वार्षिक आवश्यकता होगी, जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार को करनी होगी। सम्प्रति राज्य सरकार के समक्ष अन्य जनपदों से भी सैनिक स्कूल की स्थापना के प्रस्ताव उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में प्रस्तावित सैनिक स्कूल की स्थापना किया जाना संभव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

महिला कल्याण विभाग में तैनात अलिपकीय कर्मचारियों की प्रख्यापित सेवा नियमावली की जानकारी

17-श्री विजय पाल सिंह-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला कल्याण में तैनात अलिपकीय कर्मचारियों की सेवा नियमावली प्रख्यापित की गयी है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सेवा नियमावली में जे0जे0 एक्ट के पदों को भी समायोजित किया गया है? यदि हां, तो जे0जे0 एक्ट के पदों को सेवा नियमावली में समायोजित करने करने का औचित्य क्या है?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

जी हॉ।

जी हॉ

सभी पद एक जैसी प्रकृति के हैं।

जनपद रायबरेली के राजकीय निराश्रित कर्मशाला फुर्सतगंज के रसोइया के वेतन भुगतान की जानकारी

18-श्री विजय पाल सिंह-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-रायबरेली में संचालित राजकीय निराश्रित कर्मशाला फुर्सतगंज में पूर्व संवासिनी कनीजा को वर्ष, 2000 जनवरी से दिसम्बर, 2000 तक के मध्य रसोइया के पद पर नियुक्ति अधीक्षिका द्वारा की गयी है? यदि हां, तो क्या उक्त नियुक्त कर्मचारी को वेतन भुगतान किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि जिला प्रोवेशन अधिकारी रायबरेली द्वारा कोषागार से उक्त कर्मचारी का वेतन आहरण करके अभी तक भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या कर्मचारी को वेतन भुगतान करके संबंधित दोषियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

जनवरी, 2000 से मार्च, 2000 तक नियत वेतन पर रखा गया।

भुगतान अवशेष है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हॉ।

नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। संज्ञेय अपराध नहीं है।

19-श्री उबैदुर्रहमान-

[3 सरे शुक्रवार में अता0प्र0स0-31 के अन्तर्गत स्थान्तरित]

विधान सभा क्षेत्र जहांगीर गंज के अहिरौली रानी मऊ जनपद अम्बेदकर नगर में बने अस्पताल की सफाई की मांग

20-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर के विधाना सभा क्षेत्र जहांगीर गंज में अहिरौली रानी मऊ में बने अस्पाल की सफाई की जाती है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त सफाई कार्य करायेगी? यदि हां,तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेद्र कुमार सिंह गौर-

अहिरौली रानीमऊ [जनपद अम्बेडकर नगर] में बने अस्पताल के सम्बंध में जांच के आदेश दिये गये है।

जांच आख्या प्राप्त होने तक यथावश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा वैध आयुर्वेद रत्न व वैद्य विशारद डिग्री डिप्लोमा धारकों का पंजीकरण का मामला

21-श्री नवाब सिंह नागर-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 में भारतीय चिकित्सा परिषद् (उ0प्र0) द्वारा वैद्य के रूप में आयुर्वेद रत्न व वैद्य विशारद डिग्री व डिप्लोमा धारकों को पंजीकृत किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उन्हें पंजीकृत कराने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी नहीं।

वर्तमान में केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् नई दिल्ली व उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा वैद्य के रूप में आयुर्वेद रत्न व वैद्य विशारद डिग्री व डिप्लोमा हेतु कोई संस्था मान्यता प्राप्त न होने के कारण सम्बन्धित धारकों को पंजीकृत किया जाना सम्भव नही है।

शेष का प्रश्न नही उठता।

जनपद शाहजहाँपुर के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्साधिकारियों को सम्बोधित पत्रों की जाँच कराने वाले अधिकारियों की जानकारी

22-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के तीसरे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-144 के उत्तर के संन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्रों की जांच किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब करायी गयी? क्या जांच के समय प्रश्नकर्ता को भी बुलाया गया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उपरोक्त पत्रों की जांच किसी उच्च अधिकारी से कराकर जांच के समय प्रश्नकर्ता को बुलायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

पत्रकारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

23-श्री राम औतार शाक्य-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पत्रकारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार कोई नीति बनाने जा रही है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश संख्या-3/उन्नीस-1-2001-84/98 दिनांक 3-1-2001में पत्रकारों की चिकित्सा में हुए व्यय के प्रतिपूर्ति का प्राविधान है।

प्रदेश में गरीबों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की माँग

24-श्री राम औतार शाक्य-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगें कि प्रदेश में गरीबों को मुफ्त चिकित्सा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कोई नीति बनायी है? यदि हाँ तो वह क्या है?

श्री रमापति शास्त्री-

जी, हां।

शासनादेश संख्या-984 5-1-2000 4(80)/95 दिनांक 28-6-2000 के प्रस्तर-4 एवं 5 के अनुसार गरीब व्यक्तियों को नि:शुल्क उपचार एवं निदान की सुविधा उपलब्ध है

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खड्डा (कुशीनगर) निर्माण की मांग

25-श्री दीपलाल भारती-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि मुख्य मंत्री के पत्र स0-सी0एम0/वि0को0/एम-40268/कुशीनगर/2000 के अन्तर्गत सामुदायिक स्वा0 केन्द्र खड्डा (कुशीनगर) निर्माण हेतु स्वीकृति है? यदि हां, तो उसका निर्माण कब तक प्रारम्भ हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं। प्रश्न में संदर्भित प्रश्नकर्ता के पत्र द्वारा स्वीकृति नहीं की गयी है अपितु शासनादेश संख्या-636/5-6-2000-एस0एन0डी0-8/2000, दिनांक 29.3.2001 द्वारा रू0 18.24 लाख को धनराशि स्वीकृत की गयी है।

मृदा परीक्षण रिर्पोट एवं ले-आउट प्लान के अनुमोदन के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

जनपद शाहजहॉपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी व अधीक्षक के विरूद्ध जॉच विषयक पक्ष पर कार्यवाही

26-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-5-97 जो इसके आस-पास मा0 मुख्य मंत्री तथा विशेष सचिव, स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ है जो जनपद शाहजहांपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के विरूद्ध जांच के संबंध में था? यदि हां, तो क्या यह सच है कि विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग-3 दिनांक 4 अगस्त, 97 द्वारा उस पर जांच के लिए अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य बरेली मण्डल को नामित किया था? यदि हां, तो अपर निदेशक ने उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हॉ।

जी हॉ।

जांच आख्या प्रतीक्षित है।

प्राप्त होने पर अग्रेतर

कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहापुर के विकास खण्ड जैतीपुर के भवन निर्माण में अनेयमितता की शिकायत

27-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 1-6-2000 या इसके आसपास जो विकास खण्ड जैतीपुर जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड भवन निर्माण में की गयी अनियमिताओं की जांच कराये जाने के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11 मई, 2000 दिनांक 1-6-2000 को मुख्य मंत्री कार्यालय मे प्राप्त हुआ है।

विकास खण्ड जैतीपुर, ब्लाक मुख्यालय में प्रशिक्षण उत्पादन एवं विपणन केन्द्र के भवन निर्माण का कार्य कराया जा रहा था। उक्त निर्माण कार्य की जांच दो तकनीकी अधिकारी व एक प्रशासनिक अधिकारी से करायी गयी। जांच रिपोर्ट में भवन निर्माण का कार्य सन्तोषजनक पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

28-डा0 पूर्णमासी पंकज-

[3 सरे मंगलवार में अन्0प्र0स0-175 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मुख्य गन्ना अधिकारी तिलहर जनपद शाहजहांपुर द्वारा की जा रही अनियमितओं की शिकायत

29-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-9-2000 जो मुख्य गन्ना अधिकारी, चीनी मिल, तिलहर द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

प्रश्नगत शिकायती पत्र पर जांच कराई गई। जांच में मुख्य गन्ना अधिकारी, तिलहर द्वारा तौल केन्द्रों पर मानक से अधिक कर्मचारियों की तैनाती करने तथा ट्राली एवं बुग्गी पर निर्धारित मानकों से अधिक तौल कराये गयी। इस सम्बन्ध में उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है।

चिकित्सक विहीन राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में चिकित्सक नियुक्त करने की मांग

30-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कुरसठ जनपद हरदोई कब से चिकित्सक विहीन चल रहा है? क्या सरकार जनहित में जनता की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए वहां चिकित्साधिकारी की नियुक्ति करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

सूचना एकत्र की जा रही है।

स्व0 राधेश्याम चौरसिया स्वास्थ्य निरीक्षक सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र बांगरमऊ के मृतक आश्रित की नियुक्ति की मांग

31-श्री उदयराज यादव-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 राधेश्याम चौरसिया स्वास्थ्य निरीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांगरमऊ जनपद उन्नाव जिनका स्वर्गवास दिनांक 17-6-2000 को हो गया है, के मृतक आश्रित पुत्र श्री पंकज कुमार चौरसिया की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र जिला मुख्य चिकित्साधिकारी उन्नाव के कार्यालय में कब से लम्बित है? उक्त की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सरदार सिंह-

मृतक आश्रित श्री पंकज कुमार चौरसिया के संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, लखनऊ द्वारा नियुक्ति आदेश दिनांक 4-4-2001 को निर्गत कर दिया गया है। अतः श्री पंकज कुमार चौरसिया की नियक्ति हेतु आवेदन पत्र लम्बित होने का प्रश्न नहीं उठता है।

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें द्वारा श्री पंकज कुमार चौरसिया को मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति आदेश दिनांक 4-4-2001 को निर्गत किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी डैम्पियरनगर मथुरा के विरुद्ध शिकायत

32-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या खादी एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खादी ग्रामोद्योग अधिकारी डैम्पियरनगर, जनपद मथुरा के भ्रष्टाचार की जांच कराकर दण्डित करने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी0एम0वि0को0/एम-2/36728/मथुरा/2000, दिनांक 25-8-2000 प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0, शासन खादी एवं ग्रामीण उद्योग को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

खादी एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री राजा राम पाण्डेय)-

जी हाँ।

परिक्षेत्रीय अधिकारी आगरा से जांच कराई गयी। जॉचोपरान्त शिकायतें असत्य एवं निराधार पाई गयी।

बन्द गन्ना क्रय केन्द्र पुसेड़ा जनपद हरदोई के किसानों के हित में चालू करने की मांग

33-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड बिलग्राम का गन्ना क्रय केन्द्र पुसेड़ा बन्द कर दिया गया है जिससे कृसकों को गन्ना अन्यत्र ले जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या शासन उक्त पुसेड़ा गन्ना क्रय केन्द्र को पुनः चालू करायेगा? यदि नही, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

गन्ना क्रय केन्द्र पुसेड़ा मूल सुरक्षण आदेश में पेराई सत्र 2000-2001 में स्वीकृत किया गया। उक्त क्रय केन्द्र पर कम गन्ना उपलब्धता के कारण चीनी मिल द्वारा संचालित नहीं किया गया तथा पास के क्रय केन्द्र मलिहामऊ पर सम्बद्ध कर गन्ना आपूर्ति कराई गयी। कृषकों को गन्ना आपूर्ति में कोई कठिनाई नहीं हुई।

आगामी पेराई सत्र में गन्ना सुरक्षण के अवसर पर ही समस्त संगत परिस्थितियों एवं तथ्यों के आलोक में पुनः निर्णय लिया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

डी0सी0जी0 द्वारा जनपद हरदोई में गन्ना क्रय केन्द्रों से अवैध रूप में गन्ना खरीदने की शिकायत

34-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि गन्ना खरीद संशोधित अधिनियम, 1964 के नियम 33 एवं नियम 96 के अनुसार बिना समिति द्वारा तैनात कर्मी के गन्ना खरीद केन्द्रों पर गन्ने की खरीद नहीं की जा सकती है? यदि हां, तो क्या हरदोई में गन्ना खरीद केन्द्रों पर फैक्ट्री के डी0सी0जी0 हरदोई द्वारा गन्ना खरीदा जा रहा है? यदि हां, क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

किसी भी अधिनियम में नियमों का समावेश नहीं होता है अपितु धाराओं के रूप में प्राविधान होते हैं।

जनपद बलरामपुर चीनी मिल द्वारा गन्ने की ओवर लोडिंग आदि सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मॉग

35-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र विधायक कोष्ठक के पत्र संख्या सी0एम0वि0को0/एम-39027/गोण्डा/2000, दिनांक 30-10-2000 के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है जो जनपद बलरामपुर में चीनी मिल द्वारा गन्ने की ओवर-लोडिंग व दुर्घटना तथा सरकारी संसाधनों की क्षति पहुंचाने तथा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने की जांच के सम्बन्ध में है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी हॉ।

गन्ने की ओवर-लोडिंग ट्रकों के विषय में कार्यवाही का प्रश्न है इस संदर्भ में अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन), उ0प्र0 के पत्र दिनांक 02 सितम्बर, 2000 एवं अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन), उ0प्र0, के पत्र दिनांक 03 नवम्बर, 1998 द्वारा गन्ने के परिवहन में लागू अधिकतम भार सीमा को इसके ढाये जाने में विघ्न न आने तक शिथिलता प्रदान की गई है। अत: इस सन्दर्भ में कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता। जहॉ तक ट्रकों से सरकारी संसाधनों को क्षति पहॅुचने का प्रश्न है इस प्रकार का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया। ट्रकों से हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग द्वारा कानूनी कार्यवाही की गयी है।

जनपद जौनपुर सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्रश्नकर्त्ता द्वारा मंत्री को भेजा गया पत्र

36-श्री अफजाल अहमद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 9-1-2001 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आजमगढ़ के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के कतिपय स्टाफ द्वारा की गयी अनिययमिता व भ्रष्ट्राचार की रिपोर्ट

37-श्री बी0आर0वर्मा-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के छठवें बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-24 व 165के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय, आजमगढ़ के आदेश स्था0/डियूटी/मु0चि0/2000-01/100 दिनांक 28-4-2000 द्वारा जो पटल परिवर्तन हेतु आदेश दिया गया था? क्या उक्त आदेश का अनुपालन कर लिया गया है? यदि नही, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हॉ।

जी नही।

इस सम्बन्ध में छानबीन की जा रही है।

जनपद आगरा में वर्ष 1990-2000 तक समाज कल्याण बिभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति विवरण में अनियमितता की शिकायत

38- विजय पाल सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद आगरा में वर्ष 1990-2000 के मध्य छात्रवृत्ति, मातृत्व लाभ योजना के धन के दुरूपयोग की जांच करायी गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद में उक्त धन के दुरूपयोग के लिए चिन्हित विद्यालयों की सूची सदन के पटल पर रखेगी? यदि नही, तो क्यों?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

जी हां। मातृत्व लाभ योजना पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग छात्रवृत्ति योजना में धन का दुरूपयोग होना नहीं पाया गया। अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना में धन के दुरूपयोग के लिए 45 विद्यालय चिन्हित किए गए है।

जी हां। सूची संलग्न है।

प्रश्न नही उठता।

(देखिएनत्थी 'क' आगे पृष्ठ [illegible] पर)

प्रदेश के इजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश फीस अधिक लेने का मा0 उच्च न्यायालय का विचाराधीन प्रकरण

39-श्री दीपलाल भारती-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि उच्चतम न्यायालय ने उन्नीकृष्णन बनाम स्टेट आफ आन्ध्र प्रदेश के मुकदमें में इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश हेतु फीस अधिक लेने पर प्रतिकूल टिप्पणी या आदेश जारी किया था? यदि हां, तो क्या वर्ष 1998, 1999, 2000 में छात्रों से बढ़ी हुई वसूल की गयी फीस की धनराशि को वी0एस0ए0 कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी मथुरा तथा प्रदेश के अन्य सभी इंजीनियरिंग कालोजों द्वारा छात्रों को वापस कर दी गयी है? यदि नही, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा उन्नीकृष्णन जे0पी0 बनाम स्टेट व अन्य में दिये गये निर्णय के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा कुलपति, रूड़की विश्वविद्यालय, रूड़की

की अध्यक्षता में शुल्क निर्धारण के लिए राज्य स्तरीय समिति गठित की गयी। उक्त समिति की अनुशंसाओं पर निरूशुल्क एवं सशुल्क ताथा एन0आर0आई0 सीटों के सबंध में शासनादेश दिनांक 30 जुलाई, 98 द्वारा शिक्षण व अन्य शुल्क निर्धारित किये गये, जिसके संबंध में मा0 उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ तथा इलाहाबाद में छात्रों द्वारा दायर याचिकायें लंबित हैं, और जिनमें कतिपय स्थगन आदेश भी पारित किये गये हैं। संपूर्ण प्रकरण सम्प्रति उच्च न्यायालय के विचाराधीन है मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में दि0 9 अक्टूबर, 98 में शासनादेश भी जारी किया गया।

40-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

[2 सरे शुक्रवार में अता0प्र0स0-169 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में पर्चा बनवाने के शुल्क औषधि शुल्क में मिश्रण एवं शुल्क वृद्धि घटाने की मांग

41-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में परचा बनवाने का चिकित्सा शुल्क ग्रामीण क्षेत्र में एक रूपया एवं शहरी क्षेत्र में दो रूपया निर्धारित किया गया है? क्या इन अस्पतालों में औषधियों का घोर अभाव है? क्या सरकार जनहित में वह शुल्क वृद्धि वापस लेने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी हॉ।

धन की उपलब्धता के अनुसार औषधियों की व्यवस्था की जाती है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कारगिल युद्ध में विधान सभा क्षेत्र मल्लावां हरदोई के शहीदों के परिवार को पुनर्वास एवं आर्थिक सहायता की मांग

42-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित कितने सैनिक कारगिल युद्ध में शहीद हुये है? क्या उनके परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था की तथा आर्थिक सहायता देने के साथ परिवार के सदस्यों को सेवायोजित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

कोई नहीं।

जी नहीं।

चूँकि उक्त क्षेत्र से कारगिल युद्ध में कोई सैनिक शहीद नहीं हुआ, इसलिए पुर्वास की व्यवस्था, आर्थिक सहायता को सेवायोजित किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामनरेश त्रिपाठी मेहमदपुरधनी जनपद फर्रूखाबाद के पुत्र को प्लस पोलियो ड्राप पिलाये जाने के बाद विकलांग हो जाने की शिकायत

43-श्री विजय पाल सिंह-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फर्रुखाबाद के गॉव महमदपुर धनी निवासी राम नरेश का चार वर्षीय पुत्र उपेन्द्र कई चरणों में पल्स पोलियों की खुराक पीने के बाद भी विकलॉग हो गया है? यदि हॉ तो सरकार द्वारा चलाये गये पल्स पोलियों अभियान में ऐसे और कितने प्रकरण प्रकाश में आये हैं?

श्री सरदार सिंह-

जॉचोपरान्त यह मामला पोलियो खुराक पीने के बाद विकलांगता का नहीं पाया गया तथा बच्चों की विशेषज्ञता वाले चिकित्सक की राय में बच्चे में कोई विकलांगता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहॉपुर, जिला चिकित्सालय के निर्माण में अनियमितता सम्बन्धी शिकायती-पत्र

44-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 13-5-2000 जो 300 शैयायुक्त जिला चिकित्सालय शाहजहांपुर में हो रहे निर्माण कार्य में की जा रही अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में था, मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार इसकी जॉच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

माननीय सदस्य का इस विषय में पत्र दिनांक 13-5-2000 प्राप्त नही हुआ है, बल्कि एक अन्य पत्र दिनांक 19-7-2000 जो कि मा0 मुख्य मंत्री जी को पृष्ठांकित है, प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच कराई गई। जांच में निर्माण में उपयोग की गई सामग्री मानक के अनुरूप पाई गई।

प्रश्न नही उठता।

जनपद उन्नाव, तहसील बीघापुर के मुख्यालय में नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की माँग

45-श्री कृपा शंकर सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील बीघापुर मुख्यालय पाटन, जिला उन्नाव में नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु बजट में आठ लाख सोलह हजार रूपये का प्राविधान किया गया है? यदि हां, तो क्या प्राविधानित धन भवन निर्माण हेतु अवमुक्त किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा?

श्री रमापति शास्त्री-

जिला योजना के अन्तर्गत रू0 8.16 लाख का बजट प्राविधान किया गया था।

जी हॉ। प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2000-2001 में रू0 7.30 लाख की धनराशि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटन के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत की गयी है।

जिला योजना के अन्तर्गत समुचित धनराशि उपलब्ध होने पर।

प्रदेश में खण्ड विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण नीति की जानकारी व जनपद, खण्ड अधिकारी जलालपुर के पक्ष में इसके अनुपालन की मॉग

46-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खण्ड विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई नीति बनाई गयी है? यदि हां, तो वह क्या है? क्या यह सही है कि जनपद

जौनपुर के खण्ड विकास अधिकरी जलालपुर का वर्ष 2000 मे तीन बार स्थानान्तरण किया गया है जबकि वि0 खण्ड मुफ्तीगंज मे सात सालों से लगातार एक ही खण्ड विकास अधिकारी कार्यरत हैं? यदि हां, तो ऐसा क्यो?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

खण्ड विकास अधिकारियो के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अलग से कोई नीति नहीं बनाई जाती है। कार्मिक विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी स्थानान्तरण नीति, खण्ड विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण पर भी लागू होती है। वर्ष 2000-2001 के लिए कार्मिक विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति संख्या-1/3/96-का-4/2000, दिनांक 30-6-2000 की छाया प्रति संलग्न है।

जी नही। विकास खण्ड जमालपुर में भी अजीत कुमार सिंह दिनांक 18-7-98 में दिनांक 19-7-2000 तक श्री माधव चन्द्र भट्टाचार्य दिनांक 19-7-2000 से दिनांक 8-1-2001 तक खण्ड विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे। विकास खण्ड मुफ्तीगंज में कोई भी खण्ड विकास अधिकारी सात सालों से लगातार कार्यरत नहीं है।

प्रश्न नही उठता।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ---पर।)

ग्राम-डीहा विकास खण्ड मेहनगर जनपद आजमगढ़ में 1997-2000 तक स्वीकृत इन्दिरा आवास एवं उनके निर्माण की जानकारी

47-श्री रामजग-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-डीहा ब्लाक मेहनगर जनपद आजमगढ़ में वर्ष 197-98, 1998-99 तथा 19999-2000 में कुल कितने इन्दिरा आवास स्वीकृत हुए हैं? इन्दिरा आवासों के निर्माण कार्य पूरा न होने के क्या कारण हैं? लाभार्थियों के इन्दिरा आवास का निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

ग्राम-डीहा ब्लाक मेहनगर जनपद आजमगढ़ में वर्ष 1997-98 तथा 1999-2000 में कोई इन्दिरा आवास स्वीकृत नही थे जबकि वर्ष 1998-99 में कुल 40 इन्दिरा आवास स्वीकृत थे।

तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा लाभार्थियों को विश्वास में लेकर चेक से धन आहरित कराकर धन हड़प लिया गया एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा प्रथम किस्त की धनराशि के उपयोग की गलत सूचना देने के कारण इन्दिरा आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण नही हो सका।

तत्कालीन ग्राम प्रधान, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी (पं) के विरूद्ध प्राथिमिकी दर्ज करायी गई है। अभियोजन में दोष सिद्ध होने के पश्चात ही निर्माण कार्य पूर्ण कराने की कार्यवाही की जायेगी।

उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर के वैज्ञानिकों को पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने की मांग

48-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह"मुन्ना"-

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 4-5-2000 जो उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर के वैज्ञानिकों को पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने के विषय में था, प्राप्त हुआ है? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मा0 विधायक का पत्र प्राप्त हुआ किन्तु उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जहां तक उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद के वैज्ञानिकों को पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने का मामला है, वह शासन के विचाराधीन है।

जनपद बस्ती के अन्तर्गत अनुदान की सूची में आने वाले विद्यालयों का विवरण एवं अनुदान के भुगतान की जानकारी

49-श्री रूप चौधरी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 में जनपद बस्ती के किन-किन प्रामइरी विद्यालयों को अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किया गया था? किन-किन विद्यालयों को अभी तक उसका भुगतान नही किया गया है? क्या उन्हें इस वित्तीय वर्ष में अनुदान की धनराशि का भुगतान किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

वित्तीय वर्ष 1999-2000 में जनपद बस्ती में आदर्श, प्राइमरी पाठशाला टेहरा ऊँच गांव, आदर्श प्रा0 पाठशाला दसौली परसाजाफर, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर गांधीनगर, धौरूखोर दयानन्द सरस्वती विद्या केन्द्र प्रा0पा0 रामकाल्ननगर महादेवानगर लालगंज एवं रामदास भगवानदास प्रामइमरी पाठशाला मुस्तफाबाद बैली बस्ती को एक बार अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किया गया था।

अनावर्तक अनुदान पर स्वीकृत किसी विद्यालय को भुगतान नहीं किया गया है।

जी नहीं।

शासनादेश दिनांक 21-5-99 द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण न किये जाने कारण इन विद्यालयों को स्वीकृत अनावर्तक अनुदान की धनराशि वर्ष 1999-2000 में ही समर्पित कर दी गयी थी। अतः उसका भुगतान संभव नहीं है।

जनपद गोण्डा के कतिपय विकास खण्डों में सुनिश्चित रोजगार योजना अन्तर्गत अधूरे सम्पर्क मार्गों के निर्माण की माँग

50-श्री राम विशुन आजाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के विकास खण्ड वजीरगंज, मनकापुर, छपिया, नवागंज में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन अधूरे सम्पर्क मार्गों पर कार्य करवाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9-10-2000 मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या दिये गये प्रस्तावों पर कार्य करवाया गया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इस हेतु दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवप्रताप शुक्ल-

जी हॉ।

जी नहीं।

प्रश्नकर्ता से प्राप्त पत्र दिनांक 9-10-2000 में दिये गये प्रस्तावों को संबंधित विकास खण्डों द्वारा क्षेत्र पंचायत स्तर पर तैयार की गयी वार्षिक कार्य योजना में शामिल कर उन पर कार्य कराने हेतु अध्यक्ष, जिला पंचायत गोण्डा से अनुमोदन भी प्राप्त किया जा चुका है, जिस पर आगामी वित्तीय वर्षों में धन की उपलब्धता के अनुसार पूर्ण कराये जाने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1998 में मलेरिया निरीक्षक के पद पर भर्ती हेतु हुयी लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित किये जाने की मांग

51-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने कृपा करेंगे कि वर्ष 1998 में समूह "ग" के अन्तर्गत मलेरिया निरीक्षक की नियुक्ति हेतु हुई लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है? यदि नहीं, तो उक्त परीक्षा का परिणाम कब तक घोषित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हाँ। दिनांक 15 मई, 2000 को उक्त परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर, ब्लाक लालगंज के ग्राम पतुलकी में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने सम्बन्धी-पत्र

52-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसियेशन (उपजा) के जिला अध्यक्ष श्री शशि भषूण दुबे, शिवमूर्ति नगर (लालगंज) मिर्जापुर का पत्र मूल रूप में प्रमूख सचिव, स्वास्थ्य, उ0प्र0 को श्री अखिलेश सिंह, विधायक द्वारा दिनांक 3 अक्टूबर, 1998 को भेजा गया है? यदि हां, तो प्रश्नगत पत्र के आधार पर मिर्जापुर जिले के लालगंज ब्लाक के पतुलकी ग्राम में आयुर्वेदिक चिकिसत्सालय खोले जाने के लिए शासन/विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता किन्तु मिर्जापुर जिले के लालगंज ब्लाक में पतुलकी ग्राम में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोले जाने के लिये जिला योजना के नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है अत: कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

शेष का प्रश्न नहीं है।

53-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद मुरादाबाद, जिला प्रोवेशन अधिकारी द्वारा अनियमितताओं की जाँच की माँग

54-श्री विजय पाल सिंह-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला प्रावेशन अधिकारी, मुरादाबाद के विरूद्ध अन्य अनियमितताओं सहित विधवाओं को पेंशन स्वीकृत कर शासकीय धनराशि के गवन आदि आरोपों के साथ वर्ष 1999-2000 में आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल द्वारा आरोप-पत्र विभाग को भेजा गया है? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? क्या दोषी अधिकारी को निलम्वित करते हुये उसके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

जांच के निर्देश दिए जा चुके हैं।

जी नहीं।

आवश्यकता नहीं पाई गई।

राजकीय संप्रेक्षण गृह रायबरेली के सहायक अधीक्षक के वेतन आहरण का मामला

55-श्री विजय पाल सिंह-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे क्या रायबरेली में संचालित राजकीय संप्रेक्षण गृह के सहायक अधीक्षक द्वारा वर्तमान में उपस्थित पंजिका में उपस्थिति दर्ज की जा रही है? यदि नहीं, तो उनका वेतन किस नियम के आधार पर आहरित किया जा रहा है? क्या इसके लिये दोषी के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

जी हॉ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहींउठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर, के कतिपय विकास खण्डों में निर्मित आवासों व उसके आवंटन की जानकारी

56-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड लालगंज, पटेहरा काठी, हलिया तथा छानवें में वित्तीय वर्ष 1995-96 से 1999-2000 तक कुल कितने आवास कोल आवास/निर्बल वर्ग आवास/इन्दिरा आवास बनवाये गये हैं? क्या यह सही है कि प्रश्नगत क्षेत्रों में आवासों के आवंटन में अपात्र व्यक्तियों को आवास स्वीकृत किये गये हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी लाभर्थियों के संबंधित तहसीलदारों से प्राप्त आय प्रमाण-पत्र की पुन: जांच करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड लालगंज पटेहराकाठी, हलिया तथा छानवे में वर्ष 1995-96 से 99-2000 तक निर्मित आवासों का विवरण निम्नवत है:-

विकासखण्ड	निर्मित आवासों की संख्या		
	कोल आ0	निर्बल वर्ग आ0	इंदिरा आ0
लालगंज	--------	89	1043
पटेहराकाठी	--------	297	1661
हलिया	599	898	1071
छानवे	--------	212	928

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सुनिश्चित रोजगार योजन के अन्तर्गत जनपद मिर्जापुर में शासकीय निर्देश के अनुसार कार्य होने की जानकारी की मांग

57-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 22 सितम्बर, 1999 को निर्गत शासनादेश में सुनिश्चित रोजगार योजना से प्राप्त धन का 70 प्रतिशत क्षेत्र पंचायत निधि तथा 30 प्रतिशत जिला पंचायत

को दिये जाने का कोई निर्देश जिलाधिकारियों को दिया गया है? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत शासनादेश का अनुपालन मिर्जापुर जिले में किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हॉ।

जी हॉ।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के राजकीय मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के आदेशानुसार चिकित्साधिकारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रकरण

58-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ के आदेश संख्या-35 वि0/सेक-4/इकहत्तर/2000-1142/98 दिनांक 20-7-2000 द्वारा दो प्रवक्ताओं को फैजाबा द व गाजीपुर तथा आदेश संख्या 2608/सेक-4/इकहत्तर/99/891/96, दिनांक 10-11-1999 द्वारा आजमगढ़ स्थानान्तरित आवासीय चिकित्साधिकारी स्थानान्तरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त लखनऊ में ही रह रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर कर्तव्य दायित्व के निर्वहन में कोताही करने वाले चिकित्साधिकारियों को दण्डित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी नहीं।

राजकीय मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज लखनऊ द्वारा कोई स्थानान्तरण आदेश निर्गत नहीं किया गया था बल्कि शासनादेश सं0 बी-35/सेक-4/71/2000-1142/98 दिनांक 20 जुलाई, 2000 द्वारा प्रशांसनिक आधार पर राजकीय मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ के दो प्रवक्ताओं डा0डी0एन0 सिंह तथा डा0पी0एन0 मिश्रा को क्रमश: गाजीपुर होम्योमेडिकल कालेज, गाजीपुर तथा डा0 बृजकिशोर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज फैजाबाद स्थानान्तरित किया गया था। शासनादेश सं0 2608/सेक-4/71-99-891/96 दिनांक 10 नवम्बर, 1999 द्वारा डा0 एस0पी0 सिंह आवासीय चिकित्साधिकारी, राजकीय मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज लखनऊ को राजकीय श्री दुर्गा जी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, चण्डेश्वर, आजमगढ़ स्थानान्तरित किया गया था। इन तीनों अधिकारियों द्वारा अपना कार्यभार स्थानान्तरित स्थान पर ग्रहण किया जा चुका है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार डा0एस0पी0 सिंह, हृदयरोग से ग्रसित होने के कारण एस0जी0पी0 जीआई0, लखनऊ में उपचार हेतु चिकित्सा अवकाश पर है। इनके अतिरिक्त दोनों प्रवक्ता अपनी नई तैनाती के स्थान पर ही निवास करते है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य विभाग के निदेशको/महानिदेशको द्वारा पद धारण के बाद अर्जित की गयी उनकी चल अचल सम्पत्ति की जांच की मांग

59-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में ऐसे कितने निदेशक, महानिदेशक हैं जिन्होंने सेवा में आने के बाद अपनी चल अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत किया है? क्या

यह सही है कि उक्त में से अधिकतर निदेशक/महानिदेशकों की चल अचल सम्पत्ति में अत्यधिक वृद्धिहुई है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के आय के स्रातों की जांच करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

सूचना एकत्र की आ रही है।

जनपद गोण्डा में 1999 से 2001 तक अग्निकाण्ड से पीड़ित व्यक्तियों एवं उनकी दी गई सहायता धनराशि की जानकारी

60-श्री राम विशुन आजाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बनायेंगे कि जनपद गोण्डा में कितने अग्नि पीड़ित व्यक्तियों को वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 में इन्दिरा आवास आवंटित किये गये है? क्या विकास खण्ड नवाबगंज जनपद गोण्डा के रूदापुर गांव में अग्नि पीड़ित व्यक्तियों के इन्दिरा आवासों का निर्माण कराया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जनपद गोण्डा में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में कुल 65 तथा वर्ष 2000-20001 में कुल 34 अग्नि पीड़ित व्यक्तियों को इन्दिरा आवास आवंटित किये गये है।

जी नहीं।

खण्ड विकास अधिकारी नवाबगंज को रूदापुर ग्राम में अग्निपीड़ित व्यक्तियों के आवास निर्माण हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था।

जनपद गोण्डा की मनकापुर तहसील में महिला अस्पताल खोलने की मांग

61-श्री राम विशुन आजाद-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के मनकापुर तहसील मुख्यालय खोलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसका निर्माण कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में भिक्षुक पुनर्वास योजना लागू किये जाने की मांग

62-डा0 ज्ञानवती सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने भिक्षुक गृह संचालित हैं और उनमें कितने भिक्षुक निरूद्ध हैं? निरूद्ध भिक्षुकों को पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किये गये हैं? अब तक कितने भिक्षुकों को पुनर्वासित किया गया है?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 8 भिक्षुक गृह संचालित हैं। भिक्षुक गृह आगरा में 10, मथुरा में 15 तथा वाराणसी में 38 भिक्षुक निरूद्ध हैं। शेष भिक्षुक गृहों में निरूद्ध भिक्षुकों की संख्या शून्य हैं।

भिक्षुक गृहों में निरूद्ध भिक्षुकों को शिक्षित कर बुनाई, बेतकला, सिलाई-कढ़ाई, बैण्ड, चर्मकला उद्योग से सम्बन्धित प्रशिक्षण देकर स्वावलम्बी बनाया जाता है।

अब तक मात्र दो भिक्षुकों को पुनर्वासित किया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य मेडिकल फैकल्टीज लखनऊ में सहायकों के आरक्षित पदों की जानकारी एवं भरे जाने की मांग

63-श्री राम जग-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ में कुल कितने पद वरिष्ठ सहायकों के स्वीकृत हैं? उनमें कितने पद आरक्षित श्रेणी के हैं? क्या उन आरक्षित पदों पर नियुक्तियां कर ली गई हैं?यदि नहीं तो क्यों? आरक्षित पदों पर नियुक्तियां कब तक कर ली जायेगी?

श्री रमापति शास्त्री-

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में वरिष्ठ सहायक के पॉच पद स्वीकृत है जिनमें से एक पद आरक्षित श्रेणी का है।

जी नही।

प्रश्नगत पद पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्ड पीठ द्वारा दिनांक 15.12.2000 को पारित स्थगनादेश के कारण प्रोन्नति नहीं की जा सकी है।

मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय/आदेश दिनांक 15.12.2000 को स्पष्ट कराने हेतु पुनर्विचार याचिका दायर की गयी है जिसमें निर्णय होने पर आरक्षित रिक्त के विरूद्ध प्रोन्नति की कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

सेंट्रल कौंसिल आफ हेल्थ एण्ड फेमली वेलफेयर के निर्णय अनुसार लीगल तथा मानीटरिंग सेल गठित करने की जानकारी

64-श्री काशीनाथ-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि सेंट्रल कौंसिल आफ हेल्थ एण्ड फैमिली वेलफेट की दिनांक 3 फरवरी, 1989 को विज्ञान भवन दिल्ली में हुये सम्मेलन में लिये गये निर्णय के पैरा-3 में प्रीवेन्सन आफ फूड अडल्ट्रेशन के संबंध में राज्यों को एक अलग निदेशालय, लीगल सेल तथा मानीटरिंग सेल गठित किये जाने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उ0प्र0 सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हॉ।

राज्य सरकार के सीमित संसाधनों को देखते हुए पृथक खाद्य अपमिश्रण निवारण निदेशालय का गठन किया जाना उचित नहीं पाया गया। जन विश्लेषक प्रयोगशाला एवं इन्फोर्समेन्ट के सुदृढ़ीकरण हेतु विश्व बैंक पोषित कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जा चुकी है।

प्रश्न नही उठता।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान हेतु बजट में आवंटित धनराशि का विवरण

65-डा0 सरजीत सिंह डंग-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में आयोजनेत्तर एवं आयोजनागत मदों में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान हेतु बजट में कितने धन का प्राविधान किया गया था और कितना आवंटित हुआ? क्या बजट में पारित सम्पूर्ण धनराशि उक्त वित्तीय वर्षों में संस्थान को उपलब्ध कराई गई? यदि हां, तो कब-कब? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

वित्तीय वर्ष 1999-2000 में आयोजनेत्तर मद में प्राविधानित रू0 2700.00 लाख के सापेक्ष रू0 2700.00 लाख तथा आयोजनागत मद में प्राविधानित रू0 1800.00 लाख के सापेक्ष रू0 1200.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2000-2001 में आयोजनेत्तर मद में कुल प्राविधानित धनराशि रू0 3392.65 लाख के सापेक्ष रू0 3392.65 लाख तथा आयोजनागत मद में प्राविधानित रूपया 1800.00 लाख के सापेक्ष रूपया 1800.00 लाख का आवंटन किया गया।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश की कठिन आर्थोपाय स्थिति के कारण सम्पूर्ण धनराशि नहीं उपलब्ध करायी जा सकी।

लखनऊ में स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारियों के स्थानान्तरण की मॉग

66-श्री विजय पाल सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में ऐसे कितने चिकित्साधिकारी हैं जो पिछले हैं जो पिछले 10 वर्ष से अधिक समय से लखनऊ में ही कार्यरत हैं? क्या उक्त चिकित्सकों में से कुछ अन्य जनपदों में स्थानान्तरित होने के बाद पुन: जनपद लखनऊ में सम्बद्ध कर दिये गये हैं? लम्बी अवधि से तैनात व सम्बद्ध चिकित्सकों को जनपद लखनऊ में बनाये रखने का क्या औचित्य है? क्या उक्त सम्बद्ध चिकित्सकों को उनके जनपदों में मूल पद पर भेजा जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

वर्तमान में जनपद लखनऊ में होम्योपैथी विभाग में एक चिकित्साधिकारी तथा आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग में 14 चिकित्साधिकारी विगत 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत है।

जी नहीं।

सरकारी अधिकारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्रसारित नीति के अन्तर्गत लखनऊ में तैनात अधिकारियों के लिए 10 वर्ष से अधिक अवधि के बाद स्थानान्तरित किये जाने की अनिवार्यता नहीं है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश द्वारा समस्त विकास अधिकारियों को भेजे गये निर्देश

67-श्री राम विशुन आजाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में सुनिश्चित रोजगार योजना के मार्ग निर्देश हेतु आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के पत्रांक आर-2-560/वि0को0/ग्रामीण रोजगार/99, दिनांक 7-2-2000 द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को आदेश प्रेषित किया गया है? यदि हां, तो क्या दिये गये मार्ग निर्देशों को अनुपालन जनपद गोण्डा में किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हॉं।

जी हॉं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पंचायतों में इन्दिरा आवास एवं अन्य योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिलने हेतु, नियमों में शिथिलता बनाने की मांग

68-श्री राम विशुन आजाद तथा श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या ग्राम विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव पर ही इन्दिरा आवास एवं अन्य योजनाओं का लाभ दिये जाने के अधिकतर पात्र व्यक्तियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार क्षेत्रीय समानता को देखते हुये नियमों को शिथिल कर इस कार्य में क्षेत्रीय विधायकों से प्रस्ताव/परामर्श लिये जाने की व्यवस्था करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी नहीं। इन्दिरा आवास योजना में लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में किया जाता है।

जिला विकास अभिकरण (डी0आर0डी0ए0) की शासी निकाय द्वारा ग्रामवार लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, जिसमें जनपद के मा0 सांसद एवं मा0 विधायकगण सदस्य होते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

69-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

[दिनांक 25-4-2001 को अता0प्र0सं0-94 द्वारा उत्तरित]

जनपद शाहजहाँपुर के जिला प्रोवेशन अधिकारी द्वारा लम्वित विधवा पेंशन के स्वीकृत की जानकारी

70-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2001 के छठे बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 141 के उत्तर के संदर्भ में क्या महिला एवं बाल मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिन 633 पात्र अभ्यर्थियों को पेंशन नहीं स्वीकृत हो पायी है? क्या उन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में पेंशन स्वीकृत की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

प्रश्नगत आवेदन-पत्रों पर पेंशन स्वीकृत करने की कार्यवाही ग्राम पंचायतों द्वारा की जानी है जो पात्र विधवाओं की मृत्यु अथवा वर्तमान लाभार्थियों में अन्य प्रकार से अपात्रता के कारण निरस्त हुये लाभार्थियों के स्थान पर ही संभव हो सकेगी। अत: निश्चित समय सीमा इंगित किया जाना सम्भव नहीं है।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में शासी निकाय में श्री आर0डी0शर्मा की अनियमित पदोन्नति की शिकायत

71-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संस्थान की शासी निकाय द्वारा निर्धारित सभी अर्हताओं को पूरा करने वाले वरिष्ठ अवर अभियन्ता (सिविल) श्री पी0के0 गुप्ता को सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति प्रदान कर दी गई है? क्या यह सही है कि श्री आर0डी0 शर्मा, संस्थान के शासी निकाय द्वारा प्रोन्नति तिथि दिनांक 3-1-97 को वांछित न्यूनतम अनुभव का मापदण्ड पूर्ण नहीं करते थे? यदि हां, तो क्या इसके लिए दोषी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी? यदि नही, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

संस्थान की विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा "मेरिट की-सी नियरटी"" के आधार पर एक पद हेतु 04-अर्ह कर्मियों के नामों पर विचार किया गया, जिसमें पी0के0 गुप्ता को उपयुक्त नहीं पाया गया।

प्रोन्नति तिथि 3.1.97 वहीं अपुति 10.2.97 है। प्रोन्नति तिथि को श्री आर0डी0 शर्मा संस्थान द्वारा निर्धारित अर्हता पूर्ण करते थे।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में एक अतिरिक्त निदेशक के पद पर प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नियुक्ति की पूर्व परम्परा को जारी रखने की मांग

72-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में पूर्व में एक अतिरिक्त निदेशक के पद पर आई0ए0एस0 अधिकारी नियुक्त किया जाता था? यदि हां, तो क्या यह सही है कि विगत कई वर्षों में उक्त आई0ए0एस0 अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई? यदि हां, तो ऐसा क्यों? क्या सरकार उक्त पद पर आई0ए0एस0 अधिकारी की नियुक्ति किये जाने हेतु आदेश देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी हॉ।

जी हॉ।

शासन द्वारा आई0ए0एस0 अधिकारियों की नियुक्ति उनकी उपलब्धता को देखते हुए किया जाता है।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

जनपद कुशीनगर में गन्ना विभाग में रिक्त अवर अभियन्ता के पद को भरे जाने की मांग

73-श्री दीपलाल भारती-

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कुशीनगर में गन्ना विभाग में अवर अभियन्ता के पद रिक्त चल रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार वहां अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी हां।

गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, के आदेश संख्या-273/सी दिनांक 17-4-2001 द्वारा दो अवर अभियन्ताओं को स्थानान्तरण कर नियुक्त किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

चीनी मिल तिलहर जनपद शाहजहांपुर में महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न की शिकयत

74-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13-5-2000 या इसके आसपास जो चीनी मिल तिलहर में महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी हां।

किसान सहकारी चीनी मिल, तिलहर में मृतक आश्रित महिला कर्मचारियों को आफ-सीजन की अवधि में 4 माह हेतु स्वीकृति पर लिये जाने के लिए संचालन मण्डल द्वारा दिनांक 20-6-95 में प्रस्ताव पारित किया गया था। उक्त के अनुपालन में पेराई सत्र 99-2000 में दिनांक 13 अप्रैल, 2000 को समाप्त होने के उपरान्त अप्रैल, 2000 के अन्तिम दिनों से अब तक सभी 6 मृतक आश्रित महिलाओं को लगातार

प्रत्येक माह में स्वीकृति के आधार पर कार्य लिया जा रहा है। अत: महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न की शिकायत निराधार है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मानसिक रोग चिकित्सालय खोलने की मांग

75-श्री विजय पाल सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने मानसिक रोगी चिकित्सालय हैं? क्या सरकार मानसिक रोगी चिकित्सालयों की कमी को देखते हुये नये मानसिक रोग चिकित्सालय खोलने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कहां-कहां और कितने? यदि नहीं, तो क्यों?

प्रदेश में वाराणसी एवं बरेली में मानसिक चिकित्सालय तथा आगरा में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के समस्त मेडिकल कालेजों में भी मानसिक रोग विभाग स्थापित हैं।

ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मानसिक रोग चिकित्सा हेतु पर्याप्त चिकित्सालय उपलब्ध हैं।

जनपद गोण्डा, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड के अवर अभियन्ता द्वारा सम्पर्क मार्ग के निर्माण में कार्यवाही की मॉग

76-श्री राम विशुन आजाद-

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभि0 सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड के अवर अभियन्ता श्री आर0पी0 सोनकर द्वारा विकास खण्ड मनकापुर में नीरेपुर सम्पर्क मार्ग पर मानक के अनुसार कार्य न करवा कर शासकीय धन का दुरूपयोग किया गया है? क्या इस संबंध में अधिशासी अभियन्ता ग्रा0अ0 सेवा प्रखण्ड गोण्डा ने पत्रांक 368/ग्रा0अ0से0/निशा/97-98 दिनांक 28-4-98 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता ग्रा0अ0सेवा0 प्रखण्ड फैजाबाद को अपनी जांच रिपोर्ट भेजी है? यदि हां, तो उक्त जांच रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री [illegible]-

जी नहीं।

जी नहीं।

जांचोपरान्त अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, परिमण्डल-फैजाबाद के आदेश दिनांक 30-6-99 द्वारा माप पुस्तिका में चैनेज अंकित न करने के कारण श्री आर0पी0 सोनकर, अवर अभियंता को निन्दा प्रविष्टि दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला कार्यक्रम अधिशासी लखनऊ एवं उनके स्टाफ के विरूद्ध मिलने वाली शिकायतों की जानकारी एवं उन पर कार्यवाही की मांग

77-श्री दीपलाल भारती-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कार्यक्रम अधिकारी लखनऊ व उनके स्टाफ के विरूद्ध कितने जन प्रतिनिधियों की शिकायतें विगत एक वर्ष में प्राप्त हुई हैं? उन शिकायतों पर जांचोपरान्त क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

जिला कार्यक्रम अधिकारी, लखनऊ व उनके स्टाफ के विरूद्ध विगत एक वर्ष में 04 जनप्रतिनिधियों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ से जांच करायी गयी। जांच में शिकायतें निराधार व असत्य पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग के चिकित्सकों द्वारा फर्जी एल0टी0सी0 भविष्य निधि से भुगतान प्राप्त करने पर कार्यवाही की मांग

78-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा श्री विजय पाल सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग में ऐसे कितने चिकित्सक है जिनके विरूद्ध फर्जी रूप से एल0टी0सी0 (अवकाश यात्रा) तथा भविष्य निधि से अवैधानिक रूप से पात्र न होते हुये उन्हें कई-कई बार भुगतान किया गया है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ऐसे चिकित्सकों के विरूद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? क्या संबंधित के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने पर विचार किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गोण्डा के महिला चिकित्सालय सदर में दस साल से अधिक समय से कार्यरत महिला चिकित्सकों के स्थानान्तरण की मांग

79-श्री राम किशुन आजाद-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के जिला महिला अस्पताल में दस वर्षों से कार्यरत चिकित्सकों का स्थानान्तरण किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

स्थानान्तरण, कार्मिक विभाग के स्थानान्तरण नीति सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल. 2001 की परिधि में ही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम डभौरा जिला शाहजहांपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन एवं कर्मचारियों के आवास के निर्माण की मांग

80-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-11-97 को या इसके आसपास जो ग्राम डभौरा जिला शाहजहांपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भवन व कर्मचारी आवास निर्माण कराने के सम्बन्ध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

पत्र दिनांक 24.11.97 मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ, परन्तु इससे पूर्व महामहिम राजयपाल महोदय को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का एक पत्र 222865 परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, शाहजहांपुर के पत्र दिनांक 26.04.97 के साथ प्राप्त हुआ था।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण उक्त पत्र पर कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के जिला अधिकारी को जिला योजना में प्राप्त धनराशि का विवरण

81-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या वस्त्रोद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि कार्यालय जिला रेशम अधिकारी शाहजहांपुर को उ0प्र0 शासन का जिला योजना से 1 अप्रैल, 1998 से दिसम्बर 2000 तक प्रत्येक वर्ष में कितनी-कितनी धनराशि किन-किन मदों में प्राप्त हुई? प्राप्त धनराशि से कौन-कौन से कार्य कराये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री हरिशंकर तिवारी)-

जिला रेशम अधिकारी, शाहजहॉपुर को वित्तीय वर्ष 1998-99, वित्तीय वर्ष 1999-2000 वित्तीय वर्श 2000-2001 के दिसम्बर 2000 का उत्तर प्रदेश शासन तथा जिला योजनान्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्राप्त हुई

आयोजनेतर पत्र

मद	वर्ष में उपलब्ध करायी गयी धनराशि रूपये में।		
	98-99	99-2000	दिसम्बर 2000
1	2	3	4
मजदूरी सामग्री एवं	185572/-	165000/-	-
सम्पूर्ति	8220/-	-	-
कार्यालय व्यय किराया	9650/-	-	-
उप शुल्क एवं कर			
स्वामित्व	2000/-	-	-
टेलीफोन व्यय	-	-	1500/-
जिला योजना-			
मजदूरी	105660/-	160000/-	103000/-
मशीन सज्जा	20000/-	-	-
अनुरक्षण	58320/-	-	-
सामग्री सम्पूर्ति	35990/-	58000/-	44000/-
कार्यालय व्यय	5000/-	15000/-	10000/-
अन्य व्यय	10760/-	3000/-	-
ट्राइसेस योजना	25000/-	-	-
प्रशिक्षण मानदेय			
पर व्यय	19800/-		
प्रशिक्षण व्यवस्था पर	4450/-		
व्यय	24750/-		
जवाहर रोजगार योजना	37802/-		
मजदूरी	27832/-	-	-

शहतूत पौध क्रय	8750/-	
शहतूत पौध		
	1220/-	
ढलान व्यय	37802/-	
महिला रेशम परियोजना		583800/-
शहतूत पौध क्रय पर व्यय		47570/-
वाहन प्रोपल्सन चार्ज		5000/-
मानदेय प्रसार कार्यकर्ता		12500/-
सुपरवाइजर मानदेय		12000/-
		3425/-
कार्यालय व्यय		80495/-

आयोजनेत्तर एवं जिला योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि से जनपद शाहजहांपुर के राजकीय रेशम फार्मो की पूनिंग,ट्रिमिंग निराई, गुड़ाई, रासायनिक उर्वरक एवं खाद डालना, विशुद्धीकरण, चाकी कीट पालन, सिंचाई, कृषि उपकरण क्रय, पम्पसेट पार्टस क्रय, त्रिपाल क्रय, सिंचाई हेतु डीजल क्रय, चाकी काटपालन हेतु सामग्री क्रय, स्टेशनरी दूरभाष बिल का भुगतान, विद्युत बिल का भुगतान, दुलाई व्यय, फार्म, का लगान व्यय, वाह्य केन्द्र वन्डा के किराये का भुगतान आदि कार्य कराये गये है तथा

ट्रायसेम योजना:-प्रश्नगत योजनान्तर्गत वर्ष 1998-99 में प्राप्त धनराशि रूपये 25000/-से विकास खण्ड पुवाया के ग्राम महमूदपुर सहजनिया, विकास खण्ड निगोही के ग्राम सतुनआ, विकास खण्ड बण्डा के ग्राम बापूपुरवा, विकास खण्ड सिधौली के ग्राम सिधौली, विकास खण्ड मवलखेड़ा के ग्राम दौलपुर आदि के कुल 66 लाभार्थियों को योजनान्तर्गत प्रशिक्षण दिलाया गया। प्रशिक्षणोपरान्त प्रशिक्षकों को मानदेय का भुगतान किया गया। लाभार्थियों को शहतूत वृक्षारोपण, कीटपालन एवं कोया उत्पादन आदि का प्रशिक्षण दिया गया तथा कच्चे माल हेतु शहतूत पौध क्रय, स्टेशनरी, प्रशिक्षण पर व्यय किया गया तथा रेशम कीट पालन सम्बन्धी बुकलेट वितरित की गयी। अवशेष धनराशि रूपये 250/-डी0आर0डी0ए0 को समर्पित कर दी गयी।

जवाहर रोजगार योजना:-प्रश्नगत योजनान्तर्गत वर्ष 1998-99 में प्राप्त धनराशि रूपये 37802/-से शहतूत वृक्षारोपण हेत श्रमिकों से रेशम फार्म पर पौधे लगाना सिंचाई आदि के कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान, व्यक्तिगत नर्सरी से शहतूत पौधे क्रय फार्म गैप फिलिंग, शहतूत पौधे की दुलान एवं पेस्टीसाइड आदि दवाईयों का क्रय किया गया।

महिला रेशम परियोजना;-प्रश्नगत योजनान्तर्गत वर्ष 2000-2001 में प्राप्त धनराशि रूपये 583800/-में से महिला लाभार्थियों की भूमि पर शहतूत वृक्षारोपण कराया गया, जिसके तहत व्यक्तिगत शहतूत नर्सरी से शहतूत पौध क्रय, वाहन प्रोप्सलन चार्जेज, प्रसार कार्यकर्ता का मानदेय रूपये 2500/- प्रतिमाह की दर से तथा सुपरवाईजर का मानदेय, 4000/-प्रतिमाह की दर से भुगतान करने के साथ-साथ कार्यालय के अन्तर्गत स्टेशनरी आदि के क्रय पर व्यय की गयी तथा अवशेष धनराशि रूपये 503305/- है। प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद फतेहपुर क्षेत्र किशनपुर के ग्राम पौली में पानी टंकी के निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

82-श्री मुरलीधर-

क्या सरकार को जानकारी है कि किशनपुर विधान सभा क्षेत्र जनपद फतेहपुर के ग्राम पौली में एक पानी की टंकी निर्माण हेतु स्वीकृत है? यदि हां, तो क्या उक्त टंकी निर्मित करा दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों टंकी का निर्माण कार्य कब तक करा दिया जायेगा?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां।

टंकी का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

टंकी का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा।

जनपद बस्ती, थाना मुन्डेरवा की कुमारी रिम्पा को समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता धनराशि के भुगतान की जानकारी

83-श्री राम ललित चौधरी-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि कुमारी रिम्पा पुत्री श्री सीताराम चमार ग्राम-लहरी थाना मुन्डेरवा जनपद बस्ती द्वारा दिनांक 6-11-99 को दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 0542/99 धारा 376 आई0पी0सी0 3/1/12एस0एसी0एस0टी0 ऐक्ट के उपरान्त सहायता के लिए जो धनराशि समाज कल्याण विभाग बस्ती द्वारा चेक से दी गयी थी क्या वह चेक डिसआनर हो गया था? यदि हां, तो पुनः दूसरा चेक कब दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार सहायता धनराशि शीघ्र दिलायेगी?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

जी हॉ।

दूसरा चेक दिनांक 03-05-2001को दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

सहायता धनराशि भुगतान कर दी गई है।

जनपद कौशाम्बी, विकास खण्ड सरसवां की ऊनों की ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना में कराये गये कार्यो के सत्यापन की जानकारी

84-श्री राजपाल सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड सरसवां की ऊनों ग्राम सभा में श्रीमती माधुरी मिश्रा प्रधान द्वारा वर्ष 1999 से 2001 तक जे0आर0वाई द्वारा कितने विकास कार्य कराये गये है? क्या उपरोक्त विकास कार्यों का स्थलीय परीक्षण कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड सरसावां की ग्राम पंचायत ऊनों की ग्राम प्रधान श्रीमती माधुरी मिश्रा द्वारा वर्ष 1999 से 2001 तक जवाहर रोजगार योजना/जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अन्तर्गत 14 कार्य कराये गये, जैसे:-खड़न्जा, नाली, हैण्ड पम्प अवस्थापना, पड़न्जा, हैण्ड पम्प मरम्मत इत्यादि।

उक्त कार्यो का स्थलीय सत्यापन करा लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर, ब्लाक विजयपुर को सुनिश्चित रोजगार योजना में प्राप्त धनराशि से कार्यो के विवरण की मांग

85-श्री मुरलीधर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री वताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक विजयपुर जनपद-फतेहपुर को सुनिश्चित रोजगार योजना की कितनी धनराशि वर्ष 2000-2001 में प्राप्त हुई है? प्राप्त धनराशि में से कितनी धनराशि अव तक विकास कार्यो में खर्च हुई है तथा कितनी शेष है? क्या यह सही है कि उक्त धनराशि का उपयोग मानक के अनुसार नहीं किया गया? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

विकास खण्ड विजयीपुर जनपद फतेहपुर को सुनिश्चित रोजगार योजना में वर्ष 2000-2001 में मु0 10.815 लाख रू0 की धनराशि प्राप्त हुई। प्राप्त धनराशि में से तीन निर्माण कार्यो की सक्षम तकनीकी अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ करा दिये गये है। प्राक्कलन स्वीकृति के पश्चात प्रारम्भ किये गये निर्माण कार्यो के विरूद्ध अभी तक किसी भुगतान की कार्यवाही न होने के कारण प्राप्त पूरी धनराशि अवशेष है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ मेडिकल कालेज के बालरोग विभाग को आवंटित धनराशि का विवरण

86-श्री संजय गर्ग-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद लखनऊ के मेडिकल कालेज में बालरोग विभाग को अस्पताल प्रशासन बजट में से वर्ष 1995 से 2000 तक कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मेडिकल कालेज लखनऊ में बाल रोग विभाग को अस्पताल प्रशासन से वर्ष 2000 तक निम्नवत् धनराशि आवंटित की गई है:-

वर्ष 1995-96	रू0 30,000=00
वर्ष 1996-97	- - - -
वर्ष 1997-98	रू0 5,000=00
वर्ष 1998-99	- - - -
वर्ष 1999-2000	रू010,000=00
योग	रू0 45,000=00

इसके अतिरिकत कालेज पक्ष से अन्य व्यय कार्यालय व्यय तथा मरम्मत आदि कार्यो हेतु रू0 24, 92, 145=00 (चौवीस लाख बानवे हजार एक सौ पैतालिस रू0) स्वीकृत किये गये है।

प्रश्न नहीं उठता।

महिला एवं बाल विकास विभाग में प्रशिक्षित आँक्जलीय के वेतनमान की जानकारी

87- श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

विधान सभा के तृतीय सत्र 1999 के पहले बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-109 के उत्तर के संदर्भ में क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विाग में प्रशिक्षित ऑक्जलीय नर्स तथा अप्रशिक्षित नर्सों के के वेतनमान क्या-क्या है? क्या यह सही है कि ऑक्जलीय नर्सों के पास ए0एन0एम0 का डिप्लोमा होने के बाद भी अप्रशिक्षित नर्सों के पदों पर नियुक्तियां की गयी हैं? यदि हांए तो ऐसी कितनी नर्सें हैं जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई डिप्लोमा नहीं है? क्या उपरोक्त सभी प्रकार की नर्सों के कार्य एवं दायित्व समान हैं? यदि हां तो इनको वेतनमान में भिन्नता का औचित्य क्या है?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

प्रशिक्षित का रु0 4500-7000 एवं अप्रशिक्षित का रु0 3050-4590.

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा, के महिला चिकित्सालय के डा0 सन्तोष राजवंशी के भ्रष्टाचारों की जाँच

88-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मथुरा जनपद स्थिति जिला महिला चिकित्सालय में कार्यरत डा0 सन्तोष राजवंशी को भ्रष्टाचार में लिप्त होने तथा "एक्सपायरी डेट" की दवाओं का प्रयोग किये जाने पर स्थानान्तरण किया गया था? यदि हां, तो उन्हें पुन: मथुरा जिला महिला चिकित्सालय में नियुक्ति किन परिस्थितियों में की गयी है? क्या उनका पुन: जनपद से बाहर स्थानान्तरण किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं। डा0 सन्तोष राजवंशी का स्थानान्तरण प्रश्न में वर्णित जाँच के आधार पर नहीं किया गया था। इन विन्दुओं की जॉच अभी विचाराधीन है तथा जाँच अपर निदेशक, आगरा मण्डल, आगरा द्वारा की जा रही है।

पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर डा0 राजवंशी को पुन: जिला महिला चिकित्सालय में तैनात किया गया।

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहाँपुर, ग्राम पंचायत पिपरोली के उप प्रधान के कार्यकाल में आहरित धन के दुरुपयोग पर कार्यवाही की माँग

89-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के पांचवें बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 185 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 18-2-2000 की जांच किसके द्वारा करायी गयी? जांच में कौन दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

प्रश्नगत प्रकरण की जाँच एवं कराये गये कार्यों का मूल्यांकन श्री एहतेशाम अहमद खाँ, अवर अभियन्ता, ददरौल, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से दिनांक 23-9-2000 को करायी गयी।

जाँच में दो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, श्री देवेन्द्र पाल सिंह एवं श्री सत्यपाल सिंह तथा पूर्व प्रधान जदुनाथ सिंह दोषी पाये गये। दोषी पूर्व प्रधान से दुरूपयोग की गई धनराशि की वसूली हेतु आदेश दे दिया गया है, तथा संबंधित दोनों ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों से दुरूपयोग की गई धनराशि की वसूली संबंधितों के वेतन से करने के आदेश पारित किये गये हैं।

जनपद शाहजहाँपुर चीनी मिल तिलहर के श्रमिक आश्रित कर्मचारियों के नियमितीकरण की माँग

90-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह"मुन्ना"-

क्या गन्ना विकास मंत्री कृतया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 20-9-98 को इसके आसपास मान्यवर, जो चीनी मिल तिलहर (शाहजहांपुर) में कार्यरत श्रमिक आश्रित कम्रचारियों को नियमितीकरण प्रक्रिया से वंचित रखने के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी हाँ।

सहकारी चीनी मिलों में मृतक आश्रितों के सेवायोजन हेतु शासकीय नियम लागू नहीं होते। चीनी मिल की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मृतक आश्रितों को नियमित सेवा में रखना व्यावहारिक नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के महिला चिकित्सालय की स्टाफ नर्स श्रीमती ऊषा सिंह के प्रकरण की जाँच आख्या की जानकारी

91-श्री संजय गर्ग-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र जो मा0 राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को सम्बोधित है, दिनांक 15-12-2000 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त पत्र पर उनके द्वारा महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0 प्र0 को महिला चिकित्सालय जनपद आगरा में तैनात स्टाफ नर्स श्रीमती ऊषा सिंह के स्थानान्तरण के उपरान्त जांच के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या स्थानान्तरण कर जांच करा ली गई है ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या हैं?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हाँ।

जी हाँ।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को शासनादेश दिनांक 24-4-2001 से तत्काल स्थानान्तरण के आदेश दे दिये गये हैं। महानिदेशक द्वारा प्रकरण की जाँच अपर निदेशक, आगरा मण्डल को सौंपी गयी है।

जाँच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुयी है।

जनपद वाराबंकी के कतिपय बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के मानदेय भुगतान सम्बन्धी जानकारी

92-डा0 ज्ञानवती सिंह-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि बाल विकास परियोजना दरियाबाद, पूरे डेलई, राम नगर, देवां, त्रिवेदीगंज जनपद बाराबंकी में संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा वर्ष 2000 में कतिपय कर्मचारियों का वेतन एवं मानदेय आहरित कर अपने खातों में जमा किया गया है ? क्या उक्त भुगतान कर्मचारियों के खातों में अब तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

जी हॉ।

जी नहीं। भुगतान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी की सेवा निवृत्त मुख्य सेविकाओं के देयकों के भुगतान की जानकारी

93-डा0 ज्ञानवती सिंह-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृतया बतायेंगे कि जिला बाराबंकी में वर्ष 1999 में सेवा निवृत्त हुई मुख्य सेविकाओं एवं अन्य कर्मचारियों को पेंशन एवं अन्य देयकों का भुगतान जिला कार्यक्रम अधिकारी बाराबंकी द्वारा कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस हेतु दोषी लिपिकों एवं अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त सेवानिवृत्त कर्मचारिंयों को उनके देयकों का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

भुगतान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा, डा0 अम्बेडकर कन्या प्राइमरी पाठशाला लक्ष्मीपुर के अध्यापकों के वेतन भुगतान की जानकारी

94-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवर्तक अनुदान पर संचालित डा0 अम्बेडकर कन्या प्राइमरी पाठशाला, लक्ष्मीनगर, मथुरा के अध्यापकों का वेतन भुगतान करने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक-सी0एम0/वि0को0/एम-31378/मथुरा/2000, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हॉ।

डा0 अम्बेडकर कन्या प्रा0 पाठशाला लक्ष्मीनगर, मथुरा के समस्त अध्यापकों का माह फरवरी, 2001 तक का वेतन भुगतान कर दिया गया है।

निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार में मुख्य सेविकाओं के प्रोन्नति सम्बन्धी कार्यवाही

95-डा0 ज्ञानवती सिंह-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को ज्ञात है कि निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार में मुख्य सेविकाओं को वर्ष 1997, 1998 में उनकी चरित्र पंजिकायें उपलब्ध न होने के कारण प्रोन्नति नहीं मिल सकी थी ? क्या नियमानुसार इस आधार पर उनकी प्रोन्नति नहीं रोकी जा सकती है? यदि हां, तो उक्त मुख्य सेविकाओं को उसी तिथि से प्रोन्नतियां दी जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

जी हॉं। विभागीय सेवा नियमावली एवं समय-समय पर जारी शासनादेश के अनुसार कर्मचारियों की प्रोन्नति अन्तिम ज्येष्ठता कोटिक्रम में निर्धारित स्थान के साथ-साथ गोपनीय आख्या को देखा जाना भी आवश्यक है। संगत नियमों/शासनादेशों के अनुसार इन्हें प्रोन्नति का लाभ नियमानुसार दिया जायेगा।

प्रोन्नति की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशालय महिला एवं बाल विकास के लिपिकों के कथित स्थानान्तरण का प्रकरण

96-डा0 ज्ञानवती सिंह-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1999-2000 में लम्बी अवधि से निदेशालय में कार्यरत कतिपय लिपिकों को जनपद में स्थानान्तरित किया गया था तथा बाद में पुनः उन्हें निदेशालय में वापस बुला लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी उत्तरदायी हैं ? क्या दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नही उठता।

जनपद रायबरेली, मुख्य चिकित्साधिकारी के सरकारी दूरभाष पर व्यय सम्बन्धी भुगतान की जानकारी

97-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के मुख्य चिकित्साधिकारी के आवास पर सरकारी दूरभाष नं0-202382 पर अधिक देय धनराशि होने के कारण विच्छेदित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त अधिकारी के आवास पर दूरभाष नं0-208145 प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु लगाया गाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विच्छेदित टेलीफोन की धनराशि की वसूली

करके उक्त अधिकारी से प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के टेलीफोन को हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरदार सिंह-

मुख्य चिकित्साधिकारी, रायबरेली के आवास पर सरकारी दूरभाष संख्या 202382 न होकर 202322 है, जो भुगतान न होने के फलस्वरुप विच्छेदित है।

जी, हाँ।

प्रकरण पर महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा महानिदेशक, परिवार कल्याण की आख्या भेजने हेतु निर्देशित किया गया है। आख्या प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश में दवाओं की बिक्री हेतु ड्रगलाइसेन्स जारी करने के अन्तर्गत जनपद एटा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा इसके उल्लंघन की जानकारी

98- श्री विजय पाल सिंह तथा श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में थोक एवं फुटकर दवाओं की बिक्री हेतु ड्रग लाइसेंस निर्गत करने के लिए एक थोक तथा 10 फुटकर ड्रग लाइसेंस दिये जाने की शासन की नीति वर्तमान मुख्य चिकित्साधिकारी एटा द्वारा अपने कार्यकाल में अब तक कुल कितने थोक व फुटकर दवाओं के बिक्री हेतु लाइसेंस निर्गत किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जनपद एटा के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उक्त का अनुपालन न करके शासन की नीति का उल्लंघन किया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी मुख्य चिकित्साधिकारी के विरुद्ध प्राथिमिकी दर्ज करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद रायबरेली के तहसील डलमऊ व ऊंचाहार में विधवाओं को वितरित पेंशन की जानकारी

99- श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्र बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के तहसील डलमऊ एवं तहसील ऊंचाहार में कितनी विधवाओं को विधवा पेंशन दी जा रही है ? उसमें अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति एवं सामान्य जाति कि लाभार्थियों की संख्या क्या है ? क्या दिये जा रहे विधवा पेंशन का भौतिक सत्यापन कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

तहसील डलमऊ में कुल 425 विधवाओं को तथा तहसील ऊँचाहार में कुल 473 विधवाओं को।

तहसील	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य जाति
डलमऊ	171	शून्य	254
ऊँचाहार	233	शून्य	240

लाभार्थियों का समय-समय पर भौतिक सत्यापन कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन, विकास खण्ड कदौरा के ग्राम बरखेरा में सम्पर्क मार्ग के निर्माण की जानकारी

100-श्री राम पाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन के विकास खण्ड कदौरा के ग्राम बरखेरा में एक कि0मी0 कच्चे सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु विधायक निधि से वर्ष 1999-2000 में दी गयी धनराशि से कच्चा सम्पर्क मार्ग निर्मित करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इसके लिए दोषी क्षेत्र पंचायत कदौरा के कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

प्रकरण की जांच करायी जा रही है।

101-श्री श्रीराम पाल-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में इन्दिरा महिला योजना में आवंटित धनराशि के उपयोग की समीक्षा अन्तर्गत जनपद जालौन में उक्त की जानकारी

102-श्री श्रीराम पाल-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में संचालित इन्दिरा महिला योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के उपयोग व उपभोग की क्या सतत् समीक्षा की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? जनपद जालौन में संचालित उक्त योजना के प्रारम्भ से लेकर वर्तमान वित्तीय वर्ष तक वर्षवार कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी? किन-किन कार्यक्रमों में कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गयी? क्या यह सत्य है कि उक्त योजना की धनराशि अपात्रों पर व्यय कर वित्तीय अनियमितता की जा रही है? यदि हां, तो क्या इसकी उच्चस्तरीय जांच करायी जायेगी? यदि हां,तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1996-97 रू0 20,45,000-00

वर्ष 1998-99 रू0 16,05,000-00

योग :- रू0 36,50,000-00

एनीसेटर्स प्रशिक्षण पर रू0 73,936-00 की धनराशि व्यय की गयी।

जी नही।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ, सैयद अहमद शहीद इरम माडल स्कूल हुसैनाबाद में भोजन करने से छात्रों की तबियत खराब होने के प्रकरण सम्बन्धी जानकारी

103-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा श्री विजय पाल सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री के भाई की शादी में माह फरवरी, 2001 में विशाक्त भोजन खाने से स्कूली छात्रों की तबीयत खराब हो गयी थी? क्या उन्हें लखनऊ

के विभिन्न अस्पतालों में उपचार हेतु भर्ती किया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त छात्रों के उपचार में हुये व्यय की क्षति पूर्ति करते हुए उसकी प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

दिनांक 11-2-2001 को सैयद अहमद शहीद इरम माडल स्कूल, हुसैनाबाद, लखनऊ में 48 छात्रों की तबियत भोजन खाने से खराब हो गयी थी।

जी हॉ।

उक्त सभी 48 छात्रों को जनपद लखनऊ के विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों में भर्ती करके नि:शुल्क उपचार किया गया था। अत: व्यय की क्षति पूर्ति का प्रश्न नहीं उठता। चिकित्सा विभाग उपचार से सम्बन्धित है, जो उक्त छात्रों को उपलब्ध कराई गई।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 रेशम निदेशालय में समूह 'ग' की भर्ती के परिणाम घोषित करने की जानकारी

104-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या वस्त्रोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रेशम निदेशालय, उ0प्र0 के अन्तर्गत समूह "ग" की सीधी भर्ती के लिपिक टंकण/कनिष्ठ पद हेतु पुन: सम्पन्न साक्षात्कार जो दिनांक 17-7-2000 को लखनऊ में सम्पन्न हुआ था क्या उसका परिणाम घोषित कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? सरकार उक्त परीक्षा का परिणाम कब तक घोषित करा देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरिशंकर तिवारी-

उत्तरांचल राज्य में चिन्हित पदों को रोक कर उत्तर प्रदेश राज्य के अन्तर्गत लिपिक/टंकक/कनिष्ठ सहायक के पदों का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है।

प्रश्न नही उठता।

मुख्यालय लखनऊ के सहायक परिवहन अभियन्ताओं की प्रतिकूल प्रविष्टियों के सम्बन्ध में जानकारी

105-श्री हरपाल सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान उप निदेशक प्राविधिक (लखनऊ मुख्यालय) द्वारा लखनऊ में तैनात सहायक परिवहन अभियन्ताओं के बारे में बिना तारीख अंकित किये हुये प्रविटियां (ए0सी0आर0) लिखी गई है? यदि हां, तो उसकी वैधता क्या है? क्या बिना समीक्षा तथा एक्सेप्टेन्स के ही प्रतिकूल प्रविष्टियां (ए0सी0आर0) सहायक अभियन्ताओं को संसूचित (कनवे) की गई है? यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है? क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करायेगी? यदि नही, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं।

सभी प्रविष्टियॉ वैध है।

दो अभियन्ताओं को कोई भी प्रतिकूल प्रविष्टि संसूचित नही की गयी है। एक अभियन्ता के अभिलेख उपलब्ध नही है।

प्रश्न नही उठता है।

प्रश्न नही उठता है।

चिकित्सा अनुभाग-8 के शासनादेश अनुसार सहायक अभियन्ताओं के वेतन भुगतान की जानकारी

106-श्री हरपाल सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि चिकित्सा अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-2360 दिनांक 5-1-2001 के अनुपालन में सहायक अभियन्ताओं के एक वर्ष के बकाया वेतन का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? सरकार उक्त अभियन्ताओं का वेतन कब तक भुगतान करा देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं।

भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद आगरा के प्रोवेशन अधिकारी श्री एम0लाल के स्थानान्तरण विषयक पत्र पर जाँच कार्यवाही की जानकारी

107-श्री राम औतार शाक्य-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि एटा जिला में हुये उपचुनाव की आदर्श आचार संहिता दिनांक 25 अप्रैल, 2000 को लागू होने के बाद दिनांक 29-4-2000 को आगरा जनपद से सम्बद्ध प्रोवेशन अधिकारी श्री एम0 लाल का स्थानान्तरण शासन के आदेश संख्या 3270/60-1-99-1/15(16)/99 द्वारा जनपद एटा में किया गया था? क्या इस नियम के विरुद्ध स्थानान्तरण के सम्बन्ध में महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्कालीन उप सचिव श्री देवेन्द्र स्वरूप एवं अन्य के विरुद्ध श्री शिव सिंह चक सदस्य, विधान सभा का शिकायती-पत्र दिनांक 4-5-2000 माननीय मंत्री जी को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र के आधार पर जांच करा कर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की गई है? यदि नही, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

श्री लाल के निलम्बन को समाप्त कर बहाल करते हुए एटा में तैनात किया गया था1

जी हाँ।

जी नहीं।

जनपद बलिया के ब्लाक गड़वार के ग्राम नरायण पाली में स्वीकृत सम्पर्क मार्ग के निर्माण की जानकारी

108-श्री छोटे लाल राजभर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के गड़वार ब्लाक के ग्राम नरायण पाली के सी0एम0आर0 संख्या 205 सुनिश्चित रोजगार योजना में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री राम विचार पाण्डेय के घर के सामने होते हुये स्वीकृत सम्पर्क मार्ग पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है? यदि हाँ, तो कब? यदि नही, तो क्यों? उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

सूचना एकत्र की जा रही है।

निदेशालय चिकित्सा शिक्षा में समूह 'ग' की भर्ती में प्रथम स्थान के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नियुक्ति की जानकारी

109-श्री छोटे लाल राजभर-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय में वर्ष 1999 में आयोजित समूह "ग" की भर्ती में अनुसूचित जाति के रिक्त पद पर अनुर्त्तीण अभ्यर्थी लाल बहादुर यादव की नियुक्ति की गई है? यदि हां, तो क्यों? क्या उक्त नियुक्तियों को निरस्त करते हुये नियुक्ति अधिकारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी नहीं, अनुसूचित जाति का उर्त्तीण अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर आरक्षण अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत पिछड़ी जाति के प्रतीक्षा सूची के प्रथम स्थान के उर्त्तीण अभ्यर्थी श्री लाल बहादुर यादव की नियमानुसार नियुक्ति की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में लघु सिंचाई विभाग के जगत प्रसाद तिवारी के समस्त देयों के भुगतान की जानकारी

110-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जगत प्रसाद तिवारी मथुरा को पेंशन, ग्रेच्युटी आदि के भुगतान के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक पत्रांक सी0 एम0/ वि0को0/एम-30754/मथुरा/2000, दिनांक 24-1-2000 प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लघु सिंचाई विभाग को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री मारकण्डेय चन्द-

श्री जगत प्रसाद तिवारी नाम का कोई व्यक्ति लघु सिंचाई विभाग में कार्यरत नहीं है। श्री जगन प्रसाद तिवारी, मथुरा को पेंशन, ग्रेच्युटी आदि के भुगतान के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी0एम0/वि0 को0/एम0/30754/मथुरा/2000, दिनांक 24-1-2000, सचिव, लघु सिंचाई विभाग को प्राप्त हुआ है।

इस सम्बन्ध में शासन के पत्र सं0-19 वी0आई0पी0/62-2-2000, दिनांक 11-4-2000 द्वारा श्री जगन प्रसाद तिवारी के अवशेष देयों के भुगतान के सम्बन्ध में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करने तथा वस्तुस्थिति से शासन को अवगत कराने हेतु मुख्य अभियंता को निदेशित किया गया था।

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग ने यह अवगत कराया है कि श्री जगन प्रसाद तिवारी को पत्र दिनांक 24-1-2000 द्वारा मार्च, 2001 तक की अनन्तिम पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है तथा अनन्तिम ग्रेच्युटी का भुगतान किये जाने के आदेश उनके पत्र दिनांक 24-1-2000 द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त श्री जगन प्रसाद तिवारी को जी0पी0एफ0 तथा सामूहिक बीमा का भुगतान किया जा चुका है। श्री तिवारी की सेवाकाल के कुल 35 दिन की सेवाएं सत्यापित न होने के कारण उन्हें अवकाश नकदीकरण स्वीकृत किया जाना सम्भव नही हो सका है, जिसके लिए श्री तिवारी को मुख्य अभियंता द्वारा दिनांक 13-12-2000 द्वारा अवगत कराया जा चुका है।

जनपद बिजनौर के कतिपय उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्रों में एक्सरे मशीन की माँग

111-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा श्री विजय पाल सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बिजनौर के उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र शिवहारा, नजीबाबाद नगीना अफजलगढ़ व चांदपुर में एक्सरे मशीने लगी हुई हैं? यदि हां, तो क्या यह सही है कि

उक्त केन्द्रों पर एक्सरे टेक्नीशियन न होने के कारण मशीने बेकार पड़ी हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर मशीनों को चलाने हेतु एक्सरे टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नही, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हॉ। जनपद बिजनौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्योहारा, नजीबाबाद, अफजलगढ़ एवं संयुक्त चिकित्सालय नगीना में एक्सरे मशीनें लगी हैं। चॉदपुर में एक्सरे मशीन नहीं लगी है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्योहारा, नजीबाबाद, अफजलगढ़ तथा संयुक्त चिकित्सालय नगीना में एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है।

जी नहीं।

रिक्त पदों पर एक्सरे टेक्नीशियन की तैनाती की व्यवस्था की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के नर्सिंग कालेज की प्रधानाचार्य का निलम्बन

112-श्री छोटे लाल राजभर-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमारी एन0 जुनेजा प्रधानाचार्य, कालेज आफ नर्सिग, कानपुर को प्रशासनिक/वित्तीय अनियमितता की पुष्टि के उपरान्त शासनादेश दि0 05-05-95 द्वारा निलम्बित किया गया था? क्या जांच अधिकारी द्वारा उन्हें बहाल किये जाने की संस्तुति करने के उपरान्त उक्त प्रधानाचार्य को बहाल किया गया है? यदि हां, तो क्या उनके द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितता की धनराशि 1,80,000 रुपये की वसूली की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी हॉ, कुमारी एन0 जुनेजा, प्रधानाचार्य, कालेज आफ नर्सिग, कानपुर को विभिन्न अनियमितताओं के संबंध में अनुशासनिक कार्यवाही के निमित्त शासनादेश दिनांक 5 मई, 1995 द्वारा निलम्बित किया गया।

जी हॉ।

जॉच अधिकारी की जॉच आख्या एवं संस्तुति पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कुमारी एन0 जुनेजा के बिल रु03703.20 की वित्तीय अनियमितता पाई गई, जिसकी वसूली हेतु आदेश दिये गये। उक्त आदेश के अनुपालन में रू0 3703-20 की धनराशि उनसे वसूल कर राजकोष में दिनांक 9-2-98 को जमा कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद व तहसील फैजाबाद की ग्राम पंचायत द्वारिकापुर में इन्दिरा आवास गिरवाने सम्बन्धी कथित प्रकरण

113-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्राम पंचायत द्वारिकापुर, तहसील व जिला फैजाबाद के निवासी श्री सुखराम पुत्र श्री बलजोर अनुसूचित जाति का इन्दिरा आवास नायब तहसीलदार अयोध्या एवं लेखपाल द्वारा माह जुलाई, 2000 को गिरवा दिया गया? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नही. तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के ग्राम विकास अधिकारी विकास खण्ड भदपुरा में अपात्रों को आवंटित इन्दिरा आवास की जाँच

114-श्री छोटे लाल गंगवार-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य विकास अधिकारी, बरेली को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20 जनवरी, 2001 व 11 जनवरी, 2001 जो ग्राम विकास अधिकारी विकास खण्ड भदपुरा (बरेली) में अपात्र लोगों को इन्दिरा आवास आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुए है? यदि हां, तो उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हॉ।

मा0 सदस्य द्वारा विकास खण्ड भदपुरा (बरेली) में अपात्र लोगों के चयन में की गई शिकायत की जांच की गई। जांच में 6 व्यक्तियों को अपात्र पाया गया जिनके चयन को खण्ड विकास अधिकारी भदपुरा द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार गलत चयन करने के लिए संबंधित कर्मचारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गई है तथा सेक्टर प्रभारी एवं प्रधान को कड़ी चेतावनी जारी की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कन्नौज के मुख्य विकास अधिकारी को विकास कार्यो हेतु विगत वर्षो में आवंटित धन को हड़पने सम्बन्धी कथित प्रकरण

115-श्री राजपाल सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कन्नौज के मुख्य विकास अधिकारी को विकास कार्यो हेतु वर्ष 1998 से वर्ष 2001 के मध्य सी0 एण्ड डी0 एस0 (कार्यदायी विभाग) द्वारा लगभग 85 लाख रुपये दिये गये थे? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उपरोक्त धनराशि से मुख्य विकास अधिकारी द्वारा विकास कार्य न कराकर उक्त धन को स्वयं ही हड़प लिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार कराये गये विकास कार्यो का स्थलीय समीक्षा/परीक्षण करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहाँपुर, चीनी मिल तिलहर द्वारा गन्ना किसानों के भुगतान की माँग

116-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 18-4-2000 या इसके आस-पास जो चीनी मिल तिलहर जनपद शाहजहांपुर द्वारा किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान कराने के सम्बन्ध में था, मंत्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी हॉ।

पेराई सत्र 1998-99 के समाप्ति पर चीनी मिल तिलहर पर गन्ना मूल्य का रू0 938-96 लाख अवशेष था, जिसका सम्पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्न नही उठता।

117-श्री अजय कुमार पोइया-

[तीसरे शुक्रवार में अता0प्र0सं0-164 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद शाहजहाँपुर, विकास खण्ड जलालाबाद में लगे हैण्ड पम्पों के भुगतान की जानकारी

118-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-4-2000 या इसके आसपास जो जल निगम शाहजहांपुर द्वारा विकास खण्ड जलालाबाद में लगाये गये इण्डिया मार्का-11 हैण्डपम्पों के भुगतान की जांच के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां।

प्राप्त पत्र दिनांक 11-4-2000 जल निगम, शाहजहांपुर द्वारा विकास खण्ड जलालाबाद में लगाए गए हैण्डपम्पों के भुगतान की जांच के सम्बन्ध में है। प्रकरण की जांच कराई गयी तथा जिल हैंडपम्पों का आंशिक भुगतान अवशेष था, उसका भुगतान कराकर मा0 सदस्य को अवगत करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ग्राम्य विकास अधिकारी पद हेतु परीक्षा के परिणाम की जानकारी

119-श्री राजेन्द्र यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत वर्ष 2000 में समूह "ग" के अन्तर्गत शासन द्वारा ग्राम्य विकास अधिकारी पद हेतु परीक्षा ली गयी थी? यदि हां, तो क्या उक्त परीक्षा का परीक्षाफल घोषित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? परीक्षाफल कब तक घोषित कर दिया जायेगा?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

जी हाँ।

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश शासन पंचायती राज अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3467/33-1-99/222/99 दिनांक 01 जुलाई, 1999 के प्राविधानों के अनुसार ग्राम पंचायतों के नियंत्रण में लाये गये समस्त कर्मी जिसमें ग्राम विकास अधिकारी (एक) भी सम्मिलित है, से संबंधित संवर्गो में कार्मिक की मृत्यु, सेवानिवृत्ति त्यागपत्र या अन्य किसी भी प्रकार से होने वाली रिक्ति के विरूद्ध राज्य सरकार या उनके किसी अधिकारी या संस्था द्वारा कोई नई नियुक्ति नहीं की जा सकती है। अतः उक्त परीक्षा का परीक्षाफल घोषित नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई,विकास खण्ड माधोगंज के अन्तर्गत जलिहापुर में पुलियों के निर्माण की जाँच की माँग

120-श्री राजेन्द्र यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधोगंज, अन्तर्गत कुरसठ-भजेहटा मार्ग से निकले सम्पर्क मार्ग जो कि जलिहापुर से होता हुआ समुखा तक जाता है पर जलिहापुर के पास उक्त सड़क में दो पुलियों का निर्माण विगत 3 माह पूर्व ही कराया गया था जिसमें एक पुलिया एक माह के अन्दर ही टूट गयी है? यदि हां, तो क्या उक्त की जांच कराकर दोषियों को दण्डित करते हुए पुलिया का पुनः निर्माण कराया जायेगा?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत जलिहापुर से समुखा सम्पर्क मार्ग पर नवम्बर, 2000 में 02 ह्यूम पाइप पुलिया का निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग हरदोई द्वारा कराया गया है। पुलिया का निर्माण मानक के अनुरूप कराया गया। परन्तु गिट्टी भरा ट्रक फंस जाने के कारण एक पाइप का हिस्सा टूट गया। वर्तमान में पाइप मरम्मत कर ठीक करा दिया गया है तथा यातायात सुलभ है।

जनपद फिरोजाबाद,नौराड योजना के कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत धनराशि के दुरूपयोग की जाँच

121-डा0 ज्ञानवती सिंह-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1997-98 सत्र के लिए नौराड के अन्तर्गत कम्प्यूटर प्रशिक्षण संचालित करने के लिए श्रीमती एस0 एल0 शिक्षा समिति नगला मिर्जा बड़ा फिरोजाबाद को रु0 4,89,600.00 का अनुदान महिला कल्याण निगम द्वारा स्वीकृत किया गया था? क्या यह सही है कि उक्त संस्था द्वारा प्रशिक्षण में फर्जी नाम तथा संस्था के परिवार के सदस्यों का नाम दिखाकर धनराशि का दुरुपयोग किया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नही, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

जी हां। परन्तु अनुदान की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी थी।

जी नही। जांच में ऐसे तथ्य दृष्टिगत नहीं हुए।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नही उठता।

जनपद उन्नाव में निराश्रित वृद्धों को पेंशन वितरण की जानकारी

122-श्री राम शंकर पाल-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव में कितने निराश्रित वृद्धों को पेंशन वितरित की जा रही है तथा गत तीन वर्षों में कितने नये लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गयी? क्या वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 की पेंशन लाभार्थियों को उपलब्ध करा दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त पेंशन धारकों को कब तक पेंशन उपलब्ध करा दी जायेगी?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

राष्ट्रीय-वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत जनपद उन्नाव के लिए 19954 का लक्ष्य निर्धारित है। इस जनपद में वर्ष 1997-98 तक निर्धारित लक्ष्य से 4866 अधिक वृद्ध लाभान्वित हो जाने के कारण विगत तीन वर्षों में नये लाभार्थियों का चयन नहीं हो सका।

जी हां।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नही उठता।

जनपद जौनपुर, ब्लाक सुईया की ग्राम सभा भुसौड़ी के ग्राम प्रधान द्वारा धन दुरूपयोग की जाँच

123-श्री अफजाल अहमद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर के ब्लाक सुईया अन्तर्गत ग्राम सभा भुसौड़ी के ग्राम प्रधान द्वारा वर्ष 1995 में मिले धन का सही उपयोग न किये जाने के कारण वर्ष 1999 में

उनसे 96 हजार रुपये की रिकवरी का आदेश हुआ था? यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 1995 से वर्षवार जवाहर रोजगार योजना व अन्य मदों में मिले धन की सत्यापन कराने एवं उक्त धनराशि की वसूली कराने का आदेश देंगे? यदि नही, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड-सुईथा कला के अन्तर्गत ग्राम सभा-भुसौड़ी के ग्राम प्रधान के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जाँच खण्ड विकास अधिकारी, सुईथा कला द्वारा की गयी। जाँच में ग्राम पंचायत भुसौड़ी के ग्राम प्रधान मु0 97002.00 की धनराशि के दुरूपयोग के दोषी पाये गये। फलस्वरूप ग्राम पंचायत का खाता संचालन प्रतिबन्धित कर दिया गया, एवं दुरूपयोग की गयी धनराशि रु0 97002.00 के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान से स्पष्टीकरण मांगा गया, जिसके क्रम में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत-भुसौड़ी द्वारा दिये गये जिलाधिकारी को प्रत्यावेदन के क्रम में पुनः सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्रा0) से जाँच कराई गयी। जाँच में कार्य संतोषजनक पाया गया। फलस्वरूप ग्राम पंचायत के विकास कार्य को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायत के खाते पर लगाया गया प्रतिबन्ध हटा दिया गया।

उक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण की पुनः जाँच मुख्य विकास अधिकारी को स्वयं करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

जनपद आगरा में महिला चिकित्सालय की उपचारिकाओं द्वारा आमरण अंशन विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

124-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सहारनपुर के विधायक श्री संजय गर्ग का दिनांक 15-12-2000 जो मा0 राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को सम्बोधित है तथा जो जनपद आगरा महिला चिकित्सालय की उपचारिकाओं द्वारा माह मार्च, 2000 से अगस्त, 2000 के मध्य उक्त अस्पताल में धरना, प्रदर्शन आमरण अनशन अवैध यूनियन बनाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हाँ।

शासनादेश दिनांक 24-4-2001 द्वारा प्रश्नगत शिकायत में वर्णित सभी उपचारिकाओं के तत्काल स्थानान्तरण करने के आदेश महानिदेशक को निर्गत किये जा चुके हैं। महानिदेशक द्वारा प्रकरण की जांच अपर निदेशक, आगरा मण्डल को सौंपी गई है।

जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

जनपद कुशीनगर में अनुसूचित जाति के निर्बल व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु स्वीकृत धनराशि की जानकारी

125-श्री दीपलाल भारती तथा श्री बेचन राम-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अनुसूचित जाति के निर्बल व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु प्रति आवेदक को बीस- हजार रुपये देने की स्वीकृति वित्तीय वित्तीय वर्ष 2000-2001 में हुई है? यदि हां, तो क्या जनपद कुशीनगर में प्रति-लाभार्थी को मात्र दस हजार रुपये आर्थिक सहायता दी जा रही है? यदि हां, तो क्या अब उन्हें शासनादेश के अनुसार 20,000/- बीस हजार रुपये की सहायता दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

जी नहीं।

शासनादेश सं0-5274/26-3-97-4(88)/93, दिनांक 25 अक्टूबर 1997 के अनुसार अनुसूचित जाति के निर्बल व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु 10,000/रु0 की आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पंचायत खड्डा (कुशीनगर) में सुपुत्री की शादी हेतु फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर आर्थिक सहायता प्राप्त करने व जाति प्रमाण-पत्र जारी करने सम्बन्धी प्रकरण की जानकारी

126-श्री दीपलाल भारती तथा श्री बेचन राम-

क्या समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि गोरखपुर कमिश्नरी के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर, महराजगंज, देवरिया व गोरखपुर में पैतृक-पेशा, भूजा-भूजने व कहारी करने वाली जातियां पिछड़ी जाति में आती हैं, जो धोखाधड़ी करके फर्जी तौर पर अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करा चुकी हैं? क्या इस पर अब रोक लगी है? यदि हां, तो नगर पंचायत खड्डा (कुशीनगर) के स्वामी विवेकानन्द नगर से वर्ष 1995 में पिछड़ी जाति (महिला) के लिए आरक्षित सीट से श्रीमती ज्योति देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश द्वारा कहार जाति (पिछड़ी जाति) प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सभासद निर्वाचित हुई थी, क्या उनके द्वारा अब समाज कल्याण विभाग जनपद-कुशीनगर के कार्यालय में अनुसूचित जाति (गोंड) का फर्जी जाति-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सुपुत्री की शादी हेतु आर्थिक सहायता के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है? यदि हां, तो अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण-पत्र व पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति का दोहरा लाभ लेने वालों पर क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि शासन द्वारा नियमानुसार जांच पड़ताल के उपरान्त ही अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के निर्देश जिलाधिकारियों को समय-समय पर दिये जाते हैं।

जी हां ! परन्तु श्रीमती ज्योती देवी को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के रूप में पुत्री की शादी हेतु अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया और फर्जी पाये जाने पर उनका अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र निरस्त किया जा चुका है।

फर्जी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति व जारी करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध जांच कराकर कार्यवाही की जायेगी। चूंकि पुत्री की शादी का अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया। अतः दोहरे लाभ के सम्बन्ध में कार्यवाही का प्रश्न नहीं पैदा होता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में निर्धन, बेसहारा विभिन्न पात्र रोगियों के लिये इलाज हेतु अनुदान की राशि बढ़ाने की मांग

127-श्री दीपलाल भारती-

क्या समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि अनुसूचित जाति के निर्धन व बेसहारा पात्र रोगियों के क्षय, दमा, कैंसर इत्यादि रोग के इलाज/आपरेशन हेतु सरकार द्वारा मात्र दो हजार रुपये दिये जाने की व्यवस्था है, जो अत्यन्त ही कम है? यदि हां, तो क्या ऐसे पात्र-व्यक्तियों को इलाज हेतु चिकित्सकों के आगणन के अनुसार आर्थिक-सहायता दिये जाने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां।

जी नही।

वित्तीय संसाधनों की कठिनाई के कारण आर्थिक सहायता की वर्तमान दरों में वृद्धि करना सम्भव नही है।

जनपद कुशीनगर के राज्य चीनी इकाई खड्डा के प्रवन्धक को गन्ना आपूर्ति में पक्षवार निर्धारित करने विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

128 -श्री दीप लाल भारती-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेगें कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 05-01-2001 जो गन्ना आपूर्ति मे पक्षवार निर्धारित करने विषयक है, उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई खड्डा (कुशीनगर) के प्रधान प्रवन्धक / गन्ना प्रवन्धक को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नही तो क्यों ?

डा0 नरेन्द्र कुमार गौर -

जी हां।

शिकायती-पत्र प्राप्ति के पश्चात मिल द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

खड्डा चीनी मिल द्वारा दि0 05-01-2000 तक कुल 6.31 लाख कु0 गन्ने की पेराई की जा चुकी थी। उक्त तिथि के पूर्व औसतन लगभग 14200 कु0 प्रतिदिन गन्ने का इन्डेन्ट प्रषित किया जाता था जिसको बाद मे बढा कर औसतन 16750 कु0 प्रति दिन कर दिया गया जिससे कलेण्डर के पक्ष तेजी से समाप्त होने लगे। सत्र 2000-2001 में वर्षा एवं जलभराव के कारण गन्ने की उपज आंकलन की तुलना में लगभग 50%कम हो गयी जिससे अपेक्षाकृत कम गन्ना उपलब्ध होने के कारण साढ़े पॉच पक्ष तक ही क्षेत्र में गन्ने का अभाव होने लगा तथा पक्ष एवं कालम का औचित्य ही नही रह गया। चीनी मिल को पर्याप्त गन्ना उपलब्ध कराने हेतु मिल क्षेत्र के कृषकों को फ्री पर्ची जारी कर दिनांक 23-2-2001से गन्ने की मुफ्त खरीद करनी पड़ी एवं सुरक्षित क्षेत्र में उपलब्ध समस्त गन्ना की पेराई करने के बाद विभागीय अनुमति लेकर अन्तिम रुप से मिल दिनांक 11-3-2001 को बन्द की गयी।

जनपद कुशीनगर के कतिपय विकास खण्डों में शुद्ध पेयजल हेतु संचालित योजनाओं की जानकारी

129-श्री दीपलाल भारती-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड-खड्डा, नेबुआ नौरंगिया व रामकोला में कुओं तथा हैण्डपम्पों से शुद्ध पेयजल प्राप्त नहीं होता है जिससे जनता के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है? क्या यह सही है कि छितौनी, बरवारतनपुर, भुजौली तथा नेबुआ-नौरंगिया व महुअहवा गांवों में ग्राम समूह पेयजल योजना स्वीकृत है? यदि हां, तो उक्त योजना कब तक स्थापित हो जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताव शुक्ल-

जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा एवं नेबुआ नौरंगिया के कुछ ग्रामों में कुओं तथा हैण्डपम्पों से प्राप्त हो रहे पानी में आयरन की मात्रा कुछ अधिक पायी गयी है तथा विकास खण्ड रामकोला से अभी तक ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

छितौनी बरवारतनपुर, भुजौली तथा नेबुआ नौरंगिया व महुअहवा ग्रामों की कोई भी ग्राम समूह पेयजल योजना स्वीकृत नहीं है किन्तु उक्त ग्रामों की ग्राम समूह पेयजल योजनाएं विरचित की जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

130-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

131-श्री दीपलाल भारती-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद सुल्तानपुर, तहसील लम्भुआ की ग्राम सभा बेलाही में मार्ग निर्माण का न्यायालय के विचाराधीन प्रकरण

132-श्री जोखू लाल यादव-

क्या ग्राम विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद सुल्तानपुर, तहसील-लम्भुआ-ग्राम सभा बेलाही में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित चकरोड़ संख्या-497 पर (श्री बजरंग बली मिश्र के घर से पिच रोड तक) मिट्टी के लेपन का कार्य दर्शाया गया है परन्तु मौके पर मात्र 200 मीटर चकरोड पर ही मिट्टी का लेपन मौजूद है। यदि हां, तो शेष कार्य न कराये जाने के लिए दोषी कौन है? दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

पिच रोड से 100 मीटर चक मार्ग विवादित था, जिसको काश्तकार द्वारा मिट्टी डाले जाने के बाद गिरा लिया गया था। जिसका मुकदमा जिलाधिकारी सुलतानपुर के न्यायालय में चल रहा था, अब मुकदमें का फैसला हो चुका हैं। न्यायालय के आदेश के बाद ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव कराके चकमार्ग निर्माण का कार्य करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित जातियों का विवरण

133-श्री राम औतार शाक्य-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में पिछड़े वर्ग की सूची में जातियों को सम्मिलित करने का क्या कोई मानक निर्धारित किया गया है? यदि हां, तो क्या? अभी तक कौन-कौन जातियां पिछड़े वर्ग में सम्मिलित की गई है?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

जी हाँ।

शैक्षिक एवं सामाजिक पिछड़ापन।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-एक में अभी तक कुल 79 जातियों को पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित किया गया है। (सूची संलग्न हैं)।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ - - - - पर।)

जनपद आगरा, महिला चिकित्सालय की उपचारिकाओं द्वारा धरना प्रदर्शन के प्रकरण की जाँच

134-श्री विजय पाल सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के महिला चिकित्सालय में वर्ष 2000 माह मार्च से अगस्त के मध्य उपचारिकाओं द्वारा अवैध यूनियन बनाकर धरना, प्रदर्शन, आमरण अनशन किया गया

था जिससे उक्त चिकित्सालय के भर्ती रोगियों को परेशानी उठानी पड़ी थी? यदि हां, तो क्या इससे समय-समय पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका द्वारा अपने विभाग के अधिकारियों प्रमुख सचिव, सचिव महानिदेशक आदि को पत्र भेजकर स्थिति से अवगत कराया गया था? यदि हां, तो अवैध यूनियन बनाकर अवैध रूप से उपचारिकों द्वारा उक्त किये गये उक्त कृत्य पर उच्च अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

माह जून व जुलाई, 2000 में उपचारिकाओं द्वारा अवैध यूनियन बनाकर धरना, प्रदर्शन व अमरण अनशन किया गया था न कि माह मार्च से अगस्त तक।

जी हाँ।

शासनादेश दिनांक 24-04-2001 द्वारा प्रश्नगत शिकायत में वर्णित सभी उपचारिकाओं को तत्काल स्थानान्तरित करने के आदेश महानिदेशक को निर्गत किये जा चुके हैं। महानिदेशक द्वारा प्रकरण की जांच अपर निदेशक आगरा मण्डल को सौपी गयी है।

जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई।

135-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

[2सरे शुक्रवार में अता0प्र0सं0-162 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त निगम द्वारा विगत वर्षो में बेरोजगार युवकों को उपलब्ध कराये गये ऋण के वितरण की जानकारी

136-श्री रघुवर दयाल वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवकों को स्वत: रोजगार योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति जनजाति वित्त निगम बैंको से ऋण कारोबार और कुटीर उद्योग धन्धों को प्रदान कराता है? यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में कितने युवकों को उनके आवेदन-पत्रों पर बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया गया? क्या यह भी सही है कि लाभार्थी को ऋण चेक फर्म के नाम दिया जाता है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

जी हां।

अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवकों/युवतियों को बैंको के माध्यम से स्वरोजगार/कारोबार और कुटीर उद्योग धन्धों हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। निदेशालय जनजाति विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा केवल अनुसूचित जनजाति के परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं, को स्वत: रोजगार कार्यक्रम उपलब्ध कराये जाते हैं।

उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 में अनुसूचित जाति के युवकों को क्रमश: 85856 तथा 93821 (अनन्तिम) को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया गया।

पिछड़े वर्ग के युवकों को वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में स्वत: रोजगार योजना (मार्जिन मनी ऋण योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय निगम से ऋण प्राप्त न होने के कारण बैंको से ऋण उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

निदेशालय जनजाति विकास उ0प्र0 द्वारा वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 में अनुसूचित जनजाति के क्रमश: 2051 तथा 845 परिवारों को बैंक ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराया गया।

अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को उनकी अभिरूचि के अनुसार उनके द्वारा स्वेच्छा से विक्रय करने वाली संस्था/फर्म के कुटेशन के उपलब्ध कराने पर भुगतान करती है। साथ ही लाभार्थियों के नगद भुगतान की प्रक्रिया भी प्रचलित है।

पिछड़े वर्गों के लाभार्थी को ऋण चेक फर्म के नाम नहीं दिया जाता है।

अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी को बैंक चेक योजना की स्वीकृति व योजना कार्य पुष्टि के उपरान्त उसके नाम से उपलब्ध कराया जाता है।

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही में जिला चिकित्सालय में स्वीकृत पदों की संख्या

137-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत रविदास नगर भदोही के जिला चिकित्सालय के लिए स्वीकृत चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारियों की तैनाती हो गई है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? क्या यह सही है कि जिला अस्पताल के लिए निर्धारित मानक के अनुसार सृजित किये जाने वाले सभी पद अभी तक वहां स्वीकृत नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? ऐसे पदों का सृजन एवं उन पर तैनाती कब तक कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के जिला चिकित्सालय में स्वीकृत पदों का नाम, संख्या, भरे पदों की संख्या एवं रिक्त पदों की संख्या का विवरण निम्नवत् है:-

स्वीकृत पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4
1-मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	एक	एक	शून्य
2-चिकित्सा अधीक्षक	एक	एक	शून्य
3-विभिन्न श्रेणी के चिकित्साधिकारी	छः	पांच	एक
4-गैर चिकित्सक	तीस	चौबीस	छः

जी हाँ।

परिव्यय उपलब्ध न होने के कारण उक्त कार्यवाही नही हो सकी। पदों का सृजन एवं उन पर तैनाती वित्तीय संसाधनों एवं परिव्यय की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

138-श्री मुरलीधर-

[3सरे मंगलवार में अता0प्र0सं0-191 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद फतेहपुर, विकास खण्ड धाता के ग्राम सण्डवा में खराब हैण्डपम्पों को रिबोर कराने की माँग

139-श्री मुरलीधर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्राम-सण्डवा विकास खण्ड धाता जनपद फतेहपुर में लगे इण्डिया मार्का हैण्डपम्प खराब है जिससे पेयजल संकट उत्पन्न है? क्या सरकार उन्हें रिबोर कराकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हाँ।

जी हाँ।

ग्राम संडवा में कुल दो नग हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं जिसमें से एक हैण्डपम्प वर्ष 2000-2001 में रिबोर करा दिया गया है तथा एक हैण्डपम्प के जी0आई0 पाइप बदलकर यथाशीघ्र चालू करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर, विकास खण्ड खड्डा की आंगनवाड़ी कार्य कत्रियों की पदोन्नति की माँग

140-श्री दीपलाल भारती-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कुशीनगर अन्तर्गत विकास खण्ड-खड्डा में वर्ष 1983 से संचालित बाल विकास परियोजना में सेवारत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की पदोन्नति हेतु पत्र सं0-वि0को0/सी0एम0/एम/42203/कुशीनगर/2001 दिनांक 23-1-2001 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

जी हाँ।

सुसंगत सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार पात्र मात्र एक कार्यकत्री की नियुक्ति मुख्यसेविका के पद पर की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के प्रभारी जिला कुष्ठ अधिकारी द्वारा पैरोकार मेडिकल वर्कर (संविदा) से धन उगाही का प्रकरण

141-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-4-2000 को या इसके आसपास जो जनपद शाहजहांपुर के प्रभारी जिला कुष्ठ अधिकारी द्वारा पैरोकार मेडिकल वर्कर (संविदा) से धन उगाही करने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

शिकायती-पत्र में वर्णित आरोपों की जांच कराई गई। जांचोपरान्त आरोप निराधार पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लालगंज/बहुआरा के भवन निर्माण की मांग

142-श्री भरत सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में भवन विहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की कोई नीति निर्धारित है? यदि हां, तो वह नीति क्या है? क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लालगंज/बहुआरा जनपद बलिया का भवन निर्माण कराया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त भवन का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

उपयुक्त, पर्याप्त तथा विवाद रहित निःशुल्क भूमि उपलब्ध होने तथा जिला अनुश्रवण समिति से कार्य का अनुमोदन एवं परिव्यय उपलब्ध होने पर निर्माण किये जाने की नीति है।

जी नही। भवन निर्माण कराया जाना है।

निर्माण कार्य हेतु शासनादेश सं0-119/5-6-2001-एस0एन0डी0-9/2000, दिनांक 15-3-2001 द्वारा मूल लागत रू0 37.6 लाख स्वीकृत करते हुए प्रथम किस्त रू0 11.75 लाख अवमुक्त की गयी है।

निर्माण कार्य पूरा होना वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है।

जनपद आगरा के महिला चिकित्सालय के उपचारिकाओं द्वारा आमरण अनशन के प्रकरण पर स्थानान्तरण के आदेश

143-श्री संजय गर्ग तथा श्री विजय पाल सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा अनुभाग-II द्वारा दिनांक 25 जुलाई, 2000 को जनपद आगरा के महिला चिकित्सालय में तैनात उपचारिकाओं के स्थानान्तरण आदेश निरस्त किये गये थे? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त उपचारिकाओं द्वारा अस्पताल परिसर में मार्च, 2000 से अगस्त, 2000 तक के मध्य आमरण अनशन किया गया था? यदि हां, तो स्थानान्तरण निरस्त करने का औचित्य क्या था? क्या 25 जुलाई, 2000 को जारी उक्त आदेशों को निरस्त किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं।

शासन द्वारा स्थानान्तरण निरस्त नहीं किया गया है बल्कि स्थगित किया गया है।

जी नहीं।

माह जून व जुलाई, 2000 के मध्य आमरण अनशन किया गया था।

शासन द्वारा स्थानान्तरण निरस्त नहीं किया गया है बल्कि स्थगित किया गया था।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को शासनादेश दिनांक 24-4-01 द्वारा संबंधित सभी नर्सिंग कर्मियों का जनपद आगरा से तत्काल अन्यत्र स्थानान्तरित करने के आदेश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से विदेश यात्रा पर गये कर्मचारी का प्रकरण

144-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994 से वर्ष 1999 के मध्य कुल कितने कर्मचारी (लिपिक) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद के कार्यालय से सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा पर गये? उनकी विदेश यात्रा का सरकारी प्रयोजन क्या था? क्या सरकार अनावश्यक रूप से सरकारी खर्चे पर विदेश गये लिपिकों से वसूली की कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तों क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

वर्ष 1994 से वर्ष 1999 के मध्य मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद के कार्यालय से केवल एक कर्मचारी सरकारी कार्य पर विदेश यात्रा पर गया था।

विदेश यात्रा का प्रयोजन "नेशनल रिप्रोडक्टिव हेल्थ/फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम" का प्रशिक्षण प्राप्त करना था।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी कार्य पर विदेश प्रशिक्षण हेतु भेजा गया था।

जनपद गाजियाबाद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा क्रय किये गये हाईड्रोलिक टेबिल के प्रकरण की जाँच

145-श्री उबैदुर्रहमान तथा श्री प्रदीप कुमार-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा वर्ष 1999 में कुल कितने हाईड्रोलिक टेबिल किस फर्म से क्रय किये गये? इनके सापेक्ष कितनी धनराशि फर्म को भुगतान की गयी है? क्या यह सही है कि हाईड्रोलिक टेबिल सप्लाई करने वाली एक ही फर्म को एक बिल का भुगतान दो बार किया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त की जांच कराकर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

वर्ष 1999 में दो हाईड्रोलिक टेबिल का क्रय श्रीयुत चीप सर्जिकल, लखनऊ से किया गय।

इसके सापेक्ष सम्बन्धित फर्म को कुल रू0 1,07,100-00 का भुगतान किया गया है।

जी हॉ।

इस सम्बन्ध में जांच कराकर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्टेशनरी क्रय प्रकरण की जाँच

146-श्री उबैदुर्रहमान तथा प्रदीप कुमार-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा "भारत प्रिन्टिग इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटी," करनैलगंज, कानपुर की स्टेशनरी क्रय हेतु कितनी धनराशि के क्रय आदेश वित्तीय वर्ष 1999-2000 में जारी किये गये थे? क्या उक्त क्रय आदेश शासनादेश में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप जारी किये गये थे? यदि नहीं, तो क्या क्रय आदेश जारी करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा वर्ष 1999-2000 में भारत प्रिटिंग इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसायटी कानपुर को धनराशि रू0 7,46,550-00 के आपूर्ति आदेश विभिन्न मदों में दिये गये है।

प्रकरण की विशेष सम्प्रेक्षा करायी जा रही है। आख्या प्राप्त होने पर सम्बन्धित कर्मचारी /अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में संवासियों हेतु क्रय औषधि के विवरण की जानकारी

147-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के तीसरे बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-126 के उत्तर के संदर्भ में क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन अंशकालिक चिकित्सक तैनात हैं? क्या तैनात चिकित्सकों द्वारा औषधियों का क्रय किया जाता है? यदि हां, तो उक्त वित्तीय वर्ष में किन-किन संवासी हेतु कितनी और कौन-कौन दवा क्रय की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

डा0 आर0डी0 राम।

जी नहीं।

विभिन्न संवासियों के लिए वर्ष 99-2000 में निम्नलिखित दवाईयां क्रय की गई :-

1-एक्सेबियाल	05 नग
2-क्वाडीडर्म	07 नग
3-मिथिलेक्स टेबलेट	20 नग
4-डेटाल	06 शी0
5-सेप्ट्रान टेबलेट	100 नग
6-सिटीजन टेबलेट	30 नग
7-टेट्रासाइक्लिन कैप0	20 नग
8-एनासीन टेबलेट	15 नग
9-रेवीफाल टेबलेट	30 नग
10-हीमीव सिरप	02 नग

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में तैनात नर्सों की प्रकाशित वरिष्ठता सूची

148-श्री विज़य पाल सिंह-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में तैनात नर्सों की वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गयी है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त अप्रशिक्षित नर्सों को प्रशिक्षित नर्सों की वरिष्ठता सूची में श्रीमती ज्योस्ना चन्द्र, ऊषा हाफिज, एस0 चन्द्रा सिंह को सम्मिलित किया गया है? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है? क्या मंत्री जी वरिष्ठता सूची को पुनः संशोधित करायेंगे? यदि नही, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नही उठता।

जनपद फिरोजाबाद के जिला प्रोवेशन अधिकारी व उपसचिव महिला कल्याण के विरूद्ध भ्रष्टाचार की जाँच

149-श्री छोटे लाल गंगवार-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि श्री शिव सिंह चक विधायक का शिकायती- पत्र दिनांक 25-4-2000 जो उनके स्टाफ श्री ओ0पी0 सिंह वै0स0 तथा श्री के0बी0 त्रिपाठी वै0स0, तत्कालीन उपसचिव महिला कल्याण श्री देवेन्द्र स्वरूप तथा तत्कालीन जिला प्रोवेशन अधिकारी फिरोजाबाद श्री गौरीशंकर वरुण के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच से सम्बन्धित था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

जी हॉ।

शिकायतें सही नही पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

150-श्री छोटे लाल गंगवार-

[4थे शुक्रवार में अता0 प्र0सं0-50 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में मण्डल के जिला प्रोवेशन अधिकारियों द्वारा की गयी नियुक्तियों पर कार्यवाही की जानकारी

151-श्री विजय पाल सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के पांचवें बुधवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या-2 के उत्तर के संदर्भ में क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन तीन जनपदों में अवैध नियुक्तियों के मामले प्रकाश में आये हैं? क्या अन्य जनपदों में भी अवैध नियुक्तियों के मामले प्रकाश में आये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां और उस पर विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

जनपद सीतापुर, मेरठ एवं हरिद्वार में।

जी हाँ।

लखनऊ और मुरादाबाद में।

लखनऊ-सम्बन्धित अधिकारी को दण्डित किया गया है।

मुरादाबाद-उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जाँच कार्यवाही

152-इं0 सत्य प्रकाश सोनकर-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिलाधिकारी मिर्जापुर को प्रेषित निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उ0 प्र0 के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-5344/13ए-1475/72 गोपन दिनांक 20-4-2000 द्वारा तत्कालीन कार्यवाहक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मिर्जापुर के विरुद्ध आर्थिक एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार की जांच कराने हेतु निर्देशित किया गया था? यदि हां, तो क्या जिलाधिकारी, मिर्जापुर द्वारा प्रेषित अर्द्धशासकीय पत्रांक-37/2000-2001 दिनांक 11 दिसम्बर, 2000 द्वारा जांच आख्या निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उ0 प्र0 को प्राप्त हो गयी है? क्या उक्त जांच आख्या में सम्बन्धित अधिकारी को गंभीर वित्तीय अनियमितता का दोषी पाया गया है? यदि हां, तो प्रश्नगत जांच आख्या के परिप्रेक्ष्य में दोषी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी हां।

जी हाँ।

जी हां। प्रदर्शन में दोषी पाया गया है।

उक्त प्रारम्भिक जांच आख्या के आधार पर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता है।

निदेशालय जिला सैनिक कल्याण में संविदा पर नियुक्त उप निदेशक को अवकाश यात्रा सुविधा की धनराशि जमा कराने के आदेश

153-श्री संजय गर्ग-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संविदा पर नियुक्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी एवं निदेशालय में नियुक्त उप निदेशकों को अवकाश, यात्रा या अन्य भत्ते देय हैं? यदि नहीं, तो वर्ष 1998 में श्री सी0एस0 चौहान उप निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय को यह भत्ते किस

आधार पर दिये गये? क्या दी गयी धनराशि की वसूली कर इसके लिये दोषी अधिकारी को दण्डित किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

संविदा पर नियुक्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी एवं निदेशालय में नियुक्त उप निदेशकों को अवकाश यात्रा भत्ता के अतिरिक्त अन्य भत्ते नियमानुसार देय है।

वित्त विभाग के शासनादेश सं0- सा-4-62-1-1C-96-604/82, दिनांक 16 मार्च, 1996 के अनुसार निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास द्वारा श्री सी0एस0 चौहान, तत्कालीन उपनिदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कल्याण निदेशालय को अवकाश यात्रा की सुविधा प्रदान की गयी थी।

श्री चौहान को अवकाश यात्रा भत्ता की देयता के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराई गयी। शासनादेश संख्या-2072/48-98-12(6)/98, दिनांक 20 मार्च, 1999 के द्वारा स्पष्ट किया गया कि संविदा पर नियुक्त अधिकारियों को अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य नहीं है। अत: श्री सी0एस0 चौहान को उनके द्वारा अवकाश यात्रा की सुविधा के सम्बन्ध में ली गयी धनराशि को जमा कराने एवं सम्बन्धित अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित करने की कार्यवाही की जा रही है।

यथाशीघ्र।

प्रश्न ही नही उठता।

जनपद मऊ, जिला प्रोवेशन अधिकारी द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कार्य मुक्त किये जाने सम्बन्धी अधिकार की जानकारी

154-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के जिला प्रोवेशन अधिकारी को आदेश संख्या-501-03/जि0प्रो0 अधिकारी/दिनांक 31-12-98 द्वारा समरजीत सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को निदेशालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किया गया है? यदि हां, तो क्या जिला प्रोवेशन अधिकारी मऊ को कार्य मुक्त करने का अधिकार प्राप्त है? क्या यह सही है कि समरजीत सिंह की नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी के पद पर जिला प्रोवेशन अधिकारी द्वारा की गयी है? यदि हां, तो क्या उन्हें नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है? यदि नही, तो दोषी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

दिनांक 31-12-98 के आदेश द्वारा नहीं वल्कि दिनांक 31-12-96 के आदेश द्वारा कार्यमुक्त किया गया।

लगातार अनुपस्थित रहने के कारण प्रशासनिक आधार पर अवमुक्त किया गया।

निदेशालय के आदेशानुसार की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद, जिला प्रोवेशन अधिकारी कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अपराधिक मुकदमें सम्बन्धी प्रकरण की जानकारी

155-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि जिला प्रोवेशन अधिकारी, फैजाबाद के कार्यालय में तैनात जगपाल नामक चपरासी किसी अपराधिक मुकदमें में वर्ष 1997 से 2000 के मध्य जेल में निरुद्ध रहा था? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जिला प्रोवेशन अधिकारी, फैजाबाद द्वारा उसकी निरुद्ध

काल के समय का वेतन आहरण करा दिया गया है? यदि हां, तो क्या जिला प्रोवेशन अधिकारी को उक्त कार्यकाल का वेतन भुगतान करने का अधिकार प्राप्त है? यदि नही, तो भुगतान करने वाले दोषी जिला प्रोवेशन अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नही, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

जी हॉ, दिनांक 9-4-1999 से 11-1-2000 तक।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ, दारुलशफा एवं बलरामपुर होम्योपैथी केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी डा0 राम अवतार द्वारा किये गये घोटाले की सतर्कता जाँच

156-श्री संजय गर्ग-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 राम अवतार प्रभारी चिकित्साधिकारी होम्यो0 केन्द्र दारुलशफा एवं बलरामपुर होम्योपैथी केन्द्र में तैनाती के दौरान किये गये घोटाले की जांच सतर्कता विभाग से करायी गयी है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ के बलरामपुर व डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में तैनात फार्मासिस्टों पर स्थानान्तरण नीति लागू करने की जानकारी

157-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य औषधि भण्डार एवं लोकल परचेज काउण्टरों पर तैनात फार्मेसिस्टों के स्थानान्तरण की शासन की क्या नीति है? क्या यह सही है कि सचिवालय डिस्पेन्सरी में तैनात फार्मासिस्टों को मात्र दो वर्षों में ही स्थानान्तरण कर दिया जाता है? यदि हां, तो क्या बलरामपुर चिकित्सालय एवं डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय, लखनऊ में उपरोक्त पदों पर फार्मेसिस्ट कई वर्षों से एक ही पद पर तैनात हैं? यदि हां, तो सरकार इन चिकित्सालयों को भी शासन की स्थानान्तरण नीति की परिधि में लाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

फार्मासिस्ट संवर्ग समूह "ग" के कर्मचारी हैं। वार्षिक स्थानान्तरण से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक-21-4-2001 में इस संवर्ग के कर्मियों की नीति निर्धारित है। फार्मासिस्टों के पटल का निर्धारण परिधिगत अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

जी हां।

जी हां।

वार्षिक स्थानान्तरण सत्र में नीति के अन्तर्गत विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों को भरने की माँग

158-चौधरी मस्तराम-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में प्रदेश में एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों के कितने पद रिक्त हैं? क्या रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

886 पद रिक्त हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के जिला प्रोवेशन अधिकारी द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति का प्रकरण

159-श्री विजय पाल सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के तीसरे बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-18 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन जिला प्रोवेशन अधिकारी को नियुक्ति करने का अधिकार किस शासनादेश के अन्तर्गत था? क्या इस प्रकरण में दोषी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

शासनादेश संख्या 6103/छत्तीस-स0क0 दिनांक 9-11-1977 के अन्तर्गत।

जी नहीं।

प्राथमिकी दर्ज करने की आवश्यकता नहीं पायी गयी।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम की धारा-07 के प्राविधानों के अन्तर्गत परिषद् के सदस्यों को सदस्यता से हटाये जाने की जानकारी

160-श्री गंगा सिंह चौहान-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा परिषद् उ0 प्र0 के सदस्यों को हटाये जाने हेतु उ0 प्र0 प्राविधिक शिक्षा अधिनियम की धारा-07 में क्या प्राविधान है? माह सितम्बर, 2000 में प्राविधिक शिक्षा परिषद् के किन-किन सदस्यों को परिषद् की सदस्यता से हटाया गया है? क्या उन्हें हटाये जाने में उ0 प्र0 प्राविधिक शिक्षा अधिनियम की धारा-07 में निहित प्राविधान के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? उसके लिए कौन अधिकारी दोषी हैं? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नही, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम 1962 के नियम-7 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से नामित सदस्य को हटाने के सम्बन्ध में निम्नवत प्राविधान किया गया है:-

प्रदेश सरकार को यह आभासित हो जाये कि सदस्य द्वारा अपने पद का दुरुपयोग जनहित के विरुद्ध किया गया है।

प्रदेश सरकार उपर्युक्तानुसार सदस्य को हटाने के पूर्व उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करेगी और उसके हटाये जाने के कारणों का उल्लेख भी करेगी। माह सितम्बर, 2000 में परिषद् किसी भी विधिमान्य सदस्य को हटाया नहीं गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

161-162-श्री प्रदीप कुमार-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

जनपद मेरठ के जिला प्रोवेशन अधिकारी द्वारा किये गये अनियमितताओं व गबन के आरोप में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

163-डा0 ज्ञानवती सिंह-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि जिला प्रोवेशन कार्यालय मेरठ की अपर निदेशक महिला कल्याण की अध्यक्षता में गठित टीम द्वारा जांच करने के उपरान्त जिला प्रोवेशन अधिकारी, मेरठ को कई अनियमित नियुक्तियां किये जाने तथा विधवा पेंशन के वितरण आदि मामलों में अनेक अनियमितायें तथा गबन के आरोपों में दोषी पाया गया है? यदि हां, तो उक्त जिला प्रोवेशन अधिकारी के विरुद्ध अब तक रिपोर्ट दर्ज कराते हुए उन्हें निलम्बित न करने के क्या-क्या कारण हैं? उक्त प्रकरण को दबाने के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी हैं? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

जी हां।

जांच आख्या विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रमापुर के चिकित्सालय अधिकारी के चिकित्सालय न आने के सम्बन्ध में शिकायत

164-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रमापुर के चिकित्सालय अधिकारी के चिकित्सालय में न आने के संबंध में था, जिलाधिकारी शाहजहांपुर के माध्यम से दिनांक 16-10-2000 जो मुख्य चिकित्साधिकारी शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि मुख्य चिकित्साधिकारी ने दिनांक 20-10-2000 को उप मुख्य चिकित्साधिकरी तृतीय के जांच के लिये आदेशित किया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

जी हां।

जांच की गयी।

शिकायतें निराधार पाई गयीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में समाज कल्याण अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुपालन में स्वैच्छिक संस्थाओं के अनुदान समय से भारत सरकार को भेजवाने के सम्बन्ध में जानकारी

165-श्री अफरोज अली खां-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, समाज कल्याण अनुभाग-2 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-1094/26-2-2000-9(43)/89 टी0सी0 दिनांक 25 मई, 2000 के अनुपालन में कितनी स्वैच्छिक संस्थाओं के अनुदान प्रस्ताव चालू वित्तीय वर्ष 2000-2001 में जिला स्तर से संस्तुति सहित निदेशालय में प्राप्त हुये हैं? उनमें से कितने प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे

जाने हेतु निदेशालय से शासन को प्राप्त हुये है? क्या सरकार उक्त शासनादेश का अनुपालन कर प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रस्ताव समय से भारत सरकार को भिजवायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

शासनादेश संख्या-1094/26-2-2000-9(43)/89 टीसी दिनांक 25-5-2000 के अनुपालन में विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं के कुल 30 अनुदान प्रस्ताव निदेशलय स्तर पर प्राप्त हुए। प्राप्त प्रस्तावों की सूची तिथि सहित मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है।

उक्त प्रस्तावों में से 10 प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुए हैं।

प्राप्त 10 प्रस्तावों में से 8 प्रस्ताव भारत सरकार को अग्रसारित किये जा चुके हैं। शेष दो प्रस्तावों में पाई गई कतिपय कमियों के निराकरण होने के पश्चात ही भारत सरकार को अग्रसारित किया जाना संभव हो सकेगा।

जनपद कुशीनगर, जिला गन्ना अधिकारी, पडरौना द्वारा गन्ना कृषकों के सर्वे/सट्टा पर्ची निर्गमन की जांच

166-श्री दीप लाल भारती-

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि जिला गन्ना अधिकारी, पडरौना, कुशीनगर के पत्र दिनांक 19-2-2001 द्वारा कतिपय गन्ना कृषकों के सर्वे/सट्टा पर्ची निर्गमन आदि की जांच कराने के निर्देश ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक छितौनी कुशीनगर को दिया गया है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी हाँ।

जिला गन्ना अधिकारी, कुशीनगर द्वारा सम्बन्धित कृषकों जिन्होंने अवैधानिक रूप से पर्चियां प्राप्त की थी, के खाते व गन्ना मूल्य भुगतान बन्द करने के आदेश प्रधान प्रबन्धक, गड़ौरा चीनी मिल को दिये गये है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड नेबुआ नौरंगियां में यात्री विश्रामालय के निर्माण की माँग

167-श्री दीप लाल भारती-

क्या सरकार को जानकारी है कि विधायक निधि योजना वर्ष 1999-2000 से जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड नेबुआ नौरंगियां के अन्तर्गत खड्डा पडरौना पिच मार्ग के नौरंगियां तिराहे के समीप मु0-1.08 लाख रुपये से यात्री विश्रामालय के निर्माण हेतु धनराशि आवंटित की जा चुकी है? यदि हां, तो क्या उक्त का निर्माण करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रस्तावित कार्य स्थल अतिक्रमण होने के कारण उपलब्ध नहीं है जिस कारण अभी तक निर्माण कार्य नहीं हो सका।

जनपद कुशीनगर, उ0प्र0 राज्य चीनी मिल खड्डा की पेराई क्षमता बढ़ाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

168-श्री दीप लाल भारती-

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0राज्य चीनी मिल खड्डा (कुशीनगर) की पेराई क्षमता 5,000 टन बढ़ाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र विधायक प्रकोष्ठ के पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0/एम-/42516/कुशीनगर/2001 दिनांक 12-2-2001 के साथ, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी हाँ।

खड्डा चीनी मिल उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के अधीन संचालित है। खड्डा मिल को सम्मिलित करते हुए सम्पूर्ण निगम को बी0आई0एफ0आर0 द्वारा रूग्ण इकाई घोषित किया जा चुका है। धनाभाव के कारण खड्डा मिल की क्षमता बढ़ाकर 5,000 टन किया जाना संभव नहीं है।

जनपद कुशीनगर के जिला गन्ना अधिकारी पडरौना को बिना कृषि भूमि वाले माफिया के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

169-श्री दीप लाल भारती-

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19-2-2001 जो जिला गन्ना अधिकारी पडरौना कुशीनगर को बिना कृषि भूमि वाले गन्ना माफिया अजय पुत्र बाला प्रसाद राम अवध पुत्र रघुबर तथा सिंगारी पत्नी बाला प्रसाद इत्यादि के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कार्यवाही करने के संबंध में है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी हाँ।

श्री अजय पुत्र बाला प्रसाद, श्री राम अवध पुत्र श्री रघुबर तथा श्रीमती सिंगारी पत्नी श्री बाला प्रसाद के फर्जी सट्टों को जांचोपरान्त सम्बन्धित कृषकों के सट्टे बन्द कर दिये गये। सचिव, गन्ना समिति छितौनी द्वारा चीनी मिल गड़ौरा व सम्बन्धित कृषकों के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी, जो पुलिस द्वार पूर्व की अन्य प्राथमिकी के साथ शामिल कर विवेचनाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी, कुष्ठ प्रशिक्षण केन्द्र के वरिष्ठ सहायक की सेवानिवृत्त पश्चात समस्त देयकों के भुगतान की जानकारी

170-श्री आचार्य रामदेव वैश्य-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहम्मद शब्बीर अली अंसारी, वरिष्ठ सहायक, कुष्ठ प्रशिक्षण केन्द्र, बाराबंकी दिनांक 30-4-1997 को अधिवर्षता आयु पूर्ण करके सेवानिवृत्त हो चुके हैं? यदि हां, तो क्या उन्हें अन्तिम पेंशन, पेंशन राशिकरण तथा ग्रेच्यूटी प्रदान कर दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हाँ।

जी नहीं।

श्री मोहम्मद शब्बीर अली अंसारी दिनांक 23-4-1997 से 30-4-1997 तक बाराबंकी जेल में गबन के आरोप में बन्द रहे जिसका मुकदमा अभी मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। मा0 न्यायालय के अन्तिम निर्णय के उपरांत ही उनके अन्तिम पेंशन, पेंशन राशिकरण तथा ग्रेच्यूटी के भुगतान हेतु नियमानुसार कार्यवाही सम्भव है।

जनपद हरदोई, विकास खण्ड शाहाबाद के उप प्रधान एवं सदस्यगण ग्राम पंचायत द्वारा इन्दिरा आवासों के अनियमित चयन किये जाने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

171-श्री रामाधार सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह फरवरी, 2001 में प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ संलग्न श्री उदयवीर सिंह, उपप्रधान एवं सदस्यगण ग्राम पंचायत ग्राम सभा ककरघटा विकास खण्ड शाहाबाद जनपद हरदोई का पत्र जो इन्दिरा आवासों के अनियमित चयन किये जाने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हाँ।

प्रश्नगत प्रकरण में खण्ड विकास अधिकारी, शाहाबाद द्वारा उपलब्ध कराई गई जांच आख्या के आधार पर 3 अपात्र पाए गए व्यक्तियों के स्थान पर नये व्यक्तियों के चयन की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

172-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[4थे गुरुवार में अता0प्र0सं0-2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद कुशीनगर में प्रधान मंत्री सड़क योजना के धन आवंटन की बैठक के सम्बन्ध में जानकारी

173-श्री दीप लाल भारती-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर में मा0 सांसद व विधायकों को प्रधान मंत्री सड़क योजना में धन आवंटित करने के लिए दिनांक 15-1-2001 को कोई बैठक आहूत की गयी थी? क्या यह सही है कि पुन: 20-1-2001 को बैठक बुलाई गयी, जिसमें हंगामा व मारपीट की स्थिति उत्पन्न हुई थी जिसके दोषी मुख्य विकास अधिकारी व अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग है? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत दिनांक 15-01-2001 को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के शासी निकाय की बैठक आहूत की गयी।

मा0 जनप्रतिनिधियों के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुये शासी निकाय की बैठक पुन: आहूत की गयी। बैठक के आरम्भ में मा0 जनप्रतिनिधियों में आपस में पुन: बैठक बुलाने को लेकर कुछ वाद-विवाद हुआ, बाद में स्थिति सामान्य हो गयी तथा शान्तिपूर्ण वातावरण में सद्भावना पूर्वक बैठक सम्पन्न हुई। अशान्त वातावरण के लिए मुख्य विकास अधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग के अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु आवंटित धनराशि के प्रकरण की जानकारी

174-श्री परवेज हलीम खां-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग को समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1995 में 20 लाख रुपये का अनुदान अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु दिया गया था, जिसे विभागाध्यक्ष, लोक प्रशासन विभाग ने अपने नाम फिक्स डिपाजिट कर दिया? यदि हां, तो उक्त धनराशि कितने अवधि के लिये फिक्स डिपाजिट करायी गई तथा उससे प्राप्त ब्याज का उपयोग किस मद में किया गया? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

जी हॉ, रू0 19,46,000/- की धनराशि दी गई।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु प्रयोगशाला भवन का निर्माण होना था। अत: निर्माण प्रारम्भ करने तक इस धनराशि को विभागाध्यक्ष ने लोक प्रशासन विभाग के नाम फिक्स डिपाजिट करा दिया।

रू0 19,46,000/- नब्बे दिन के लिए तथा तत्पश्चात इसमें से 3,00,000/- पुन: नब्बे दिन के लिए लोक प्रशासन विभाग द्वारा विभाग के पक्ष में जमा कराया गया था। इससे कुल रू0 50,582/- अर्जित ब्याज का उपभोग मूल्य वृद्धि के कारण अतिरिक्त व्यय भार के रूप में उसी कार्य के लिए किया गया जिसके लिए अनुदान स्वीकृत किया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु क्रय किये गये कम्प्यूटर में अनियमितता की जांच

175-श्री परवेज हलीम खां-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि लोक प्रशासन विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु वर्ष 1995 में कम्प्यूटर की खरीद की गयी थी? क्या उक्त कम्प्यूटर खरीद में मांगे गये टेण्डर सरकार द्वारा पंजीकृत फर्मो के थे? यदि नही, तो क्यों? क्या सरकार कम्प्यूटर क्रय में की गई अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच करायेगी? यदि नही, तो क्यों?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

जी हॉ।

टेण्डर नहीं मांगे गये वरन पी0सी0एल0 फर्म के अधिकृत विक्रेता ट्रान्सवर्ल्ड सिस्टम से कोटेशन के आधार पर क्रय किये गये।

इसकी जांच कराई जा रही है।

जी हॉ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया, परिवार कल्याण विभाग विगत वर्ष में सामग्री क्रय हेतु आवंटित धनराशि की जानकारी

176-श्री छोटे लाल गंगवार-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलिया को परिवार कल्याण विभाग द्वारा कितना धन व परिवार कल्याण में प्रयोग होने वाली कितनी सामग्री वर्ष 1997 से अब तक उपलब्ध करायी गयी है? क्या यह सही है कि सी0एम0ओ0 बलिया द्वारा धन सामग्री वितरण कराने में अनियमितता की गयी है? क्या सरकार इसकी सतर्कता जांच कराकर दोषी को दण्डित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सरदार सिंह-

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के संचालनार्थ परिवार कल्याण विभाग द्वारा जनपद बलिया को वित्तीय वर्ष 1997-98 से अब तक (2000-2001) रू0 15,68,68,439-00 को धनराशि आवंटित की गयी है।

प्रश्नगत अवधि में इस जनपद को परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबंधित उपलब्ध करायी गयी सामग्री की *सूची संलग्न है।

ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नही उठता।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ -+---+--पर।)

(12 बजकर 20 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। 3 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अयोध्या मामले पर . . .

श्री अध्यक्ष-

मा0 मौर्या जी मैं अभी यह सूचना ले लेता हूँ। एक मिनट का काम है नियम 300 और 301 की सूचनायें पहले ले लूँ उसके बाद सुन लूँगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, ऐसे ज्वलंत इश्यू पर जो आज उत्तर प्रदेश का एक सबसे ज्यादा ज्वलंत मामला है और ऐसी स्थिति में जब कि न्यायपालिका पर भी खतरा मँडरा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार अपने मनमाने ढंग से न्यायपालिका का कत्लेआम कर रही है।

(नेता विरोधी दल श्री स्वामी प्रसाद मौर्य श्री प्रमोद कुमार, श्री कौकब हमीद तथा विनोद मणि आदि अपने-अपने दल के सदस्यों के साथ खड़े होकर अयोध्या प्रकरण को पहले सूने जाने की माँग करने लगे।)

श्री अध्यक्ष-

तीन चार मिनट में क्या फर्क पड़ेगा? आपको मालूम है यह सूचनायें नियम-300 और 301 की पढ़ी हुई मान ली जाती है इतनी देर में तो सूचनायें ले ली गई होती।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 09 मई, 2001 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत कुल 03 सूचनायें प्राप्त हुई। नियमानुकूल होने के कारण सभी सूचनायें स्वीकार की गई। पहली सूचना है डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की मेरठ नगर निगम में मानक के अनुरूप सफाई कर्मचारी भर्ती न करने के कारण

ध्वस्त सफाई व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पढ़ी हुई मानी जाती है। दूसरी सूचना श्री कौकब हमीद की प्रदेश के मुस्लिम पदों को अन्य पिछड़े वर्ग की भांति प्राप्त आरक्षण सुविधा का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में है, पढ़ी हुई मानी जाती है। तीसरी सूचना श्री जोखूलाल यादव की जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सम्पर्क मार्गों के अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पढ़ी हुई मानी जाती है।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।)

मेरठ नगर निगम में मानक के अनुरूप सफाई कर्मचारी भर्ती न कराने के कारण ध्वस्त सफाई व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[मान्यवर, 1980 से मेरठ नगर निगम में एक भी नया सफाई कर्मचारी भर्ती नहीं किया गया। जो पद सेवानिवृत्त अथवा मृत्यु के कारण रिक्त हो रहे है वह भी वैधानिक तरीके से भरने ही जा रहे है।

नगर निगम सीमा विस्तरित होने के कारण 40 प्रतिशत भाग बढ़ गया। आबादी भी बढ़ रही है। मानक के अनुसार 3700 लगभग सफाई कर्मचारियों की कमी है। बीमारी फैल रही है, सफाई व्यवस्था ध्वस्त है।

पूछने पर नगर निगम कहता है कि सरकार ने भर्ती पर रोक लगा रखी है। जब राज्य वित्त आयोग की धनराशि स्थानीय निकाय को मिल रही है, तब सरकार को अपनी ओर से रोक हटानी चाहिये तथा निगम को निर्देशित करना चाहिये कि वह अपने संसाधनों तथा राज्य वित्त आयोग की राशि से सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करें। मानक के अनुसार सही न्यूनतम कुछ सफाई कर्मचारी अर्थात् 1500 की भर्ती तो करे। दैनिक वेतन पर सफाई कर्मचारी भर्ती कर उनसे काम लेकर भ्रष्टाचार में संलिप्त है भर्ती न करने का कारण राज्य सरकार को बताते है यह विसंगति दूर होनी चाहिये तथा जनता के समक्ष स्पष्ट स्थिति जानी चाहिये।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुऐ तत्काल सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने की मांग करता हूँ।]

प्रदेश में मुस्लिम जाटों को अन्य पिछड़े वर्ग की भाँति आरक्षण सुविधा का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कौकब हमीद-

[मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से आपका ध्यान प्रदेश के मुस्लिम जाटों की तरफ दिलाना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जाट जाति के लोगों को अन्य पिछड़े वर्ग में आरक्षण की सुविधा तो प्रदान की गयी है। परन्तु जाट मुसलमानों को यह सुविधा नहीं दी जा रही है जिस कारण से मुस्लिम जाट में आक्रोश व्याप्त है।

इस संबंध में कई बार उ0प्र0 सरकार से अनुरोध भी किया गया था कि मुसलमान जाट जाति के लोग मुख्य रूप से जाट ही है और उनका रहन-सहन खान-पान व्यवस्था तथा सामजिक, शैक्षिणक एवं आर्थिक स्तर एक समान है। इस स्थिति में मुसलमान जाटों को अन्य पिछड़े वर्ग में शामेल न किया जाना उनके साथ अन्याय है जिससे मुसलमान जाटों में स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक बनी हुयी है और जगह-जगह धरने, प्रदर्शन आदि किये जा रहे है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मामले पर सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

नोट - [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सम्पर्क मार्गो के अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जोखूलाल यादव-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत निम्नलिखित सड़के क्षतिग्रस्त हो गयी है।

1-सराय ममेरज से बलिया रामपुर स्टेशन संपर्क मार्ग

2-बनरा से जघई संपर्क मार्ग

3-प्रतापपुर से उग्रसेन मार्ग

4-अमोलवा से आराकला मार्ग तथा फूलपुर से सैदा संपर्क मार्ग

महोदय, उपरोक्त संपर्क मार्गो अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन की असुविधा होती है समय-समय पर प्रश्न के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहा हूँ लेकिन खेद है कि आज तक कोई कार्यवाही नही की गयी है न ही मरम्मत कराई गयी है।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने तथा सदन में चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ।]

सदस्यों को आवास/वाहन अग्रिम, विधायक निधि तथा लैपटाप देने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

नियम 300 के अन्तर्गत एक सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की प्राप्त हुई है जो माननीय सदस्यों को आवास/वाहन अग्रिम, विधायक निधि तथा लैपटाप देने के संबंध में तो बाजपेयी जी आप नियमों में संशोधन के लिए कहिए इससे सदन का कार्य कहां पर बाधित होता है यह सूचना निरस्त की जाती है।

प्रश्नकाल न चलने देने के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्नों पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप इस पीठ पर बैठकर हम सभी को संरक्षण प्रदान करते हैं। मान्यवर, आज प्रश्न काल नहीं हुआ जिसपर सदन के सभी सदस्यों का बराबर से हक है। आम जनता से जुड़ी समस्याओं के हल के लिए ही यह प्रश्न काल होता है लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे पर प्रश्नकाल नहीं होने दिया। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ आपका संरक्षण चाहता हूँ कि यदि सदन में प्रश्नकाल नहीं हुआ है तो नियम-56 भी नही होना चाहिए। यह समूचे विधायकों के अधिकारों पर कुठाराघात किया गया है। मैं आपकी इस पर व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

मान्यवर, यह सही है कि जब प्रश्नकाल नहीं हुआ तो नियम-56 भी नहीं होना चाहिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

बाजपेयी जी यह कह कर अध्यक्ष को निर्देशित कर रहे हैं। पीठ को निर्देश दे रहे हैं। यह बात अच्छी नहीं लग रही है।

नोट - [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, प्रश्नकाल न होने की वजह से चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग व जनता से जुड़े अन्य ज्वलन्त प्रश्नों का उत्तर सदन के माध्यम से जनता जानना चाहती थी जिसका कि हमको अधिकार है। प्रश्नकाल नहीं हो सका है जो यह नियम-56 भी नहीं होना चाहिए।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, जो प्रश्न डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने उठाया है, जो चिन्ता व्यक्त की है। उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि हम सबको भी चिन्ता है। यह सदन चलना चाहिए, नियमावली और नियमों के अनुसार। जो विषय कार्य-सूची में हैं उसके अनुसार सदन चलना चाहिए। खाली यह सदन नियम-311 और 56 के लिये रह जाय, यह चिन्ता का विषय सभी माननीय सदस्यों के लिये है। मेरा भी आग्रह है कि केवल विषय विशेष के लिये कार्य-स्थगन माना जाय, और अगर न माना जाय तो सदन नहीं चलने दिया जाय, यह ठीक नहीं है। हम सभी की यह चिन्ता का कारण है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, जो भी सदन की कार्यवाही चलती है वह आपके निर्देश से चलती है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात सुन ली है मौर्या जी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। यह सदन को हाई जैकिंग करने का काम विपक्ष जो कर रहा है उससे सभी में रोष व्याप्त है। यह हाई जैकिंग बन्द होनी चाहिए और काय्र सूची के अनुसार सदन चलना चाहिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[x x x x x x x]

श्री अध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[^{X} x x x x]

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने चिन्ता पूरे सदन के बारे में आपके समक्ष रखी और हुकुम सिंह जी ने एक बात कह दी कि सदन की हाई जैकिंग विपक्ष कर रहा है। मान्यवर, मुझे इस पर घोर आपत्ति है। आप इस बात को जानते हैं कि 23 तारीख से, जब से विधान सभा चल रही है, विपक्ष ने पूरा सहयोग दिया है और अगर कदाचित कोई मुद्दे पर विपक्ष सर्वसम्मति से उस गम्भीर मुद्दे को सदन में उठाना चाहता है, जिसका प्राविधान नियमावली में है। इसमें आप यह बता देगें कि सदन में यह नियम-56 आये ही नहीं। यह कदाचित सही नहीं है। मान्यवर, मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि जितनी चिन्ता इनको है, उससे ज्यादा चिन्ता हमको भी है। आप इस बात को जानते हैं कि जब से विधान सभा का सत्र चल रहा है 90-95 में से अधिकांश मंत्री विधान सभा में आते नहीं हैं। कोरम के अभाव में कई बार विधान सभा स्थगित करनी पड़ी है, तब बाजपेयी जी और हुकुम सिंह जी को चिन्ता नहीं होती है।

(व्यवधान)

नोटः- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मैं कहना चाहता हूँ कि इस नियमावली में इस बात का प्राविधान है कि साधारणतया 90 दिन सदन चलाया जाए, तो क्या आप घोषणा करेंगे कि इस सदन में 40-45 दिन बजट सत्र चलाया जाएगा?

श्री हुकुम सिंह-

हमें आपत्ति है आप सदन चलने नहीं देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

बहुत समय जा रहा है।

*श्री अम्बिका चौधरी-

आज जिन परिस्थितियों में स्थगन दूसरी बार 3.00 बजे तक हुआ आपने पीठ से व्यवस्था दी, उसके अनुसार एजेन्डे पर चलेंगे, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है श्रीमन् इस बात का पूरा प्रयास किया जा रहा है संसदीय कार्यमंत्री और उनकी टीम द्वारा कि इस सवाल पर किसी तरीके से प्रदेश की जनता की भावना न आ सके इसलिए उत्तेजना फैलाकर सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन इनके इस शोर से हम नहीं डरेंगे।

(व्यवधान)

हमें आपका संरक्षण चाहिए। नियम 311 का प्राविधान नियमावली में इस कारण है कि असाधारण परिस्थिति आ जाए तो सदन के समस्त कार्यों को रोककर चर्चा कराई जा सके। नियमानुसार सूचना दी है आपने कृपापूर्वक कहा है कि सुनेंगे और उस पर इस तरह से टिप्पणी की जाए।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

इस तरह का प्रयास किया जाना सही नही है, प्रश्नकाल किन परिस्थितियों में स्थगित हुआ यह सबको जानकारी है जो प्रयास है संसदीय कार्यमंत्री और उनके पीछे सत्तारूढ़ पार्टी के दूसरे सदस्यों का कि सदन की कार्यवाही न चल सके, या चर्चा न हो सके तो इसमें आप संरक्षण दीजिए। किसी भी तरीके से इस चर्चा से भागने का अवसर इनको मत दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

यह सवाल जवाब नही हो रहे है।

(व्यवधान)

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

कार्यसूची के अनुसार सारे कार्यक्रम लिये जाने चाहिए। सारे सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण होना आवश्यक है।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, निसन्देह जिसमें चर्चा हो रही है इसमें आपको भी . . .

श्री अध्यक्ष-

चर्चा नही हो रही है। व्यवस्था का प्रश्न है, इस पर विचार व्यक्त कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्षजी, नियम 311 में कुछ सूचनायें आई यह आपका विवेक है, आप उसको 11-00 बजे, 12-00 बजे या पांच बजे सुनें लेकिन विपक्ष को अधिकार है नियम 311 में सूचना देने का, नियमावली में जब तक प्राविधान है इसको उठायेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

आप इनको सुन लेंगे और जब सरकार की बारी आएगी तो यह बेल में आ जाएंगे।

श्री प्रमोद कुमार-

मैंने अनुरोध किया कि नियम 311 में सूचना देने का अधिकार हमें है आप उसको स्वीकार करें या न करें यह आपकी पीठ का निर्णय है और वह सर्वोच्च निर्णय है। या तो नियम 311 में संशोधन किया जाए कि इसको प्रश्नकाल के बाद उठाया जाएगा तो हम उसके बाद उठायेंगे।

(व्यवधान)

मान्यवर, एक दुखद स्थिति है। तीन-चार दिनों से मैं स्वयं दुखी हूँ। इस सरकार का बहुमत है और 90 मंत्री हैं। आपकी पीठ से निर्देश भी दिये गये हैं कि सदन में कोरम नहीं रहता है। अगर 90 में से इनके 45 मंत्री भी बैठ जायें तो कोरम हो जायेगा। अगर संसदीय कार्य मंत्री जी के लिए कोई शर्मनाक बात हो सकती है तो वह यह है कि इनका कोरम नहीं हो पा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

ऐसी बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, हमने यह तो सुना था कि विपक्ष के लोग कहते हैं कि हम सदन नहीं चलने देंगे लेकिन आज मैं यह पहली बार सुन रहा हूँ और सरकार की हताशा और ट्रेजरी बैन्च की आवाज सुनायी पड़ रही है कि हम सदन को चलने नहीं देंगे।

श्री बाल चन्द्र मिश्र-

मान्यवर, हमने यह नहीं कहा था कि हम सदन चलने नहीं देंगे बल्कि हमने तो निन्दा की थी कि प्रश्न प्रहर जानबूझकर विपक्ष चलने नहीं दे रहा है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

प्रश्न प्रहर अगर नहीं चलने दिया गया है तो फिर नियम-56 को भी बन्द करिये।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, इस सरकार का अगर अधिकार है तो हमारा भी अधिकार है कि आपने अनुमति दी है तो हम अपनी बात कह सकते हैं लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि ट्रेजरी बैन्च से आवाज आयी कि हम सदन नहीं चलने देंगे। दूसरी बात....

(व्यवधान)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, नियम-311 में है कि "कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाय और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो वह नियम उस समय के लिए निलम्बित कर दिया जायेगा। ऐसी अवस्था में जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा, वह अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित की जायगी।" आपकी सम्मति हुई कि इसे नियम-56 में परिवर्तित किया जाय और यह कार्य सूची की मद संख्या-7 में आ गया तो उसी के अनुसार लिया जाना चाहिए था। मान्यवर, यह सदन कार्य सूची के अनुसार चलना चाहिए। फिर प्रश्नकाल को क्यों स्थगित कराया गया इनके द्वारा? आखिर यह सदन नियमों और परम्पराओं के अनुसार ही चलेगा।

*श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, अभी मेरी बात पूरी नहीं हो पायी है। तो, मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कह रहा था कि प्रश्नकाल नहीं चला यह एक दूर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन यहाँ व्यवस्था का प्रश्न उठाकर, कहाँ से उनकी विवेक की लहर चल रही है, ज्ञान का सरोवर चल रहा है....

श्री अध्यक्ष-

इनके साथ आप बैठ जाइये तो आपको पता चल जायेगा कि कहाँ से लहर चल रही है और एक दूसरे की लहरों को आप एक्सचेंज भी कर लीजियेगा।

एक सदस्य-

(यह लहर गिन रहे हैं।)

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, लहर गिनते-गिनते तो यह करोड़पति हो गये हैं। मान्यवर, तो मैं यह कह रहा था कि कायवाही को निकलवा दें, तो हमारे विद्वान सदस्य ने यह कहा है कि, चूँकि प्रश्नकाल नहीं चल सका है इसलिए नियम-56 भी नहीं चलेगा। यह हमारी तौहीन नहीं है बल्कि यह आपकी तौहीन है। मान्यवर, यह एजेन्डे में हैं और हमने इसे दिया है और आपने इसे स्वीकार भी किया है नियम-56 में हमने सूचना दी है आप उसे नकारें या स्वीकार करें यह आपका निर्णय है।

(व्यवधान)

मान्यवर, यह जो लता मंगेशकर की [x x] आवाज चल रही है...

श्री अध्यक्ष-

यह शब्द निकाल दिया जाये।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। मान्यवर, जो राजनीतिक दल जिसने हिमाचल प्रदेश में किस तरह से अपनी सरकार चलाई यह सबको पता है। विपक्ष को क्या करना है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कोई ट्रेनिंग स्कूल खोलकर सिखाने की जरूरत नहीं है हमें क्या करना है हमें मालूम है हम तब तक उठाते रहेंगे जब तक नियमों में इसकी व्यवस्था है। मान्यवर, नियम-56 और प्रश्न काल अलग-अलग हैं। नियम-56 हटाना इनके विषय के बाहर में चीज है इनसे कहें कि यह अपनी सीमा में रहें।

*नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)-

श्रीमन्, अनावश्यक तरीके से सदन का कीमती समय नष्ट हो रहा है। श्रीमन्, विपक्ष हमेशा सरकार की गलत नीतियों का पर्दाफाश सदन के बाहर और सदन के अन्दर किया करता है और श्रीमन्, सदन में जब वह करता है नीतियों का पर्दाफाश तो नियमावली में कुछ नियम हैं जिनके तहत इन प्रश्नों को उठाया करता है। श्रीमन्, उसी के तहत 311 है और 56 है। मान्यवर, 56 तो प्रश्न प्रहर के बाद में आता है लेकिन 311 जो है, मैं यह नहीं कहता हूँ कि आप उस पर चर्चा करवा लीजिए लेकिन श्रीमन् 311 जो होता है उस पर आप हम लोगों को जो विपक्ष को उठाने वाले लोग हैं उनको उसकी ग्राह्यता पर तो सुनने का आपको पूरा अधिकार है।

(व्यवधान)

मान्यवर, माननीय प्रमोद कुमार जी ने, माननीय मौर्या जी ने बात कही थी। आज चूँकि इस मुद्दे पर 311 के, यह तिलमिला उठे हैं क्योंकि सच्ची बात कहते हैं तो इन लोगों को बुरी लगती है। आज वह सच्चाई उजागर होगी इसलिए यह लोग चिन्तित हैं। चाहते नहीं कि सदन चले इससे तो काम नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि नियमावली के जो नियम हैं उस पर आपको चर्चा कराने के लिए अधिकार हैं या आप चर्चा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

न करायें। लेकिन ग्राह्यता पर तो हमलोगों की बात सुनने के लिए हम निवेदन करते हैं। हम निवेदन करते हैं कि ग्राह्यता पर सुन लिया जाये और बिला वजह जो यह बात चल रही है कि प्रश्नकाल नहीं तो 56 कैसे, क्या नियमावली के नियम बदल जायेंगे? श्रीमन्, नियम समिति बनी है अगर वह संशोधन करेगी तो वह आयेगा। तो यह भी नहीं कर सकते हैं कि उस नियम को शिथिल कर दें इसको ग्राह्यता पर सुन लिया जाये ताकि इससे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले। हमारे समस्त विपक्ष ने सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग किया है और आज भी हम लोग करने को तैयार हैं। लेकिन जो ज्वलन्त समस्याएं हैं जनता से जुड़ी हुई, समाज से जुड़ी हुई, प्रदेश और देश से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनको जरूर उठायेंगे। यह बात जरूर है कि बहुमत के बल पर दबाये लेकिन इस पीठ से यह आशा रही है विश्वास भी रहा है कि उन प्रश्नों को उठाने की अनुमति दी जायेगी।

*श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जो सत्तादल के साथी हैं आज जो उन्होंने व्यवहार किया, वह लगता है कि जैसे अराजक तत्वों का यहाँ पर गोल इकट्ठा हो गया हो और यदि सदन न चलने देने का इतना शौक है तो वह दिन नजदीक है जब आप इधर आकर जो करना हो करियेगा। मान्यवर, हमने जो भी नियम 311 में सूचना दी वह उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के तहत दी है। लेकिन यह भी सूचना हमने दिया है आप स्वीकृति दें न दें यह पीठ का मामला है और चूंकि इस नियमावली के तहत नियम 311 में सूचना दी गयी है तो माननीय सत्तापक्ष के सदस्यों का यह कहना कि चूंकि प्रश्नकाल नहीं चला, प्रश्नकाल की चिन्ता हमें भी है और आपसे ज्यादा है लेकिन कभी-कभी जब ऐसे अति आवश्यक मसले, जहाँ पर उत्तर प्रदेश का मामला, न्यायपालिका का मामला और सरकार की पूरी पूरी मंशा पर प्रश्न चिह्न उठता हो तो वह ऐसे गम्भीर मामले होते हैं और गम्भीर समस्याओं पर प्राथमिकता के आधार पर सदैव चर्चा होती रही है और आप संरक्षण देते रहे हैं, और आपके संरक्षण में यह आगे भी चलता रहेगा। मान्यवर, बाजपेयी जी वरिष्ठ सदस्य हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इस नियमावली की किस धारा में यह लिखा हुआ है कि यदि विपक्ष प्रश्नकाल न चलने दें तो सत्तापक्ष भी नियम 311 नहीं चलने देगा, यह नियमावली की किस धारा में है? मान्यवर, इस तरह से बात का बतंगड़ बनाकर सदन का समय बरबाद किया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि आप इस पर स्पष्ट व्यवस्था दें, निर्देश दें और साथ ही साथ सत्तापक्ष को संयम से रहने का निर्देश दें। जिस तरह से बौखलाहट में ये अपनी काली करतूत को छिपाने के लिए जिस तरह से हो-हल्ला कर यहाँ पर विपक्ष की बात को दबाना चाहते हैं तो इस तरह से वह छिपने वाली नहीं है।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

मान्यवर, मौर्या जी यह बता दें कि क्या कोई यह भी नियम है कि नियम 56 में आप सबेरे से सदन न चलने दें।

श्री बाल चन्द्र मिश्र-

मान्यवर, नियम 311कनवर्ट करके 56 में लाकर उसे कार्यसूची में सातवें नम्बर पर रखा गया है प्रश्नप्रहर को स्थगित कराकर।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, यह नियमों में है कि 311 किसी भी समय में, किसी भी क्षण में उठाया जा सकता है। इसमें कोई समय का बन्धन नहीं है यह 11 बजे भी हो सकता है।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, आप दो मिनट का समय दे दें।

मान्यवर, माननीय वरिष्ठ सदस्य मौर्या जी ने तमाम बातें कही हैं। मैं नियमावली के नियम 311 की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ- कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाय और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो वह नियम उस समय के लिए निलम्बित कर दिया जायेगा। ऐसी अवस्था में जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा, वह अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित की जायेगी। मान्यवर, नियम 311 की सूचना आई और उन सूचनाओं को आपने नियम 56 में परिवर्तित कर दिया। नियम-56 कार्यसूची की मद-7 पर है। आज सुबह जब आप पीठ पर बैठ, विपक्ष के साथियों द्वारा विषय उठाया गया, आपने अपने निर्णय की घोषणा कर दी कि इसे नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है और जब नियम-56 आयेगा, तब सुनूँगा। ग्राह्यता पर सुना जाय, यह इनका अधिकार है। तो मेरा निवेदन यह है कि नियम 311 का पूरा-पूरा पालन आपके द्वारा किया गया और उसके बाद नियम-56 में कार्य-स्थगन प्रस्ताव आना चाहिए। मेरा कोई चुनौती देने का मतलब नहीं है, केवल विनम्रता पूर्वक यह निवेदन है कि प्रश्नों के माध्यम से हम सरकार का पक्ष रखते हैं। प्रश्न विपक्ष का भी अधिकार है, वह सरकार को सुनते, सरकार को सुनने के बाद पीठ के निर्णय को सुनते, उसके बाद वह सूचना जनता में जाती, लेकिन प्रश्नकाल को न चलने देना यह कहां तक उचित है? मैं किसी को चुनौती नही दे रहा हूँ लेकिन इतना अवश्य चाहता हूँ कि कम से कम प्रश्नकाल तो चले। प्रश्नकाल के माध्यम से विपक्ष को तो सरकार को घेरने का मौका मिलता है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जब प्रश्नकाल न चले तो नियम-56 भी न चले, इस पर मैं आपकी कृपापूर्ण व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय बाजपेयी जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाकर, प्रश्नकाल चलने के बारे में अपनी चिन्ता प्रकट की है। प्रश्नकाल सदन के सभी सदस्यों का है। हमारे सत्ता पक्ष के लोग भी प्रश्न करते हैं और विपक्ष के लोग भी प्रश्न करते हैं और अनुपूरक प्रश्न किसी भी पक्ष का व्यक्ति कर सकता है। इसलिए प्रश्नकाल का जो महत्व होता है, वह अपनी जगह पर है। जहाँ तक नियम 311 का प्रश्न है, इस तेरहवीं विधान सभा में मैंने यह अनुभव किया है, मैं अपना निर्णय इस आशा से दे रहा हूँ कि लोग इसका अनुपालन करेंगे। मैं यह कह रहा था कि इस तेरहवीं विधान सभा में असंख्य सूचनाएं नियम-311 में दी गई हैं। मैं समझता हूँ कि इस नियम की व्याख्या अब आवश्यक हो गई है। प्राय: मैंने नियम 311 की सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित किया है। यह परिवर्तन के नियम के अन्तर्गत किया गया, जिसमें नियमों के अतिरिक्त अध्यक्ष को तमाम बातों की विनियमित करने का अधिकार दिया गया है, अन्यथा इसके अतिरिक्त इस नियमावली में नियम 311, नियम 56 में परिवर्तित करने के बारे में कोई भी नियम नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य अपनी बात कह सकें, इसके लिए एक अवसर मिले, उसके लिए यह रास्ता निकालने की बात है कि नियम 56 में परिवर्तित कर दी जाय। लेकिन नियम 311 की कुछ अनिवार्यतायें हैं। जब तक अध्यक्ष पीठ से सम्मति नहीं मिलती, तब तक कोई भी प्रस्ताव नियम 311 में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यह सम्मति कहां मिलेगी? यह कक्ष में भी मिल सकती है और यह सदन में भी हो सकती है। नियम 311 का प्रस्ताव सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव के सम्बन्ध में होता है अर्थात् सदन के समक्ष कोई प्रस्ताव प्रस्तुत है, वह विचाराधीन है, वह अलग प्रस्ताव है और 311 का निलम्बन, वह अलग प्रस्ताव है। अब यदि 11 बजे जैसे ही सदन यहां एकत्र होता है और कार्य प्रारम्भ करने की चेष्टा करता है और वैसे ही 311 उठाया जायेगा तो उस समय सदन के समक्ष कोई प्रस्ताव नही है, जिसे लिया जाय। नियम 311 का प्रस्ताव तो सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होता हे, जब ऐसा कोई प्रस्ताव आयेगा, तब उस पर कार्यवाही प्रारम्भ होगी। नियम

311 का प्रस्ताव ठीक 11 बजे, जब यहां सदन एकत्र होता है, यह समय 311 के अनुकूल नहीं है दूसरी चीज यदि नियम-311 का प्रस्ताव स्वीकृत होता है तभी वह सदन द्वारा निलंबित किया जाता है, तो स्वीकृति की स्थिति तो बाद में आती है पहले तो अध्यक्ष सम्मति दें, सम्मति कब देंगे जब सदन के समक्ष कोई प्रस्ताव है तो उसके सम्बन्ध में निलम्बन का प्रस्ताव लाया जायेगा। मैं समझता हूँ कि स्थिति बहुत स्पष्ट है। बाजपेयी जी ने जो इच्छा प्रकट की है कि प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि इनका जो प्रयास था और अन्य सदस्यों का भी है। दोनों पक्षों की यही इच्छा है। मुझे सहयोग भी मिला है, पिछले सप्ताह सदन अच्छा चला है। इस आशा के साथ कि सदन चलाने में आम राय बनायेंगे। मैं इस सूचना का निस्तारण करता हूँ।

नियय 311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य -स्थगत प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 9 मई, 2001 को नियम-56 में 4 सूचनाएं प्राप्त हुई एवं नियम-311 में प्राप्त दो सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित किया गया। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 6 सूचनाएं प्राप्त हुई। नियम-56 की जो पहले विषय के सम्बन्ध में सूचना है मैं समय भी बता देता हूँ। पहली सूचना 311 की 9.35 पर आयी है जिस पर कुँवर रेवती रमण सिंह और श्री अम्बिका चौधरी के हस्ताक्षर हैं। इसी विषय पर दूसरी सूचना 9.40 बजे आयी और इस पर श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री आर0के0 चौधरी, श्री इन्द्रजीत सरोज और श्री राम सेवक सिंह के हस्ताक्षर हैं। इसी विषय पर अगली सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री राम नरेश यादव, श्री अखिलेश कुमार सिंह और श्री कौकब हमीद की है- प्रदेश में 6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या में जो घटना हुई थी उस पर मुकदमा चलाने के सम्बन्ध में है, इस पर माननीय सदस्यों के मैनें नाम बता दिए हैं। दूसरी सूचना श्री संजय गर्ग की है, तीसरी सूचना श्री राम कुमार एडवोकेट और श्री उदयराज यादव की तथा चौथी सूचना श्री विनोदमणि की है। पहली सूचना मैं ले रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि प्रत्येक माननीय सदस्य अपनी बात कह सकेंगे। जिस क्रम से सूचनाएं प्राप्त हुई हैं मैं उसी क्रम से ले रहा हूँ। पहले मैं दल के नेताओं को सुन लूँगा और उसके बाद माननीय सदस्यों को सुन लूँगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री उत्तर देना चाहेंगे, उत्तर आ जाये तो अच्छा रहेगा, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है तो मैं पहली सूचना ले रहा हूँ।

कुँवर रेवती रमण सिंह-

मा0 मैं आभारी हूँ आपका कि आपने अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं ज्वलंत विषय पर आज मुझे विधान सभा में बोलने की अनुज्ञा दी। मान्यवर, आज मैं हतप्रभ रह गया सरकार की हठधर्मिता देख कर कि आज यह सदन चलने ही नहीं देना चाहते थे। मान्यवर, मुझे समझ में नहीं आता कि न्यायालय की अवमानना एक बार नहीं अनेक बार यह सरकार कर चुकी है यहां तक कि न्यायालय में, उच्च न्यायालय में और उच्चतम् न्यायालय में इन्होंने हलफनामा भी दिया और उस हलफनामा के प्रतिकूल आचरण करके बाबरी मस्जिद को शहीद करने का काम किया। वह 6 दिसम्बर, 1992 भारत के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जायेगा, वह बर्बरतापूर्ण कार्य जो 6 दिसम्बर को किया गया, पूरी दुनिया ने देखा। मान्यवर, वर्तमान प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी ने भी उस समय क्षोभ प्रकट करने का काम किया था। लेकिन मान्यवर, मुझे अफसोस है कि उस घटना के बाद इनको सबक लेना चाहिए था। विधि और न्याय की एक प्रक्रिया है, मुझे मालुम है कि उस प्रक्रिया में यह विश्वास नहीं करते लेकिन मान्यवर, उसके बावजूद यह इंसानियत का तकाजा है, कानून का तकाजा है, संविधान का तकाजा है कि उसको मानना चाहिए लेकिन इनका उससे कोई लेना-देना नहीं है। जहां हजारों लोग मारे गये और करोड़ों-अरबों रुपये की सम्पत्ति का विनाश हुआ,

एक ताण्डव पूरे देश में किया गया। एक न्यायालय ने 42 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया और एक तकनीकी कारण से न्यायालय ने कहा कि 21 लोगों के नाम उस अधिसूचना से हटा दिये जाँय। न्यायालय ने यह भी कहा कि सरकार को दूसरी अधिसूचना जारी करनी चाहिए। आपकी आज्ञा से मैं उन लोगों के नाम भी बताना चाहूँगा जो न्यायालय ने कहे है- श्री लालकृष्ण आडवानी, श्री मुरली मनोहर जोशी, सुश्री उमा भारती तथा श्री अशोक सिंघल। इस सरकार में एक अचम्भे की बात यह भी है कि बजाय अधिसूचना जारी करने को सरकार ने यह कह दिया कि ये निर्दोष हैं और इनके खिलाफ अधिसूचना जारी करने की कोई आवश्यकता नही है। 42 लोगों के खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत होने के बाद 21 लोगों को तकनीकी कारणों से हटा दिया गया जिसमें इनके सर्वमान्य नेता लोग हैं और बिना न्यायालय में अधिसूचना को जारी किये ही अपना पक्ष रख दिया कि जारी करने का कोई औचित्य नहीं है।

मान्यवर, इससे बड़ा गम्भीर और ज्वलंत प्रश्न आज पूरे सदन में दूसरा नही हो सकता। हम लोगों की मंशा नहीं है कि सदन न चले। पूरा विपक्ष यह जानना चाहता है कि सरकार अधिसूचना जारी करेगी या नहीं। न्यायालय ने कहा है कि 3 महीने के अन्दर अधिसूचना जारी हो जाना चाहिए। यह बात कहे हुये एक-डेढ़ महीना हो गया है लेकिन सरकार के कान पर जूँ नहीं रेंग रही है, सरकार कोई कार्यवाही करने पर तैयार नहीं है। मैं आग्रह करूंगा कि इससे बड़ा मुद्दा कोई हो नहीं सकता। इसकी गम्भीरता को समझते हुये इसे नियम 311 में उठाया था। हम यह नहीं चाहते हैं कि सदन न चले लेकिन हम यह चाहते हैं कि न्यायपालिका का सम्मान हो, संविधान का सम्मान हो, जो कानून चल रहा है उसका सम्मान किया जाये। अगर यह सरकार नहीं करती है तो हमारा धर्म है कि उसका पालन कराने में हम सरकार को मजबूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार माननीय उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कि 3 महीने के अन्दर आज की तारीख में 1993 में जो अधिसूचना जारी हुई थी उसमें कुछ कमियां रह गयी हैं, उसको सरकार 3 महीने के अन्दर दूर कर सकती है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार माननीय उच्च न्यायाल के इस निर्देश के बावजूद भी उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है और हीला-हवाली कर रवैया अपनाये हुये है। इसलिए अपनाया है कि मुकदमा संख्या-198/92 में भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता श्री लालकृष्ण आडवानी, श्री मुरली मनोहर जोशी और सुश्री उमा भारती जो आज भारत सरकार में केन्द्रीय मंत्री के रुप में है। गिरिराज किशोर, विष्णुहरि डालमिया, अशोक सिंघल, बालासाहब ठाकरे तथा तत्कालीन मुख्य मंत्री कल्याण सिंह जो यह सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सत्ता दल के हैं, जुड़े हुए हैं। कोई विश्व हिन्दू परिषद, कोई शिवसेना से। इसलिए इस उत्तर प्रदेश की सरकार अपने केन्द्रीय नेताओं को बचाने के लिए अपने शीर्ष नेताओं को बचाने के लिए माननीय न्यायालय के निर्देश को धता बताने का काम कर रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ मान्यवर, मुकदमा अपराध संख्या 198-92 में इन सभी भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं को जिनका नाम आपके सामने प्रस्तुत किया है इन पर आई0पी0सी0 के अन्तर्गत धारा 147, 153ए0, 153बी0, 295, 295ए0, 505 और 120बी0 के तहत मान्यवर, इन पर मुकदमा पंजीकृत हुआ है। लेकिन अधिसूचना जारी करने की कमी रह जाने के नाते इनके खिलाफ जो कार्यवाही चल रही थी उसको रोक दिया गया।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो अधिसूचना में कमी है उसको इस सरकार को तत्काल दूर करना चाहिए जिससे की न्यायपालिका को अपनी कार्यवाही करने में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए ताकि जो जनता का न्यायपालिका के प्रति जो आस्था है, विश्वास है अटल रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है, मनमानापन है, बहुत ही शर्मनाक है। मान्यवर, जो भारतीय जनता

पार्टी की सरकार जो कर रही है न्यायपालिका पर से विश्वास उठ जायेगा और ये लोग वही व्यवहार में भी कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा जो यहाँ 21 अभियुक्तों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है, कोर्ट के द्वारा या न्यायपालिका के द्वारा इसके लिए सरकार को तत्काल जो अधिसूचना जारी होने में कमी है उनको पूरा होना चाहिए। यह सी0आर0पी0सी0 के एक्शन-13 के अन्तर्गत जो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये है, केन्द्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार, राज्य सरकार उच्च न्यायालय से भी अनुरोध करते हैं तो उच्च न्यायालय अपनी सहमति देता है। जो भी अधिसूचना जारी होना चाहिए थी, माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध नहीं किया, सहमति नहीं ली गई। उच्च न्यायालय सरकार के अनुरोध पर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत का गठन करती है और वह माननीय न्यायालय की सहमति नहीं ली यह रंचमात्र की कमी है। मैं अनुरोध करूँगा यद्यपि कि यह 8 मार्च, 1993 में अधिसूचना जारी हुई, उस समय राष्ट्रपति शासन था, मोतीलाल वोरा राज्यपाल थे, जिस समय बाबरी मस्जिद ढहाई गई, केन्द्र में नरसिंह राव प्रधान मंत्री थे।

मान्यवर, यह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की बड़ी ही सोची-समझी रणनीति थी, इसमे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर बाबरी मस्जिद को ढहाने का काम किया है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस दोनों दोषी थे और इस अधिसूचना के जरियें उन्हें बचाने का कार्य किया जा रहा है। मान्यवर, इस अधिसूचना को तत्कालीन महामहिम राज्यपाल श्री मोती लाल बोरा द्वारा जारी किया गया। मान्यवर, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, उस अधिसूचना में जो खामियां थीं उन्हें दूर करना चाहिए जिससे जो न्यायपालिका का कार्य रूक गया है, उस काम को आगे बढ़ाया जा सके। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यह दोनों ही एक ही प्रकरण के दोषी हैं।

मान्यवर, इसमें आरोपित 26 लोगों को आगामी 8 जून को, आरोप पत्र देने के लिए अदालत में बुलाया गया है और 21लोगों के खिलाफ कार्यवाही रोक दी गयी है, मान्यवर, यह जो 21 लोग हैं वह कोई ऐसे-गैरे-नत्थू-खैरे लोग नहीं है यह लोग भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और बजरंग दल के चोटी के नेता हैं, मान्यवर मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि यह भारत देश सबका देश है, यह किसी के बाप की बपौती नहीं है, यह भारत हिन्दू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी का देश है, इसमें सभी का अस्तित्व सुरक्षित रहना चाहिए। मान्यवर, इसमें किसी के मजहब के ऊपर कोई चोट नहीं आनी चाहिए और यदि कोई किसी के मजहब को चोटिल करता है तो उसे अपराधी मानकर, उसे सजा देनी चाहिए, इस सरकार को यह नकारना नहीं चाहिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि अधिसूचना जारी न होने के कारण जो यह ऊहा-पोह की स्थिति बनी हुई है और इस सरकार द्वारा यह जो खेल खेला जा रहा वह बंद होना चाहिए। इसलिए मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस अत्यंत गंभीर अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर, इस सदन की कार्यवाही रोककर इस पर तत्काल ही चर्चा कराई जाय और जो खेल केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार मिल कर खेल रही है, और उससे जो गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है, अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं, भविष्य में वह दोबारा न हो सके।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, आज एक दुखद् और दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण पर इस सदन में विपक्ष को नियम 56 और नियम 311 में प्रस्ताव लाने की आवश्यकता पड़ी। मान्यवर, यदि सरकार ने अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह किया होता तो यह कार्यस्थगन प्रस्ताव लाने की आवश्यकता न पड़ती। मान्यवर, 12 फरवरी को एक निर्णय हुआ था और उसके अनुसार नोटीफिकेशन जारी हो जाना चाहिये था लेकिन सरकार ने इसमें शिथिलता बरती और इस पर कुंडली मार कर बैठ गयी और सत्तारूढ़ दल के मुखिया का जो बयान आया है उससे यह सावित होता है कि इनकी नीति और नीयत दोनों में साफ नहीं है और दोषियों को बचाने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, मैं तथ्यों को दोहराना नहीं चाहता हूँ लेकिन कहना चाहता हूँ कि 6 दिसम्बर, 1992 की घटना कोई साधारण घटना नहीं थी। इस घटना के बाद हुयी हिंसा में 6 हजार से ज्यादा लोग मारे गये और

30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ। मैं घटना की भयावहता और महत्व को इंगित करना चाहता हूँ। मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय की बात जाने दीजिये, लोक सभा के आश्वासन की बात जाने दीजिये, विधान सभा में आश्वासन देने के बाद सरकार ने अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं किया और संविधान की हत्या की इसलिये इस महत्वपूर्ण प्रकरण पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है।

मान्यवर, 6 सितम्बर, 1993 को एक शासनादेश निर्गत हुआ कि एक विशेष अदालत बनायी जाय और 9 सितंबर, 1993 को एक विशेष न्यायालय गठित हुआ। इसके बाद 8 साल बीत गये और मुकदमे में जितनी अपेक्षित प्रगति होनी चाहिये वह नही हो पायी। सी0बी0आई0 ने काफी खोजबीन करके कुछ लोगों को चार्जशीट दिया। यह भारत के इतिहास में अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि देश के गृह मंत्री, मानव संसाधन मंत्री, और खेल मंत्री इसमें चार्जशीटेड हैं। यह भारत के इतिहास में पहली घटना है कि एक मामले में सरकार को 3-3 मंत्री चार्जशीटेड हैं और इनको कोई शर्म लिहाज नही है इनको अपने पद से त्याग-पत्र दे देना चाहिये। राजनीति का तकाजा यह है कि मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवानी और उमा जी को त्याग-पत्र दे देना चाहिये और तब तक अपनी कुर्सी पर न बैठना चाहिये जब तक वह निर्दोष न साबित हो जायं। सी0बी0आई0 ने प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर दोषी पाया और चार्जशीट दाखिल कर दिया। न्यायालय ने उसको स्वीकार किया। इसका मतलब है कि इन्वेस्टीगेटिव एजेंसी के अनुसार प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ साक्ष्य पाये गये और उनको चार्जशीट दी गयी। विद्वान न्यायालय ने निर्णय दिया है कि चार्जशीट हम स्वीकार करते हैं। उसके बाद वह हाईकोर्ट जाते हैं 2 विंदुओं पर। एक तो चार्जशीट क्वेश कर दी जाय क्योंकि साक्ष्य पर्याप्त नहीं है और दूसरे एक तकनीकी, क्लेरिकल मिस्टेक पर जाते हैं कि जो अधिसूचना जारी हुयी है उसकी संस्तुति, चीफ जस्टिस की कान्फरेंस नहीं ली गयी है। विद्वान न्यायालय ने चार्जशीट को अपहेल्ड किया है। हाईकोर्ट ने यह नहीं कहा है कि चार्जशीट गलत है। गुण और दोष पर विचार करने के बाद प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत पाने के बाद न्यायालय ने कहा है कि इन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। उन्होंने "मिस्टेक" वर्ड का इस्तेमाल किया है और कहा है कि "दिस मिस्टेक इज क्योरेबिल"। यह गलती सुधारी जा सकती है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार के 7 साल बीत गये है इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार कोई अदालत नही है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई इन्वेस्टीगेशन नहीं किया है सरकार की हैसियत सिर्फ प्रोजीक्यूटर की है। यह कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। यह बहस कर सकते है और साक्ष्य दे सकते हैं, लेकिन प्राजीक्यूटर अपने को अदालत में तब्दील नहीं कर सकता हैं। बेगुनाही का प्रमाण-पत्र नहीं दे सकता है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया उसका अनुपालन सरकार क्यों नहीं करती है। मैं कहना चाहता हूँ कि यदि नैतिकता है तो क्यों त्यागपत्र नहीं दे देते अपने पद पर क्यों बने हुये हैं? पहले तो आप कहते थे, राम लला हम आयेंगे, मंदिर वहीं बनायेंगें। आज अदालत में जाने की हिम्मत नहीं है। सोच रहे हैं कि अगर न्यायालय में जायेंगें तो सजा हो जायगी। इनका कंडक्ट और चरित्र तथा व्यवहार यह साबित करता है कि यह दोषी हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी, आप फौजदारी के वकील है, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, जितना आपको है। बहुत से ऐसे अपराध हैं जिनमें सरकारी अधिकारी और कर्मचारी लिप्त पाये जाते हैं उनके लिए पहले शासन द्वारा उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए सैंक्शन की आवश्यकता पड़ती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनको दंडित भी कर दिया जाता है और अपील के न्यायालय में जब यह पता चलता है कि उनका सैंक्शन या तो था नहीं या सैंक्शन दोषपूर्ण था तो बरी कर दिया जाता है उनकी अपील स्वीकार कर लेता है। दूसरी चीज उच्चतम न्यायालय के उन निर्णयों से आप अवगत होगे जहां सैंक्शन देते समय सरकार को यह विचार करने का अधिकार प्राप्त है यदि उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसके बारे में सैंक्शन के लिए अनुमति मांगी गई है

वह देखे कि क्या प्रमाण है क्या नही। शासन की दृष्टि में यदि पर्याप्त प्रमाण है तभी सैक्शन दिया जाता है या उच्चतम न्यायालय का निर्णय है कि सरकार को यह अधिकार है कि वह स्वयं आंकलन करे कि साक्ष्य पर्याप्त है कि नही दोनों विन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दें।

श्री प्रमोद कुमार-

मैं उस अधिकार को चुनौती नहीं देता कि सरकार किस पर मुकदमा दायर करे या नही।

श्री अध्यक्ष-

आपके विचार बहुमूल्य होंगे।

श्री प्रमोद कुमार-

एक इन्वेस्टीगेशन होता है इन्वेस्टीगेशन के बाद साक्ष्य आता है साक्ष्य के बाद सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि चार्ज शीट फाइल करने की अनुमति दे या न दे।

श्री अध्यक्ष-

अगर विदाउट जूरीक्डिक्शन है तो उसके निर्णय की क्या वैधानिकता होगी?

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, प्रक्रिया क्या है जब कोई एफ0आई0आर0 लाज होती है तो इसके बाद सरकार निर्णय लेती है कि वह किस एजेंसी से जॉच कराए चाहे सी0 आई0 डी0 हो चाहे सी0 बी0 आई0 हो या पुलिस हो। उसके बाद जॉच एजेंसी साक्ष्य इकट्ठा करती है उस पर सरकार संज्ञान देती है। तत्कालीन सरकार ने इसकी गम्भीरता को समझा और यह समझा कि यह अपराध कोई साधारण अपराध नहीं है तथा उसने यह भी समझा कि इसको करने वाले कोई साधारण अपराधी नही है। तत्कालीन राज्यपाल महोदय ने यह भी समझा कि यह साधारण घटना नहीं है। उन्होंने यह समझा कि जो साक्ष्य सी0बी0आई0 ने इकट्ठा किए हैं वह पर्याप्त हैं और उन्होंने मुकदमा चलाने की अनुमति दी। उन्होंने इसकी गम्भीरता को समझते हुए एक विशेष न्यायालय का गठन भी किया तत्कालीन सरकार ने अपने दायित्व को समझा और अपने कर्तव्य का निर्वहन किया तथा विशेष न्यायालय का गठन करके चार्ज शीट के लिए हरी झंडी भी दिखा दी। न्यायालय ने चार्ज शीट के बाद संज्ञान भी ले लिया। न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के बाद स्थिति सरकार के बाहर हो जाती है या फिर सरकार पक्षकार हो जाती है। सरकार याची हो जाती है तथा सरकार का वह पावर खत्म हो जाता है कि मुकदमा चलाए या न चलाए। चार्ज शीट कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया।

श्री अध्यक्ष-

अगर अधिसूचना विधिक दृष्टि से दोषपूर्ण हो?

श्री प्रमोद कुमार-

यह हाई कोर्ट का जजमेंट है जो साक्ष्य आया है वह पर्याप्त है या नहीं इसको हाईकोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया है। हाई कोर्ट ने चार्ज शीट को अपहोल्ड किया है। तकनीकी आधार पर जो संशोधन जारी हुआ है उसमें चीफ जस्टिस की कांकरेन्सन लेना मिस्टेक बताया तथा उस मिस्टेक को क्यूरेबिल कहा और क्यूरेबिल कहते हुए कहा कि सरकार को इसे दूर करना चाहिए। सरकार क्यों नहीं इस संशोधित नोटिफिकेशन को जारी कर रही है। मान्यवर, यह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है जिसमें कि हमारा कांस्टीट्यूशन ही नही लोकतंत्र भी दांव पर लगा हुआ है लेकिन यह सरकार ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि इसके मानव संसाधन विकास मंत्री इसके खेल मंत्री इसके गृह मंत्री इसमें फँसे हुये हैं। यह सरकार तो अब इस मुकदमे को वापस भी नही ले सकती है। अब तो यह सरकार केवल एक प्रोसीक्यूटर है। वापस तो तभी ले सकते थे जब कि चार्जशीट फाइल की गई थी। दूसरा आपने जूरिस्डिक्शन का सवाल पूँछा ताम मान्यवर, यह जो सी0बी0आई0 कोर्ट है यह जूरिस्डिक्सन के लिए सक्षम है।

श्री अध्यक्ष-

जब न्यायालय को अधिकार प्राप्त हुआ उस अधिसूचना से तो जब यह अधिसूचना ही अवैध हो गई तो फिर न्यायालय के सारे कार्य जो कुछ उसने कहा या किया सब कुछ अवैध हो गया।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, हाईकोर्ट ने कहा है उसके विद्वान न्यायाधीश ने यह कहा है कि यह क्यूरेबिल है सरकार से कहा है कि इस पर शीघ्रता से निर्णय ले। और मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह सरकार की स्थिति केवल एक वादी की है। अब तो इसका यही कर्तव्य है कि सी0बी0आई0 की मदद करे। आज यह पूरा सदन यह जानना चाहता है इस सरकार से कि यह सरकार संशोधित नोटिफिकेशन कब जारी करेगी? यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। यह किसी एक आदमी के हत्या या साधारण मामले का विषय नहीं है यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक भूल से 6000 लोगों की हत्या का मामला है। उचित तो यह होगा कि अधिसूचना जारी करने की घोषणा स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी यहाँ सदन में आकर करे संसदीय कार्य मंत्री जी इसके लिए सक्षम नहीं है।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

हाँ-हाँ राज्यपाल जी के सलाहकार उस समय यही थे।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, सबसे पहली बात तो यह है कि राज्यपाल का नाम सदन में नहीं लिया जाता और ना ही उसके किसी कृत्य का जिक्र यहाँ किया जाना चाहिए। वरना फिर मैं यही कहूँगा और मौजूदा राज्यपाल का नाम ले लूँगा यह कहूँगा कि राज्यपाल तत्कालीन सरकार. . .

श्री अध्यक्ष-

आप मौर्या जी ने जो बात कही उसका उत्तर देने जा रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

उनके लिए तो इतना ही कहूँगा कि यह घटना 92 की और फिर भी उनके साथ 96 में सरकार बना ली इतना ज्यादा सत्ता की लोलुपता थी कि एक बार खुद और दूसरी बार उनको मुख्य मंत्री बना दिया। तो मान्यवर, मैं कहा रहा था कि क्यूरेबिल मिस्टेक की बात न्यायालय ने कही है तो यह सरकार उस मिस्टेक को संशोधित कर अधिसूचना जारी करे संशोधित अध्यादेश जारी करे। हमारे पास सात सितम्बर का शासनादेश है। उसके बाद अधिसूचना निरस्त हुई है शासनादेश नही निरस्त हुआ। सरकार एक सतत् प्रक्रिया है। एक ने जारी किया है तो दूसरे को उसको क्योर करके नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। आज हम इस सरकार से सुनना चाहते हैं कि यह अधिसूचना कब जारी करेंगें अगर नही करेंगें तो हम इनको भारतवर्ष के उन अपराधियों को नहीं बचाने देंगें जो 6 हजार लोगों की हत्याओं के दोषी हैं। अगर मानव संसाधन मंत्री को बचाने का प्रयास करेंगें तो हम लोकतांत्रिक ढंग से इस लड़ाई को लड़ेगें।

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)-

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। माननीय प्रमोद कुमार जी फौजदारी के मुकदमे लड़ते हैं। फौजदारी में हमेशा सन्देह का लाभ।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, यह प्रश्न कार्य-स्थगन में तब्दील हो गया है और किसी मंत्री को इस पर बोलने का अवसर दे रहे हैं तो आप एक नई नजीर बनाने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह दूसरी बात कर रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

इस प्रकार के केस बहुत सारे होते हैं। प्रमोद कुमार जी, नैतिकता, चरित्रता की बात करना बन्द कर दें। आप तो जय ललिता जी जिनको सजा हुई, लालू यादव, जिनको सजा हुई के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगें और नरसिम्हा राव कहां बैठे हैं यह तो वक्त बतायेगा।

(श्री कौकव हमीद का नाम पुकारने व स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मैंने कौकब जी को बुला लिया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे बहुत ही लायक मित्र प्रमोद कुमार जी ने यह कहा कि यह यह कमियां थीं तो साथ में सरकार क्यों बनाई। जब उच्च न्यायालय ने फरवरी, 2001 में वहाँ के जस्टिस श्री जगदीश भल्ला ने यह निर्णय दिया कि इस अधिसूचना में त्रुटि है। तब जाकर राज्यपाल जी के काले कारनामे जाहिर हुए। अगर पहले हो गये होते तो यह बी0जे0पी0 और जो पिछली बार कांग्रेस से तालमेल हुआ था वह बी0एस0पी0 नहीं करती।

*श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, इस प्रकरण पर बहुत तकरीरें हुई हैं किसी ने उसके कानूनी पहलू के बारे में कहा, किसने किससे मिलकर सरकार बनाई, कौन सेन्ट्रल में इसके लिये जिम्मेदार थे, यह सब बातें आई। लेकिन मान्यवर, हकीकत में जो लोग हैं, जो बड़े लोग बनते हैं, जो ठेकेदार हैं समाज के, जो आज मंत्री हैं और बड़े लोग कहलाते हैं, जिनकी मौजूदगी में, जिनके सामने, जिनके इशारे पर मान्यवर, 6 दिसम्बर, 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, वे आज भी बैठे हैं, और उनके खिलाफ आज तक कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। मान्यवर, सवाल यह नहीं है।

(किसी सदस्य के कुछ कहने पर)

बाबर हलाक हुआ इसके बाद हुमायूँ ने हुकुमत की। बाबर 1526 में आया था, वह 4 साल हुकुमत कर गया। मैं मान्यवर, यह कह रहा था कि जो उसमें शामिल लोग हैं उन पर आज तक कोई मुकदमा नहीं हुआ है और यह सोचने की बात है कि जिस प्रकरण के बाद तकरीब 6 हजार हत्याएं हुई, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पा रही है।

मान्यवर, छोटी सी बात है इसमें एक अधिसूचना जारी हुई, मान्यवर, जिस दिन नीयत इस सरकार की साफ हो जाएगी यह कह देंगे निष्पक्ष, कि बचाना नहीं चाहते हैं भारत के होम मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर को, जो बाबरी मस्जिद की शहादत के जिम्मेदार थे, उनको सजा दिलवाना चाहते है तो साफ हो जाएगा। मान्यवर, 12 फरवरी, 2001 को हाईकोर्ट ने कहा इसमें कोई टेक्निकल दिक्कत है, लेकिन वह क्यूरेबिल है एक नई अधिसूचना सरकार की जानी चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता है या तो यह कह दें जो जिम्मेदार थे शहादत करवाने के बाबरी मस्जिद की, उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं कहते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री सदन में बयान दें कि दो-तीन दिन में अधिसूचना जारी कर देंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आप इस पर बहस करावें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मा0 अम्बिका जी, दो मिनट में कह दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर आपने मुझे अपने विचार रखने की अनुमति प्रदान की इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, 6 दिसम्बर, 1992 को घटना हुई। भारत के इतिहास को कलंकित करने की घटना हुई हमारे सिर को शर्म से झुकाने की घटना हुई, उसके प्रभाव का जिक्र हमारे साथियों ने किया कि 20 करोड़ से ज्यादा की सम्पत्ति का नुकसान हुआ और 6 हजार लोग मारे गए। मैं रिपीट नही करना चाहता हूँ। 6 दिसम्बर को अयोध्या में घटना हुई दो एफ0आई0आर0 दर्ज हुई। पहली एफ0आई0आर0 थानाध्यक्ष द्वारा 197/92 दर्ज कराई गई दूसरी एफ0आई0आर0 198/92 क्राइम नम्बर 198/92 चौकी इंचार्ज ने दर्ज की। श्रीमन् 197/92 पर मुकदमा दर्ज हुआ थानाध्यक्ष ने अज्ञात लोगों के नाम दर्ज किया लेकिन दूसरी एफ0आई0आर0 अपराध संख्या 198/92 जो दर्ज हुई चौकी इंचार्ज ने अभियुक्तों के नाम लेकर, मैं नाम लूँ आवश्यक नहीं है लेकिन उसमें लालकृष्ण आडवानी,मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, अशोक सिंघल, बाल ठाकरे तमाम नेताओं के नाम दिए हैं। उनके लिखित नाम से रिपोर्ट दर्ज कराई गई। श्रीमन् 214/295 153ए 153बी 505 आई0पी0एस0 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। तफ्तीश की प्रक्रिया चलती रही। आगे 9 अक्टूबर 1993 को एक अधिसूचना जारी हुई एक सवाल पैदा हुआ कि 12 फंरवरी को हाईकोर्ट ने लखनऊ में डिसीजन दिया कि अधिसूचना डिफेक्टिव बनी, जूरीडिक्शन की बात कही, महत्वपूर्ण बात है। न्यायालय का क्षेत्राधिकार नही होगा तो किसी को . . . .

श्री अध्यक्ष-

अगर किसी न्यायालय को अधिकार नहीं है तो उसके द्वारा दी गई फाइन्डिग, निर्णय समझे जाएंगे कि निरर्थक हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

आपसे ज्यादा बारीकियों को कोई नहीं समझ सकता है इसलिए आपके सामने कहते हुए भी संकोच होता है। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो अपना फैसला दिया है कि यह नोटिफिकेशन डिफेक्टिव है, इसलिए उसको ठीक करने के लिए राज्य सरकार से यह अपेक्षा की थी कि तीन महीने के अन्दर दूसरी अधिसूचना जारी करे और उसके दोष को दूर करे लेकिन यह सरकार तीन महीने बीत जाने के बाद अब उसके दोष को ठीक करने के बजाए दूसरी तरफ घुमाना चाहती है। इतनी बड़ी दुघर्टना हुई और जो छोटे-छोटे अपराधी है उसमें लोगों के विरूद्ध कार्यवाही हो रही है। [*x x x x x x x x x x]

श्री अध्यक्ष-

यह आप मुकदमे के निर्णय से अलग हटकर बात कर रहे हैं। यह आप उन लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जो इस सदन के सदस्य नही हैं और वह आपका उत्तर नहीं दे सकते हैं। यह जो आरोप लगा रहे हैं यह लिखा नहीं जायेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ और न ही मैं नैतिकता की बात कहकर उनसे इस्तीफा मांग रहा हूँ। लेकिन वे अपराधी हैं और उनकी गिरफ्तारी करने में यह सक्षम सरकार बैठी है। मैं उससे मांग करता हूँ कि उन अपराधियों की गिरफ्तारी की जाय। मान्यवर, जब तक देश में मानदण्ड रहेगा एक आदमी जो चार्जशीटेड होगा. . . .

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः- [x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, जो आपने सेंक्शन की बात कही है और जूरिसडिकेशन की बात कही है यह दोनों बातें स्पष्ट हो गयी हैं। प्राइमाफेसी, चार्जशीट में अपना आरोप दाखिल करते समय इन्वेस्टीगेशन एजेन्सी को तत्काल उसी समय गुण-दोष के आधार पर संदेह का लाभ दिया जाता है। जब यह संदेह उठता है और गुण-दोष के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय नहीं दिया है, और जब तक चार्जशीट पेश नहीं हुई तब तक यह बात नहीं कही जायेगी कि गुण-दोष के आधार पर फैसला हो गया है। इसलिए जब आरोप है, उनको सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है, इन्वेस्टीगेशन एजेन्सी के खास, तो उसके आलोक में गिरफ्तारी की जाय और जो दोष है उसका तत्काल निवारण करे और एक नयी अधिसूचना उत्तर प्रदेश सरकार जारी करने का काम करे। इसकी तात्कालिकता इस बात से है कि पूरे प्रदेश में इस समय अफरा-तफरी मची हुई है और यह घटना फिर दोहरायी जा सकती है, तो क्या फिर एक बार फिर संविधान की हत्या होगी, क्या फिर हजारों की संख्या में लोग मौत के घाट उतारे जायेगे, क्या फिर भाई-भाई का दुश्मन हो जायेगा इसको समाप्त करने के लिए आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसमें सभी नियमों को निलम्बित करते हुए इस पर चर्चा करायी जाय और उन अभियुक्तों को जो बचाने का काम सरकार कर रही है उनको गिरफ्तार करने का काम वह करे।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, माननीय चौधरी साहब कह रहे थे कि उन्होंने किसी का जिक्र किया आपने कहा कि जो सदन में उपस्थित नहीं है और अपने बचाव में कुछ नहीं कह सकते हैं उनका जिक्र न किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी जी ने दो वाक्य कहे उसके बाद उन्होंने नहीं कहा।

श्री प्रमोद कुमार-

[x x x x]

श्री अध्यक्ष-

यह नहीं लिखा जायेगा। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं व्यवस्था का प्रश्न उठाने की भी अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

*श्री लोकपति त्रिपाठी-

मान्यवर, इस घटना से हमारा पौराणिक संबंध है जब राम-रावण से युद्ध करने के बाद अयोध्या लौटे तो राम को अश्वमेघ यज्ञ करने नहीं दिया था, वशिष्ठ ऋषि ने जिन लोगों को बुलाया था अश्वमेघ यज्ञ में उस परिवार से हमारा संबंध है। श्रीमन् हमारे पूर्वजों ने मुगलों को भारतीय संस्कार दिया, ज्ञान दिया।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, यह किस विषय पर चर्चा हो रही है।

श्री लोकपति त्रिपाठी-

हमारे परिवार ने गुरू वशिष्ठ के बुलाने पर भगवान राम का अश्वमेघ यज्ञ कराया था। मेरे पूर्वजों ने मुगल बादशाहों को भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान, भारतीय उपनिषद् इसका अध्ययन कराया था और आज जो हो रहा है मुझे शर्म आ रही है कि हमारे सम्मानित विधायकगण बैठे हुए है, वह इस प्रदेश में इतिहास बदलना चाहते हैं। क्या इतिहास यह नहीं कहता है कि ईसा के मरने के 700 वर्ष बाद ईरान से आक्रमण हुआ यवनों का।

नोटः- [x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(व्यवधान)

उस दिन से लेकर 1947 के 15 अगस्त तक यह देश गुलाम रहा। 1200 वर्षो तक यह मुल्क गुलाम रहा उस समय इनका धर्म कहाँ गया था?

श्री अध्यक्ष-

माननीय त्रिपाठी जी, अगर घटना के बारे में कहें तो फिर यह कथा अनन्त हो जायेगी। हमारे सामने जो सूचना है हमें उसे देखना है।

श्री लोकपति त्रिपाठी-

यह भवन जिसमें हम बैठे हुए हैं यह गुलामी का प्रतीक नहीं है इसको ध्वस्त कीजिए। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है उसको किसने बनाया वह गुलामी का प्रतीक नहीं है उसको ध्वस्त कीजिए।

श्रीमन् कहते हैं कि वह हमारे अभियान पर चोट करते हैं, पूँजीस्थली चोट करती, है, हमारे धर्म की हर धर्म की पूजा करने की आज्ञा है। हमारा धर्म यह कहता है जिस समय मीराबाई, अहिल्याबाई काशी आई, मराठा राज था। काशी के विश्वनाथ मंदिर की जगह वहाँ पर मस्जिद बनी हुई थी उस समय पंडित सभा ने बैठक की थी।

श्री अध्यक्ष

यह न्यायालय की बात है उसमें तर्क दीजिएगा।

श्री लोकपति त्रिपाठी-

श्रीमन् मैं जो कह रहा हूँ मुझे दो मिनट कहने दें। पूँजास्थली को गिराकर दूसरी पूंजास्थली बनाने का नियम नहीं है। ये अपने को भारतीय कहते हैं, जिन लोगों ने यह दुष्कर्म किया है वह भारतीय नहीं हैं। मैं अपने को माननीय नेता कांग्रेस दल से सम्बद्ध करता हूँ और इधर के इन लोगों से सम्बद्ध करता हूँ। उनके ऊपर अधिसूचना लागू करें और सजा कराई जाये।

*श्री आर0के0 चौधरी-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, ज्वलन्त समस्या है, अयोध्या में जो घटना 6 दिसम्बर को घटी, मैं तो वहाँ का रहने वाला हूँ, अयोध्या में खुद पैदा हुआ हूँ। इतनी शर्मनाक घटना दुनिया के किसी कोने में कहीं नहीं घटी। मान्यवर, इस देश में हिन्दू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख, इसाई, पारसी सभी रहते हैं हर किसी को एक दूसरे के मजहब को सम्मान के साथ देखना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। 6 दिसम्बर को जो हुआ बड़ा शर्मनाक है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद शहीद होने के साथ साथ 10-15 और मस्जिदें भी शहीद हुई, मुस्लिम समाज के डेढ़ सौ मकान को जलाया गया, 25 मुसलमान अयोध्या में मौत के घाट उतारे गये। मान्यवर, कानून सबके लिए एक है, सीआरपीसी, आईपीसी सबके लिए एक है। मान्यवर, घटना के बारे में सूचना रिपोर्ट अंकित हुई। अपराध संख्या 197/92 पर और 198/92 पर यह पुलिस द्वारा अंकित हुई। इसके अलावा पत्रकारों को मारा गया बड़े पैमाने पर मुकदमें दर्ज हुए, चार्जशीट लगी और सीवीआई ने जॉच किया, चार्जशीट दाखिल की गयी। मान्यवर, सीआरपीसी के अनुसार मुकदमा चला लेकिन उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के घटिया रवैये के नाते आज जो न्यायपालिका है इस देश के बीजेपी के शीर्षस्थ नेताओं जिनका नाम मुल्जिम के खाने में है, जो इस घटना में लोग रहें है, साजिश किया है। ऐसे दोषी लोगों को सजा दने में जो न्यायपालिका है वह सक्षम नहीं हो पा रही है। माननीय उच्च न्यायालय ने 12 फरवरी को सुनवाई करते समय एक नई जो बात खोजी कि अदालत में मुकदमा चलाने के लिए, सुनवाई करने के लिए जो अधिसूचना जारी की गयी थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वह त्रुटिपूर्ण है, उसमें कमियां हैं जिसके नाते अदालत में जो लम्बित मुकदमें की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

सुनवाई चल रही थी वह कार्य स्थगित कर दिया। साथ ही साथ उच्च न्यायालय ने 12 फरवरी को उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार 3 माह में एक नई अधिसूचना, संशोधित अधिसूचना जारी करे।

(इस समय 4 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल पीठासीन हुए)

मान्यवर, अदालत की मंशा साफ है। जो दोषी लोग हैं, उनको सुनवाई करके सजा देना चाहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, आज तीन महीना बीतने जा रहा है, आज तक नई अधिसूचना जारी नहीं की। इससे साफ जाहिर है कि मौजूदा बी0जे0पी0 सरकार अयोध्या कांड के मामले में भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता, जो अभियुक्त हैं, मुल्जिम हैं, जो चार्जशीटेड हैं, उनको बचाना चाहती है। इसलिये यह सरकार ढुलमुल रवैया अपना रही है और इसने आज तक नई अधिसूचना जारी नहीं की है। मैं इस महत्वपूर्ण मामले में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाय। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा कि आज यह सरकार बताये कि माननीय उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देश के बाद 3 महीने के अन्दर नई अधिसूचना जारी क्यों नहीं की गई। यह सरकार की जिममेदारी है, सरकार अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रही है, इसलिये आज सरकार बताये जैसा कि प्रमोद कुमार ने कहा माननीय हुकुम सिंह नहीं, माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं यहाँ आयें और जिम्मेदारी के साथ बतायें कि एक दिन, दो दिन, चार दिन, कितने दिन में यह सरकार नई अधिसूचना जारी कर रही है, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा।

*श्री अखिलेश कुमार सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है, यह कोई साधारण विषय नहीं है, बल्कि इतिहास का एक अध्याय है, यह अपने आपमें एक इतिहास है, बल्कि इतिहास का एक अध्याय है, यह अपने आपमें एक इतिहास है, इस विषय से देश की एकता, देश की अखण्डता और सबसे बड़ी चीज भारत के संविधान का विश्वास जुड़ा है।

श्री अधिष्ठाता-

अभी चर्चा नहीं हो रही है।

*श्री अखिलेश कुमार सिंह-

आप सुन तो लीजिये। बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तो केवल मस्जिद को ही नहीं, अपुति राष्ट्र के विश्वास को, राष्ट्र के संविधान को शहीद किया गया। यह 6 दिसम्बर, 92 को शहीद होती है और 8 दिसम्बर को जी0ओ0 होता है, उसके बाद 9 दिसम्बर को अधिसूचना होती है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि अधिसूचना निरस्त हुई है, लेकिन जी0ओ0 निरस्त नहीं हुआ है। मान्यवर, देश में क्या संदेश जायेगा? कि इस देश में बड़ों के लिये कोई कानून नहीं है, बड़े लोग अपराध करेगें, उनके लिये कोई कानून नहीं है, उनको तकनीकी रूप से सरकार बचायेगी। मान्यवर, यह सरकार बाबरी मस्जिद हत्याकांड के अपराधियों को बचा रही है। बाबरी मस्जिद के शहीद होने के बाद देश भर में 6 हजार लोग मारे गये, 50 हजार करोड़ की सम्पत्ति ध्वस्त हुई और 20 हजार लोग घायल हुये। यह केवल बड़े लोगों को बचाने की बात नहीं है, बल्कि इससे पूरी दुनिया में यह संदेश जायेगा कि इस देश में मुसलमानों के लिए को जगह नहीं है। लोग यह भी कहेगें कि यहाँ पर बहुसंख्यक समुदाय किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय पर कोई भी ज्यादती कर सकता है। आज जब बाबरी मस्जिद की बात आती है, अयोध्या की बात आती है तो मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार अपराधियों को बचा रही है और संविधान में अपराधियों को बचाना भी एक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपराध है, इसलिये यह सरकार खुद अपने आप में अपराधी है, मैं कहना चाहूँगा कि मुल्क की जंगे आजादी में जितना हिन्दुओं का योगदान है, उतना ही मुसलमानों का है, उतना ही ईसाइयों का है और उतना ही सिखों का भी योगदान रहा है। बहादुर शाह जफर के नतृत्व में सन् 1857 का स्वतंत्रता आन्दोलन लड़ा गया। मान्यवर, बेगम हजरत महल, अशफाक उल्ला खां के बाजू कमजोर पड़ गये होते, यदि उन्हें यह मालूम होता कि आजादी के बाद हिन्दू और मुसलमानों में इस तरह की खाई पैदा करने का प्रयास होगा।

मान्यवर, आज इस देश के अन्दर भारत के संविधान का कानून चलेगा या जंगल का कानून चलेगा। यह सरकार जंगल के कानून को लागू करना चाहती है। जैसा हमारे साथी प्रमोद कुमार जी ने कहा हम अपनी बातों को उनसे जोड़ते हैं। मान्यवर, कांग्रेस पार्टी यह चाहती है कि आज लालकृष्ण आडवानी जी को गृह मंत्री के पद पर रहने का कोई हक नहीं है और न मुरली मनोहर जोशी को है। मैं लालकृष्ण आडवाणी से इस्तीफा माँगता हूँ। जब तक एक अपराधी गृह मंत्री की कुर्सी पर है तब तक रक्षा कैसे हो सकती है। मान्यवर, इसका जवाब संसदीय कार्य मंत्री नहीं, मुख्य मंत्री जी को देना चाहिए। क्योंकि 6 दिसम्बर, 92 को संसदीय कार्य मंत्री तो हमारे साथ ही थे।

श्री अफरोज अली खां-

मान्यवर, हम पक्ष के हों या विपक्ष के हों. . . . .

श्री अधिष्ठाता-

आपका नाम इसमें नहीं है, कृपया बैठ जायें, आपको अनुमति नहीं है।

श्री अफरोज अली खां-

[* X X X X X X X]

श्री अधिष्ठाता-

लिखा नहीं जायेगा।

नेता, विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)-

अधिष्ठाता महोदय, हमारे अनेक साथियों ने इस प्रकरण पर अपने-अपने विचार रखे, इस प्रकरण पर हमारे अनेक माननीय नेताओं के विचार आ गये हैं। मैं संक्षेप में केवल एक बात पर अपना विचार रखूँगा, हम इस सदन का कीमती समय नष्ट नहीं करना चाहते हैं। श्रीमन् वैसे तो एक कहावत है और सब लोग जानते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गन्दा करती है, श्रीमन् लेकिन जिस मंत्रि मण्डल रूपी तालाब में अनेक मछलियां इस प्रकार की आ गयी हों और रोगग्रस्त हों तो फिर उस तालाब की क्या स्थिति होगी इसके बारे में सोचा ही जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। श्रीमन्, जब इस मंत्रिमण्डल में बहुत से अपराधी मंत्री हैं और जिस को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जुटी हुई है और तमाम ऐसे गम्भीरता केसेस जिसकी सीआईडी जॉच कराकर अपराधियों को बचाया है, सरकार उन्हें अभी बचा रही है, ऐसी सरकार से कोई न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय नेताप्रतिपक्ष क्या यह कहना चाहते हैं कि सी0आई0डी0 जॉच निष्पक्ष नहीं होती?

श्री धनीराम वर्मा-

श्रीमन् किसी मामले को साल दो साल उलझाना है, यहां बैठे हुये सामने मर्डर हो जाय, दिन के समय मर्डर हो जाय फिर उसकी सी0आई0डी0 जॉच हो तो यह टालना नहीं तो और क्या है? न्याय में देरी

नोटः-[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

नहीं तो और क्या है? सबूत नष्ट हो जाये इसीलिए इतना लटकाया जाता है। श्रीमन् एक बात कहना चाहता हूँ कि जब विशेष न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को आरोपित कर दिया उसमें प्रथम-दृष्टया कुछ लोगों को छोड़ा हैं और नहीं छोड़ा है तो सरकार को मजबूरन अपनी हठधर्मी को छोड़ कर नई अधिसूचना जारी करनी ही पड़ेगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, यह संवैधानिक है इसमें कोई गुंजाइश है ही नहीं। श्रीमन् 3 महीने हो गये, सरकार इसे टाल रही है। इसलिए आज मजबूरी में विपक्ष को यह प्रकरण लाना पड़ा। बात नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, केवल इतना पूछना चाहता हूँ कि जब प्रथम दृष्ट्या विशेष अदालत ने सभी अभियुक्तों को चार्ज-शीट दिये जिसमें आडवाणी जी और सारे लोग थे, जब प्राइमा-फेसी आरोपित कर दिया है, कुछ तकनीकी कमी रह गयी है तो उसके लिए निश्चित तरीके से कोई भी सरकार होती उसको फिर से नई अधिसूचना जारी करनी ही उसकी बाध्यता है। श्रीमन् संसदीय कार्य मंत्री जी इसका उत्तर देने में सक्षम नहीं हैं, मैं उनकी योग्यता पर प्रश्न-चिन्ह् नहीं लगाता हूँ, माननीय मुख्य मंत्री जी इस सरकार के मुखिया हैं, मुखिया को ही जटिल प्रश्न पर अपने उत्तर देने चाहिए। नई अधिसूचना जो जारी करेगें वह किस तिथि को जारी करेगें, यह बता दें। मैं ग्राह्यता पर बल देता हूँ और चर्चा कराने की मॉग करता हूँ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा संसदीय कार्य मंत्री जी को पुकारे जाने पर)

श्री धनीराम वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसका जबाव माननीय मुख्य मंत्री जी ही दें।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य अपने आसन से खड़े हो गये और मुख्य मंत्री जी द्वारा ही जवाब दिये जाने की मॉग करने लगे।)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य कृपया बैठें।

श्री धनीराम वर्मा-

माननीय मुख्य मंत्री जी से जबाव नही दिलवाना चाहते हैं, यह इसको चाहते हैं इसलिए मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष के साथ समाजवादी पार्टी के सभी सदस्य सदन के बहिर्गमन कर गये)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग सरकार का पक्ष तो सुन लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[[x] x x x x x]

श्री अधिष्ठाता-

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

(श्री आर0के0 चौधरी, श्री अखिलेश कुमार सिंह, श्री दद्दू प्रसाद, श्री भोला शंकर मौर्य, श्री मुख्तार अंसारी, श्री राम अचल राजभर तथा अफरोज अली खॉ आदि विपक्ष के सदस्य सदन के वेल में आकर बैठ गये।)

श्री अधिष्ठाता-

एक तरफ आपकी बात आ गई अब सरकार की भी बात आ जाने दीजिए, सरकार की बात आने नहीं देना चाहते यह संसदीय परम्परा के अनुकूल नहीं है।

नोट- [x x x] यह अंश अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय मुख्य मंत्री जी को बुलवाइये।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी बात आ गई। संसदीय परम्परा के अनुकूल सरकार का भी पक्ष आ जाने के बाद ही कुछ होगा उसका आपको पालन करना चाहिए। यह उचित नहीं है इस तरह का आचरण कर रहे हैं। कृपा करके बैठ जाए।

(मा0 सदस्य वेल में बैठ गये)

श्री अधिष्ठाता-

मुझे विवश होकर जो आप लोगों का वक्तव्य आया है उसको कार्यवाही से निकलवाना पड़ेगा। यह व्यवस्था देनी पड़ेगी कि कार्यवाही का अंग न बनायें। यह उचित नहीं है, संसदीय परम्परा के अनुकूल नहीं है कृपया अपने आसन पर जायें।

(श्री अधिष्ठाता के अनुरोध पर वेल में बैठे सभी सदस्य अपने-अपने आसन पर वापस चले गये।)

श्री प्रमोद कुमार-

सरकार का पक्ष आये, मा0 नेता बसपा का कहना है कि सरकार का पक्ष आये लेकिन घटना की गम्भीरता को देखते हुए।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया आप लोग शांत रहें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, माननीय नेता ब0स0पा0 जो कह रहे थे इनकी बात से कांग्रेस भी सहमत है आप इस पर विचार कर लें, निर्णय आपका होगा, सामूहिक उत्तरदायित्व की बात को हम यह भी स्वीकार करते हैं संसदीय कार्य मंत्री जवाब दे सकते हैं। इस घटना की गम्भीरता को समझाते हैं, इसके महत्व को समझते, हैं, इसके महत्व को समझते है। मैं आग्रह कर रहा हूँ कि वे मुख्य मंत्री ही नहीं हैं नेता सदन भी हैं।

मान्यवर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी जो नेता सदन भी हैं, अगर लखनऊ में उपस्थित हों तो उन्हें बुलाया जाये और अगर वह लखनऊ में उपस्थित नहीं हैं तो हम उनकी प्रतीक्षा भी कर लेंगे और आप इस विषय को कल ले लें। हम इसका जवाब सिर्फ नेता सदन से सुनना चाहते हैं, मैं सम्मानित बसपा नेता की बातों से पूरी तरह सहमत हूँ , मान्यवर इससे महत्वपूर्ण और कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है, जब कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा इसके विपरीत उत्तर दिया जा चुका है।

(श्री आर0के0 चौधरी के साथ श्री अखिलेश कुमार सिंह आदि अन्य सदस्य पुनः सदन के वेल में आकर बैठ गये।)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय द्विवारी जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उस बात को माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में भी कहा है कि लोकतंत्र में सरकार के जितने भी मंत्री होते हैं उनका संयुक्त उत्तरदायित्व होता है और कोई भी मानीय सदस्य सरकार की तरु से स्थिति स्पष्ट कर सकता है, ऐसी व्यवस्था संविधान में है और यह संविधान सम्मत भी है। जैसा कि निर्णय माननीय अध्यक्ष के कक्ष में लिया गया था वैसी कोई व्यवस्था यहां नजर नहीं आती है।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया आप लोग अपने स्थान पर बैठ जायं। यह संसदीय परम्पराओं के प्रतिकूल है ।

(सदन के वेल में बैठे/सदस्यों द्वारा, हत्यारी नारे लगाये गये)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मौर्या जी, कृपया अपने माननीय सदस्यों को आसन पर ले जाइये, कृपया सदन को व्यवस्थित कराइये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अधिष्ठाता जी, यह प्रकरण बहुत ही गम्भीर है, इसमें दोषी लोगों को यह सरकार बचा रही है, हम इसका जवाब माननीय नेता सदन से चाहते हैं कि द्वितीय अधिसूचना वह कब तक जारी करेगी। इस प्रकरण की गम्भीरता को यह सदन नकार रहा है, सरकार इसका जवाब सही ढंग से नहीं दे रही है, मान्यवर इस तरह से यह सरकार इस प्रकरण को दबाने का प्रयास कर रही है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मौर्या जी यह सदन की परम्पराओं के अनुकूल नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी के कमरे में जो भी निर्णय लिया जाता है या इस सदन की पीठ से जो भी आदेशित होता है वह आपको मानना चाहिए आप माननीय अध्यक्ष और इस सदन के नियमों को नकार रहे हैं। आप माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को उत्तर दे देने दीजिए, उनको भी अपना पक्ष रख लेने दीजिए उसके बाद आप, सदन का बहिष्कार या जो भी निर्णय लेना चाहें ले सकते हैं। लेकिन ऐसा करके आप सदन की परम्पराओं का पालन नहीं कर रहे हैं, मैं आप से पुनः अनुरोध करता हूँ कि कृपया आप अपने आसन पर बैठ जायं और इस सदन को व्यवस्थित कर सदन की कार्यवाही चलने दें।

(सदन के वेल में बैठे सदस्यों द्वारा, नहीं चलेगी, के नारे लगाये गये)

श्री प्रमोद कुमार-

यहां हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, इस सदन का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए हम और हमारा दल सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री प्रमोद कुमार ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

यह सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, माननीय नेता सदन द्वारा इस बात का कोई सही जवाब नहीं दिया जा रहा है, इसलिए मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करते है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कौकब हमीद तथा विनोद मणि ने अपने-अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया।)

श्री अधिष्ठाता-

मानीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपना पक्ष रखें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जिस प्रकरण को लेकर आज विपक्ष के माननीय नेताओं ने सवाल उठाया उस संबंध में मैं बहुत संक्षेप में तथ्यों को रखना चाहता हूँ। मान्यवर 6-12-1992 को घटना घटी 6-12 को 2 केस रजिस्टर्ड होते हैं। एक 5 बजकर 15 मिनट पर जिसकी अपराध संख्या 197 है और दूसरा 5.25 मिनट

पर अपराध संख्या 198 पर। पहला अपराध जो हैं उसमें कोई नामजद नहीं है। एफ0आई0आर0 में लाखों व्यक्तियों की बात है। दूसरी एफ0आई0आर0 में 8 आदमियों की नामजद किया जाता है। उसके बाद 46 एफ0आई0आर0 और दर्ज होती है। मान्यवर, 10-1992 को 198/92 का मामला जो है वह सी0बी0सी0आई0डी0 को स्थानान्तरित करने के बारे में निर्णय लिया गया यह केस 3-12-92 को सी0बी0आई0 को स्थानान्तरित कर दिया। 16-12-92 को गिरफ्तार किये गये कुछ लोगों को ललितपुर ले जाया गया। यह सोचा गया कि कोर्ट यहीं पर गठित की जाय तो 16-12-92 को ललितपुर में एक विशेष अदालत की स्थापना हुयी। उसके वाद 8-7-93 को, यह सोचा गया कि गवाहों को बहुत दूर जाना पड़ेगा या जो भी उस समय वजूहात रहे हैं उनको देखते हुये 8-10-93 को विशेष अदालत रायबरेली में स्थापित कर दी गयी। 25-8-93 को संयुक्त रुप से सी0बी0आई0 को इसकी जांच दी जाती है और नोटीफिकेशन 26 को जारी होता है। 8-9-93 को ए0सी0जे0एम0 की स्पेशल कोर्ट, लखनऊ के लिये स्थानान्तरित करने का निर्णय होता है और 9-3-93 को केस के ट्रायल करने का अधिकार दे दिया जाता है। 9-9-93 को सी0बी0आई0 ने एक प्रार्थना-पत्र रायबरेली में दिया कि स्पेशलकोर्ट गठित है उसको आगे जांच करने का अधिकार दिया जाय। अधिकार मिल गया और 5-10-93 को सी0बी0आई0 ने एक कंसालिडेटेड चार्जशीट दाखिल कर दी। तो संशोधित नोटीफिकेशन 8-10-93 को जारी हुआ और 198 का जो क्राइम दर्ज हुआ था उसकी जांच करने का अधिकार मिल जाता है। तो मान्यवर,यह संक्षिप्त प्रकरण है। जो चर्चा हुयी उसमें कहा गया कि 8-10-93 को जो नोटीफिकेशन जारी हुआ था उसमें तकनीकी खामी थी उसको उत्तर प्रदेश सरकार दूर करे। मान्यवर, 8-10-93 को जो नोटीफिकेशन जारी किया गया उसमें धारा 11 सी0आर0पी0सी0 में जो प्राविधान हैं उसके अनुसार उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद वह विशेष अदालत गठित होगी। उच्च न्यायालय ने जो कहा है उसका अंतिम वाक्य मैं सुनाना चाहता हूँ। "हाउएवर द मिस्टेक इद इशूइंग द नोटीफिकेशन . . . . . मिस्टेक इज स्यूरेविल।"

मान्यवर, न्यायालय ने कहा है कि यह मिस्टेक क्यूरेविल है। इसको ठीक किया जा सकता है।

मान्यवर, सी0बी0आई0 प्रोजीक्यूटिंग एजेंसी है उस पर प्रोजीक्यूशन करने का दायित्व है स्टेट गवर्नमेंट प्रोजीक्यूटिंग एजेंसी नहीं है। सी0बी0आई0 ने बल देते हुये कहा है कि जो नोटीफिकेशन हुआ है वह वैध है। जब प्रोजीक्यूटिंग एजेंसी कहती है कि नोटीफिकेशन वैध है तो स्टेट गवर्नमेंट कहां पर पिक्चर में आती है। अगर वह कहती कि नोटीफिकेशन गलत है और राज्य सरकार से ठीक करने के लिए कहती तो राज्य सरकार का दायित्व बनता उस पर निर्णय लेने का। प्रोजीक्यूटिंग एजेंसी का स्टैंड है कि नोटीफिकेशन सही है। अब प्रोजीक्यूटिंग एजेंसी के पास दो आप्शन हैं या तो वह ऊपर की अदालत जाय, सर्वोच्य न्यायालय जाय या जहां वह ठीक समझे वहां पर उसको चुनौती दे सकती है।

. . . . .जब प्रोसीक्यूटिंग एजेंसी खुद ही कह रही है कि वह सही है। तो अगर इससे सहमत न हों तो सीधा सीधा विकल्प है कि उच्चतम न्यायालय में जाएं व जो भी प्रभावी कार्यवाही सम्भव हों वह करें। सी0बी0आई0 कोई राज्य सरकार की एजेंसी नहीं है। सी0बी0आई0 स्वतंत्र एजेंसी हैं यह स्वविवेक से काम कर र ही है। प्रदेश सरकार सी0बी0आई को कहां निर्देश दे सकती है। यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है हमारा केवल इतना दायित्व रह जाता है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे पास इस तर्क को लेकर आता कि हमारे यहां से अमुक काम ठीक होना है तो उस पर हम विचार कर लेते। आज सरकार की तरफ से कोई मामला पेंडिंग नहीं है इसमें अनावश्यक रूप से राजनीतिक दांव पेंच खेला जा रहा है। सरकार के लिए यह कहा जाता है कि राज्य सरकार ने नोटीफिकेशन जारी नहीं किया।

पहला नोटीफिकेशन राज्य सरकार ने स्वत: जारी नहीं किया था वह भी सी0बी0आई0 के प्रार्थना-पत्र पर तथा तत्कालीन सरकार में कुछ लोगों के परामर्श पर जारी किया गया था। आज भी राज्य सरकार स्वत: कोई नोटीफिकेशन जारी करने की स्थिति में नहीं । स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है प्रोसीक्यूसिंग एजेंसी के ऊपर राज्य सरकार को कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसी स्थिति में जो तर्क दिया गया यह केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से दिया गया है। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूँ लेकिन जितनी भी इस केस में अधिसूचनाएं जारी हुई हैं शुरु से लेकर आखिर तक चूंकि 6 दिसम्बर में प्रदेश सरकार का त्याग-पत्र हो गया था उसके बाद जितनी अधिसूचनाएं जारी हुई जिस पार्टी की वर्तमान सरकार है उस पार्टी के शासन में न होकर राष्ट्रपति शासन में जारी हुई। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि कांग्रेस वालों ने बी0जे0पी0 से मिलकर करा लिया। इसमें बी0जे0पी0 का कोई लेना देना नहीं है। इस पर राजनैतिक नैतिकता के नाते इस्तीफा देने की बात कही गई बड़ा कष्ट होता है। एक मसला इस देश में हुआ जिस पर एक पूर्व प्रधान मंत्री कटघरे में खड़ा हुआ वह भी इस मसले पर कि पॉच साल सरकार चलाने के लिए खरीदफरोक्त की गई लेकिन दूसरा प्रधान मंत्री एक है यह कहता है कि सरकार रहे या गिर जाए लेकिन एक भी वोट के लिए खरीद फरोक्त नहीं होगी। उस पार्टी के ऊपर आरोप लगाया गया तथा उसको नैतिकता की बात बताई जाए। जो लोग सामने बैठे हैं उनमें सुनने का साहस नहीं था इसलिए सदन छोड़कर चले गये।जो भगोड़े सैनिक होते है उसका हाल यही होता है जिसमें लड़ने का साहस नही होता जिसमें सामना करने का साहस नहीं होता वह इसी प्रकार के कार्य करते हैं। मेरा आग्रह यह है कि इसमें 311 या निभय 56 का मामला नहीं बनता। यह सीधे सीधे सी0बी0आई0 और न्यायालय के बीच का मामला है।

सी0बी0आई0 इस निर्णय को गलत समझेगी तो कोर्ट जाने का विकल्प है। यदि ऐसी कोई समस्या हमारे सामने आयेगी तो जो भी विधिसंगत कार्य होगा विचार विमर्श के बाद सही निर्णय सरकार लेगी इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्यों और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात यह सूचना नियम 56 में नहीं आती अत: इसे निरस्त किया जाता है। अगली सूचना श्री संजय गर्ग की है।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अधिष्ठाता जी आज मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर इस सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। वास्तव में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता डी0 जी0 सी0 का प्रथक कैडर घोषित न करने से ला एण्ड आर्डर पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। जहॉ लूट अपहरण हत्या की वारदातों में सरकार द्वारा अच्छी पैरवी न होने के कारण बड़े बड़े अपराधी न्यायालय से बरी कर दिये जाते हैं। कानून व्यवस्था डीएम की दृष्टि में जनपद में एस0एस0पी0 डी0जे0 एवं डी0जी0सी0 के बराबर का दर्जा दिया जाता है और डीजे व डी0एम0 की सुस्तुति के आधार प ही शासन द्वारा नियुक्ति की जाती है। अलग-अलग विभागों के डीजीसी नियुक्त किये जाते हैं यदि कोई मामले में राय मशविरा की जरुरत पड़ती है तो डीजीसी जो संबंधित है उसी से ली जाती है किन्तु इसके बावजूद भी इन डीजीसीज का प्रथम केडर न होने के कारण सेवा के अनुरूप उन्हें अपना कार्य करने में कठिनाई होती है। उन्हें मात्र 370 रुपये प्रति कार्य दिवस के हिसाब से दिया जाता है जबकि उन्ही के समकक्ष हमारे जो एसपीओज है या दूसरे जो पीओज है उनके अधीनस्त स्टाफ लाइब्रेरी टाइपिस्ट इत्यादि सुविधाये मुहइया कराई जाती हैं। राज्य सरकार को यह भी अधिकार है कि इन डीजीसीज को एक माह की नोटिस देकर कभी भी पद से हटाया जा सकता है एक वर्ष की सेवा के बाद केवल तीन साल के एक्सटेंशन होता है अत: इनका कार्यकाल कम से कम पॉच वर्ष निर्धारित होना चाहिये अन्यथा जिसमें कि राजनीतिक दबाव के कारण जो अपराधी

आज सींघचो के अंदर होने चाहिए खुले आम घूमते हैं। आज इस कुव्यवस्था के कारण ला एण्ड आर्डर की स्थिति खराब होती चली जा रही है। कारण केवल यह है कि शासन का पक्ष इन्हीं के द्वारा रखा जाता है यही शासन के पैरोकार होते हैं फिर भी इन्हें कोई सेवा सुविधा नहीं दी जाती इनके ऊपर दबाव बनाया जाता रहता है। हमारे पास के प्रदेशो को ही देख लीजिए पंजाब हरियाणा और दिल्ली में इनका एक अलग से कैडर बनाया गया है। इस माननीय सदन में बहुत से अधिवक्ता और न्याय के क्षेत्र से संबंधित सदस्यों को भी हमारी बात से सहमत होना चाहिए होगे भी वे सभी इस प्रश्न पर अपनी चिंता रखते होंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस अविलम्बकनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यववाही रोक कर चर्चा कराई जाय या माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी निदेश जारी करें इनके अलग कैडर और सेवा नियमावली के लिए। मान्यवर, एक साधारण सरकारी अधिकारी को 14 सीएल (छुट्टियों) का अधिकार मिलता है इन्हें तो वह भी नहीं मिलता यहाँ तक कि इनके पेमेन्ट के बिल जमा होने के बाद भी दस महीने तक निस्तारण नहीं होता। इनके अधीनस्थ ना तो कोई लाइब्रेरी है ना कोई टाइपिस्ट और ना ही कोई कार्यालय। यह कैसे सैशन ट्रायल में पैरवी और पैरोकारी कर पायेगे इन सब बातो पर अब प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है।

इन तमाम चीजों के अलावा डी0जी0सी0 (क्रिमिनल) को प्राइवेट प्रैक्टिस पर भी रोक है। सिविल और रेवेन्यू जिसमें राजस्व अहित न हो टेक-अप कर सकते हैं। मान्यवर, मैं इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर गम्भीर चर्चा की आवश्यकता समझता हूं। इनका एक प्राइवेट कैडर बनाकर उनमें आत्म विश्वास को पैदा किया जाय और इनका कार्य काल 5 साल के लिये बढ़ाया जाय, इनकी सेवा शर्तें नियमावली तय की जाय। एक स्वतंत्र प्राधिकार के तहत पैरवी करने का अधिकार इनको दिया जाय। किसी तरह का राजनैतिक दबाव इन पर न पढ़ सके और उत्तर प्रदेश की न्याय प्रक्रिया और लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन के विषय में यह सरकार गम्भीर है तो न्याय विभाग का सहयोग लेकर इनके कैडर को मजबूत बनाये ताकि यह अपराधियों को जेल के सींकचों के अन्दर पहुंचाने के लिये, न्याय पक्ष की मजबूती से पैरवी करने के लिये कार्य कर सकें एक स्वतंत्र कैडर के रूप में। अतः मेरा निवेदन है कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री हुकुम सिंह-

सरकारी अधिवक्ता की नियुक्ति और अधिवक्ता का व्यवसाय दोनों अलग है। सरकारी अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति हो रही हो, स्पेशल कैडर की आवश्यकता हो, दोनों में एक एग्रीमेंट है और उसके अनुसार यह चलता है। पैरवी करने के लिये पैसा उनको दिया जाता है, वे पैरवी करते हैं। एक रिटेनर के रूप में मासिक रूप से पैसा दिया जाता है। इतना ही नहीं जिला जज की जो लाइब्रेरी है, वे सारी सुविधाएं उपलब्ध इन्हें भी होती हैं। सर्विस कन्डीशन्स में सुधार करने के लिये यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन पहले से ही है। जब हम उस पर विचार कर लेगें तो कार्यवाही कर ली जायेगी। यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आता है इसको निरस्त किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आता है अतः इसको निरस्त करता हूं। अगली सूचना श्री राम कुमार एडवोकेट और उदय राज यादव की है।

*श्री रामकुमार एडवोकेट-

मान्यवर आपका आभारी हूं कि नियम-56 के अन्तर्गत आपने मुझे इस सूचना पर बोलने का अवसर दिया। सरकार ने इस सदन में आश्वासन कराया था कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के विक्रीकर के तर्ज

* वक्ता के कथन का पूर्ण हिन्दी रूपान्तर।

रेट एक हो गये हैं लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ट्रेड टैक्स हरियाणा और दिल्ली की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में ज्यादा हैं जिसके कारण हरियाणा और दिल्ली से पेट्रोलियम प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश में लाये जा रहे है। यही नहीं है मथुरा रिफाइनरी और अन्य जगहों से सामान खरीदा जा रहा है जिससे हमारे प्रदेश को रेवेन्यू की क्षति हो रही है। एक रूपये 30 पैसे प्रति लीटर की दर हमारे यहां ज्यादा है। अन्य जगहों से एक टैंकर लेने पर 15-16 हजार रूपये प्रति वैकर का फायदा होता है जो कि हमारे प्रदेश को क्षति हो रही है। इस प्रश्न के माध्यम से अनुरोध है कि इस पर चर्चा कराकर सरकार को निर्देशित करें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह तो माननीय सदस्य को जानकारी होगी कि राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ था जिसमें तमाम प्रदेशों के वित्त मंत्री और संसदीय मंत्री को व्यापार टैक्स में एक रूपता सभी राज्यों में ट्रेड टैक्स में कैसे लाई जाय, विचार विमर्श हुआ था। इस बारे में कई कदम उठाये हैं कि कैसे एक रूपता लाई जाये और काफी हद तक प्रयास भी किये गये लेकिन एक रूपता बिल्कुल नहीं हो पाई क्योंकि प्रत्येक प्रदेश के अपने संसाधन हैं, अपनी स्थितियां-परिस्थितियां हैं, जिनपर उनको विचार होता है और उसी के अनुसार वह तय करती है। मैं नहीं समझता कि यह नियम-56 में आता है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह नियम-56 में नहीं आती इसलिये इसको निरस्त कर रहा हूं। अगली सूचना श्री विनोद मणि जी की है, कृपया दो मिनट में ग्राह्यता पर अपनी बात रखें।

*श्री विनोद मणि-

मान्यवर, भारतीय उर्वरक निगम की इकाई गोरखपुर खाद कारखाना 10 जून 1990 से बन्द पड़ा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक मात्र उद्योग के रूप में स्थापित इस कारखाने में दो हजार से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं। इससे जुड़े हजारों लोग मान्यवर भुखमरी के कगार पर हैं यह कारखाना चल नहीं पा रहा है। इस कारखाने को चलाने के लिए कर्मचारी व तकनीकी संस्थाएं बी0डी0आई0एल0 के ही सचिव ने अनेकों योजनायें प्रस्तुत की गई परन्तु निर्णय के अभाव में आज तक इस कारखाने को चालू नहीं किया जा सका। कृफको की योजना को 9 अप्रैल 1999 को स्वीकृति प्रदान की गई। पी0बी0आई0 ने स्वीकृति दे दी है। यह मामला प्रधान मंत्री कार्यालय में उनकी स्वीकृति के लिए एक साल से लम्बित है। इस प्लाट से 22 टन यूरिया प्रतिदिन का उत्पादन होगा। इस कारखाने में लगभग दो हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता से जुड़ा यह सवाल है। इस मंत्रिमंडल में लगभग 50 माननीय मंत्री जी पूर्वी उत्तर प्रदेश के संबंध रखते हैं। मान्यवर जिस मंत्रिमंडल में 50 से ज्यादा पूर्वी उत्तर प्रदेश के हों और पूर्वी उत्तर प्रदेश का एकमात्र संस्थान बन्द पड़ा हो और सारी औपचारिकतायें फाइनल स्टेज में हैं किसी मंत्री ने प्रधान मंत्री जी से गोरखपुर कारखाने को शुरू करने की बात नहीं की है। मैं मांग करूँगा, माननीय मुख्य मंत्री से आपकी सरकार यहां भी है और दिल्ली में भी है आप इस कारखाने को चालू करवा दें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय उर्वरक निगम की शाखा आन्ध्र प्रदेश में रामागुन्डम में और दूसरी शाखा सिन्दी झारखंड में है वहां की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करके अपना कारखाना चालू करने की स्थिति बना ली है। मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इससे बड़ा सवाल पूर्वी उत्तर प्रदेश का और नहीं हो सकता है। लेकिन यह सरकार गूँगी बहरी संवेदनशील है।

* उच्चारण में भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

माननीय शाही जी आपकी तरफ भी मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा आप भी पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंधित हो, कौन सी रुचि आप लोगों ने इस संस्था को चलाने के लिए कि, कौन सा प्रयास किया? मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों से जुड़ा हुआ, आम जनता से जुड़ा हुआ है, आम जनता के इस सवाल पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूँ और हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के विधायकों से, आपको भी चुनाव में जाना है आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इस कारखाने के संबंध में निर्णय भारत सरकार से हो सकता है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत कल्याणकारी निर्णय होगा।

श्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री धर्मपाल सिंह)-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है यह भारत सरकार में लम्बित है। उत्तर प्रदेश की सरकार से वर्तमान में कोई कार्यवाही लम्बित नहीं है। मान्यवर, हम श्रमिकों के संबंध में अति संवेदनशील हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव बनाकर केन्द्र सरकार को संस्तुति हेतु भेजा जा चुका है।

श्री अधिष्ठाता-

प्रस्तुत सूचना पर माननीय विनोदमणि और माननीय श्रम मंत्री जी को सुनने के बाद में नियम-56 की इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय व्ययक पर साधारण चर्चा*

श्री अधिष्ठाता-

अब हम संख्या-8 लेते हैं।

*डा0 पूर्णमासी पंकज-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2001-2002 के बजट में भाग लेने का अवसर दिया। यह चर्चा कई दिनों से चल रही है। इसमें विपक्ष के लोगों ने हमारी सरकार के ऊपर कई आरोप लगाये हैं लेकिन दुख की बात है कि जब उत्तर सुनने की बात आती है तो भाग जाते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि-

बातें विपक्ष की हमें लगती अजीब से,
शायद बजट देखा नहीं कोई करीब से।
पहली सरकार है यह प्रदेश की श्रीमन्,
जो सीधे नाता जोड़ा किसान से, गरीब से!!
प्रदेश का विकास पहले से बीस कर रहे,
जनता जनार्दन की दूर टीस कर रहे।
सबका हितैषी, कर रहित, जन भावनानुकूल,
प्रस्तुत कल्याणकारी बजट श्री हरीश कर रहे।।
माफियाओं के सफाये का अभियान है बजट,
सबके सभी प्रश्नों का समाधान है बजट!
हल्ला मचाने वालों के दिल पर हाथ रख देखों,
तुम सबके लिए भी तो यह वरदान है बजट।।
कोई बता रहा बजट में खामियां कई,

नोट- + दिनांक 2 मई 2001 की कार्यवाही से।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

शराब पुरानी है पर बोतल लगे नई,
कोई किसान कोई जन विरोधी कह रहा,
आडम्बर भरा, ढपोरशंखी कह रहे कई।।
कोई है आंकड़ों का मकड़जाल कह रहा,
कोई तो इसे शब्दों का भ्रमजाल कह रहा।
कोई तो भाव हीन, दिशाहीन, सारहीन,
कोई बता रहा यह ख्याली पुलाव है,
कोई तो कह रहा है बड़ा भेदभाव है।
कोई बताता है कि बजट आया इसलिए,
सरकार देख रही सामने चुनाव है।।
कोई है कहता बजट से बन्द धनधे लग रहे,
गरीबों, मजदूरों के कमजोर कंधे लग रहे।
शायद पढ़ा नहीं है बजट ध्यान से कोई,
कहने वाले सभी अकल के अंधे लग रहे।।
विपक्ष के आरोप बिलकुल निराधार है, गरीबों, किसानों हेतु बजट बना उपहार है।
शोषित, दलित, मजदूर, शिक्षार्थी और शिक्षक,
व्यापार के लिए यह एकदम असरदार है।।
अपराध नियंत्रण सरकार का संकल्प फर्स्ट है,
बख्से न जा रहे जो भी अधिकारी भ्रष्ट है।
छोड़गे न दोषी, नहीं निर्दोष छोड़ेगे,
नीति नियत दोनों हमारी स्पष्ट है।
क्षेत्रीय असंतुलन नहीं, न भेदभाव है,
सुविधा सम्पन्न कर रहे हर नगर गॉव हैं।
संतुलित, विकासोन्मुख बजट कल्याणकारी,
फिर भी विपक्षी कर रहे क्यों कॉव-कॉव हैं?
शराब के ठेका प्रथा को चेंज कर रहे,
रैकट समाप्त करने का असरेंज कर रहे।
चलने न पायेगा सड़क पर सीना खोल कर,
कोई भी अपराधी यहॉ चैलेंज कर रहे।
विकास की इच्छा मेरी सदा प्रबल रही है,
वित्तीय व्यवस्था यहॉ अब तो सम्हल रही है।
जन-जन को यह विश्वास है, आभास हो रहा,
प्रदेश की दशा, दिशा दोनों बदल रही है।।
प्यार दे रहे दुखी दरिद्र अनाथ को
हैं काम देने जा रहे हर एक हाथ को।
सम्मान से जीने का हक हर शख्स को मिला,

बधाई है बार-बार श्री राजनाथ को।।
विकास हो सम्पूर्ण प्रगति हो हर एक का,
शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य सम्मान हो प्रत्येक का।।
'''सर्वे भवन्तु सुखिन:'' की जन भावना लिए,
लाये बजट हरीश जी दो हजार एक का।।

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

वित्तमंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")-

मान्यवर, 22 मार्च, 2001 की इसी सदन में 2001-2002 का आय-व्ययक मैंने प्रस्तुत किया था इस आय-व्ययक पर लगातार कई दिनों से चर्चा हुई है। उस चर्चा में माननीय नेता विपक्ष के अतिरिक्त अन्य दलों के नेतागण और माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। माननीय श्री धनीराम वर्मा, माननीय श्री राम विशुन आजाद, माननीय श्री प्रमोद कुमार, माननीय श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, माननीय डा0 इन्द्रदेव सिंह, माननीय कुँवर रेवती रमण सिंह, माननीय श्री रघुवर दयाल वर्मा, माननीय श्री अम्बिका चौधरी एवं अन्य सभी सदस्यों के प्रगति मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन लोगों ने आय-व्ययक की चर्चा में भाग लिया। मान्यवर, चर्चा में विपक्ष की तरफ से यह कहा गया कि यह बजट दिशाहीन है। यह भी कहा गया कि रोजगार विहीन है और यह भी कहा गया कि यह बजट गतिहीन है, मैंने उन शब्दो का जोड-तोड़ मेल-जोल की कसरत को जरूर समझा लेकिन ऐसा लगा कि विपक्ष के माननीय सदस्य गण ने मेरे बजट भाषण को देखा ही नहीं पढ़ा ही नहीं जबकि मैने स्पष्ट रूप से अपने बजट भाषण के पृष्ठ-10 पर इन 6 बिन्दुओं का उल्लेख किया है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस बजट की दिशा क्या है:-

1. उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश होने के कारण कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गयी है।
2. मूलभूत अवस्थापना सुविधायें यथा-ऊर्जा, सड़क, सिंचाई, पेयजल आदि को शीर्ष प्राथमिकता दी गयी है।
3. विकास की गति में मानव संसाधन के पूर्ण क्षमता के साथ सदुपयोग की दृष्टि से इस क्षेत्र को भी प्राथमिकता दी गयी है।
4. समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने को महत्ता दी गयी है।
5. अनुत्पादक व्यय में कमी करने, अनुदानों का युक्तिकरण किये जाने तथा राज्य के व्यय की प्राथमिकतायें पुन: निर्धारण करते हुए व्यय की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है।
6. करों की दरों का युक्तिकरण, दरों की संख्या में कमी, वस्तुओं का युक्ति संगत वर्गीकरण, करके आधार वृद्धि, प्रक्रिया का सरलीकरण, प्रयोक्ता प्रभारों का युक्तिकरण आदि को भी बजट की संरचना के समय ध्यान में रखा गया है।

मान्यवर, आज भी विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बाहर हैं और जिस दिन प्रस्तुत किया था उस दिन उनकी वह हालत थी कि उनको पढ़ने का कोई कष्ट नहीं किया और चर्चा में जो मन में आया कहते चले गये तो एक दिशा ही के बारे में जो बात थी उसका मैंने उल्लेख किया। साथ ही यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसी अतिरिक्त जो विभाग जिनके बारे में मैंने प्राथमिकता के रूप में कहा है अगर इस प्रकार देखा जाए-कृषि और संवर्गीय सेवायें, ग्राम्य चिकित्सा, सिंचाई, ऊर्जा, शिक्षा, आवास एवं निगर विकास, चिकित्सा, समाज कल्याण आदि जितने विभाग हैं उनमें विगत वर्ष की तुलना में अधिक धन

इसलिए दिया गया कि इन क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जा सके इसी के साथ इस बजट की दिशा सुनिश्चित हो जाती है कि यह एक ऐसा बजट है जिसमें दिशा निश्चित है और जो ऐसे कुछ प्राथमिकता वाले विभाग हैं जिनको हमने प्राथमिकता दे रखी है उनमें धन दिया है।

उसी प्रकार दूसरा जो आरोप लगाया गया मान्यवर, बड़े खेद के साथ कहता हूं कि विपक्ष अनुपस्थित है उन्हें यह भी समझ में आयेगा कि जो आरोप लगाया है वह कितना गलत है। मान्यवर, दुग्ध विकास का एक क्षेत्र है, ग्राम्य विकास का क्षेत्र है, छतरी योजना चलती है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है, सुनिश्चित रोजगार योजना है, स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना है इस प्रकार इन सारी योजनाओं के अन्तर्गत 12 लाख 80 हजार व्यक्तियों को स्व रोजगार प्राप्त करने की व्यवस्था की गयी है। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से रोजगार की वृद्धि की अपार सम्भावनाएं हैं। यहां प्रश्न एक उपस्थित हुआ था कम्प्यूटरीकरण के कारण बेरोजगारी बढ़ेगी तो मैंने उत्तर दिया था कि कम्प्यूटरीकरण के कारण रोजगार के नये नये अवसर सृजित होंगें किसी को सेवा से अलग होने का न कारण बनेगा न आवश्यकता होगी। रोजगार के अवसर इस बजट के अन्दर सृजित है इसलिए उनका तर्क निराधार है। बिना पढ़े जो भी मनचाहा बोल दिया है।

जहां तक बजट में गतिहीनता का प्रश्न उठाया गया है, इसमें मान्यवर, निश्चित रूप से पूँजीगत व्यय में वृद्धि हुई है, उत्पादन बढ़ा है, साक्षरता दर में वृद्धि है, गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या में कमी आई है। यह संकेत गतिहीनता के द्योतक नही है, गतिशीलता के द्योतक हैं। इसमें उत्पादन की वृद्धि में 2000-2001 में खाद्यान्न का उत्पादन 462.16 लाख मीट्रिक टन हो जायेगी। यह 2001-2002 में बढ़कर 13.52 वृद्धि दर देकर 526.27 लाख मीट्रिक टन हो जायेगी। यह दर्शाता है कि बजट बहुत ही गतिशील है। इसी प्रकार साक्षरता की दर 41.6 प्रतिशत से बढ़कर इस समय 57.4 प्रतिशत हो जाने का अनुभव है। महिला साक्षरता की दर भी जो 91 में 25.3 प्रतिशत थी वह 2001 में 43 प्रतिशत हो गयी है। इसी प्रकार गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले जो 91 में 41.3 प्रतिशत थे वह इस समय घटकर 31 प्रतिशत हो गये हैं। इससे मान्यवर, स्पष्ट होता है कि यह बजट गतिहीन नहीं पर्याप्त गतिशील है और बिना इसको पढ़े कुछ कह दिया जाय इसको कोई औचित्य नहीं है। मान्यवर, पूँजीगत परिव्यय जिसके कारण विकास में वृद्धि होती हैं वह 2000-2001 में 38 अरब 74 करोड़ 22 लाख था 2001-2002 में 44 अरब 57 करोड़ 44 लाख का प्राविजन किया गया है। इसी प्रकार से विकास दर भी प्रदेश की बढ़ी है 98-99 में उत्तर प्रदेश की विकास दर 6.8 प्रतिशत थी जब कि राष्ट्रीय दर 6.5 थी, 99-2000 में उत्तर प्रदेश की 6.5 हुई है जबकि भारत की 6.6 है। मान्यवर, यही वित्तीय सुधार योजनाएँ लागू करने का परिणाम है। उत्पादन बढ़ता गया, पूँजीगत व्यय ज्यादा लग रहा है और राजकीय आय बढ़ रही है और उसी के साथ साथ गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या घट रही है और विकास दर में श्री राष्ट्रीय दर के बराबर उत्तर प्रदेश की दर आती जा रही है। इसी तरह से आगे राज्य की वित्तीय स्थिति के संबंध में कुछ सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है। इनकी चिन्ता निराधार है क्योंकि सबसे बड़ी चिन्ता राजस्व घाटा है, यह राजरूव घाटा लगातार घटता जा रहा है। वर्ष 98-99 में यह 8696.16 करोड़ था,जो 99-2000 में 7252.61 करोड़ हो गया। इसी प्रकार 2000-2001 में 5818.59 करोड़ रूपये हो गया और 2001-2002 में यह घटकर 4131.90 करोड़ रुपया हो गया। यह राजस्व घाटा लगातार घटता जा रहा है, यह वित्तीय स्थिति सुधरने का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब प्रश्न बड़ा यह होता है कि राजस्व घाटा कैसे घट रहा है? मैं निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्व की जो आय है, उसकी बढ़त उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत के हिसाब से है, जबकि राजस्व व्यय जो है, उसकी बढ़त को काबू करके उसने 3.7 प्रतिशत पर नियंत्रित किया है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि 2000-2001 की राजस्व आय 27.930 करोड़ थी जो बढ़कर 2001-2002 में 30129.44 करोड़ हो गई, इस प्रकार 10 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, लेकिन व्यय में, जो 2000-2001 में 33,442.94 करोड़ था, वह 2001-02 में 34131.34 करोड़ रूपये तक ही

पहुँचा, इस प्रकार हमने व्यय को काबू करके 3.7 प्रतिशत पर इसे नियंत्रित किया है। इस प्रकार आय की बढ़त की गति 10 प्रतिशत और व्यय की बढ़त 3.7 प्रतिशत पर है। इसी कारण यह राजस्व घाटा कम हुआ है।

मान्यवर, यहाँ पर आर्थिक वित्तीय क्षेत्र के बारे में चिन्ता व्यक्त की गई, चिन्ता व्यक्त करना स्वाभाविक है क्योंकि पिछले 15 वर्षों में प्रदेश लगातार पिछड़ता जा रहा था, आय घटती जा रही थी और व्यय बढ़ता जा रहा था, ऐसी दुखद स्थिति में चिन्तित होना स्वाभाविक है। लेकिन पिछले 2 वर्षों में आर्थिक सुधार के जो कार्यक्रम लागू किये गये, उनके जो परिणाम आये है, वह चिन्ता से लोगों को मुक्त करते है। मैं पूरे सदन को आश्वत करता हूँ कि अगले दो वर्ष जो आयेंगे उसमें वित्तीय स्थिति में और भी सुधार परिलक्षित होगा। इसी के साथ, यहां मैंने राजस्व घाटे की बात कही है, वहीं दूसरी इस ओर आर्थिक सुंधार के कार्यक्रम लागू होने के कारण सुधार भी परिलक्षित हुआ है। यह भी कहा गया कि केन्द्र सरकार से धन प्राप्त करने के लिये प्रयास नहीं होते है। मान्यवर, बिना पढें कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन आकड़े बताते हैं कि केन्द्र सरकार से क्या प्राप्त हुआ। केन्द्र सरकार से वर्ष 98-99 में 7991.32 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को मिला था। उसके बाद 99-2000 में 1082.47 करोड़ रुपया और 2000-2001 में 15,228.43 करोड़ रुपया और 2001-2002 में 15618.60 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। इस प्रकार मान्यवर, केन्द्र सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश को प्राप्त होने वाला राज्यांश और अनुदान बढ़ता ही जा रहा है। जबकि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि पिछले 15-20 वषो से यह उत्तर प्रदेश उपेक्षित सा रहा है, इसलिये यह कहना कि केन्द्र सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश की ओर नही है, गलत है, निराधार है। केन्द्र सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश को पूरा ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश केन्द्र सरकार से धन प्राप्त करने के लिये पूरी तरह सचेष्ट है। संवैधानिक व्यवस्था में आय के अधिकांश स्रोत केन्द्र के पास है और व्यय की अधिकांश मदें राज्य सरकारों के पास है, इसलिये यह स्वाभाविक है कि हमें केन्द्र से अधिक धन मिले और इसे हम लेने के लिये सचेष्ट हैं।

मान्यवर, ऋणग्रस्तता के संबंध में कहा गया कि ऋण लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समय जैसी वित्तीय स्थिति है, उसके हिसाब से ऋण तो लेना ही पड़ेगा। मैं इस बात को मानता हूँ कि ऋण पिछले 18 वर्ष से लिया जा रहा है और पिछले वर्षों में हर वर्ष यह 15% से लेकर 18% की गति से बढ़ता आया है। लेकिन यह पहला वर्ष है, जब इस बजट के अन्दर 11.07 पर इसे नियंत्रित किया है। मैं निवेदन करना चाहूँगा वर्ष 1998 में 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष में यह 48365 करोड़ रूपये था। उसके बाद 99-2000 में 55982 करोड़ रूपये हो गया, उसके बाद वर्ष 2000-2001 में 65135 करोड़ रूपये और 2001-2002 में 77066 करोड़ रूपये हो गया, इस प्रकार यदि अंतर को देखा जाय तो 15%-18% का था, उसको 11 प्रतिशत पर ले आये हैं, इस प्रकार उत्तर प्रदेश में ऋण कम हो, इसमें हमने सफलता प्राप्त क़ी है। इसी के साथ कुछ और ऐसी स्थितियां है जो इस बात को प्रकट करती हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति ठीक होती जा रही है राज्य सरकार द्वारा अपनायी गयी वित्तीय सुधार नीति और वित्तीय प्रबन्धन के फलस्वरूप 2000-2001का अन्तिम शेष 86.61 करोड़ है जब कि 99-2000 में यह 2200.91 करोड़ था। यह जो अन्तिम शेष है वह भी घटता जा रहा है, जो चिन्तनीय स्थिति थी उसको ठीक करने में राज्य सरकार को सफलता मिल रही है।

मान्यवर, वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए और प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए संसाधन और व्यय आयोग के गठन का भी निर्णय लिया गया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 9 स्थानों पर विचार-गोष्ठियां आयोजित की गयीं थी जिसमें सभी वर्ग के लोग शामिल थे जिसमें यही विषय था कि उत्तर प्रदेश की आय

कैसे बढ़े और व्यय कैसे नियन्त्रित हो और उसका वित्तीय प्रबन्धन कैसे और ठीक किया जाए जिससे हम आर्थिक स्थिति उत्तर प्रदेश की ठीक कर पायें। मान्यवर, इसके लिए जो भी सुझाव आए वह इसीसे जो संसाधन एवं व्यय आयोग गठित करने का भी निर्णय लिया गया है उसे सौंपा जायेगा और जो भी उसका फैसला होगा उसे प्रदेश में बड़ी कडाई के साथ लागू किया जायगा। हम देखेंगे कि जो यहाँ की स्थिति है और अच्छी कैसे बन पाये। इसी के साथ एक निवेदन और करना चाहता हूँ, अनुसूचित जातियों का जो स्पेशल कम्पोनेंट प्लान है उसके बारे में कहा गया था कि उसके लिए कम रूपये लगाये गये हैं। मान्यवर, अगर पढ़ा जाय तब तो पता चले, बिना पढ़े, बिना लिखे बोल गये। जो कि मा0 प्रमोद कुमार जी उपस्थित नही है, मैं उनकी बात का उत्तर देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि 2000-2001 में अनुसूचित जातियों के स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के लिए 220.81 करोड़ रूपये लगाये गये लेकिन 2001-2002 में केवल 169.86 करोड़ रूपये लाया गया है, वह कहना चाहते थे कि अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान जिसमें उनकी कल्याणकारी योजनाएँ रहती हैं उसमें कम धन लाया गया है। जब तक विगत में जो इसके लिए 220.81 करोड़ थे वह 2001-2002 में 321.18 करोड़ कर दिए गये हैं। मान्यवर, अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए जो अनुदान संख्या 80 है, समाज कल्याण, अनुसूचित जातियो का कल्याण उसमें 2000-2001 में उत्तरांचल को शामिल करते हुए 682.85 करोड़ दिया गया है। 2001-2002 में 681.49 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार यह आरोप झूठ और गलत था कि अनुसूचित जातियों और उनके स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के लिए धन कम लाया गया है, जबकि धन अधिक लाया गया है। एक और आरोप था कांग्रेस नेता प्रमोद कुमार की का 11 वें वित्त आयोग से उत्तर प्रदेश को जो धन लाना चाहिए था उसके लिए सही पैरवी नहीं की गयी। मैं इस सदन में इन तथ्यों को रखकर जानना चाहूँगा कि यह आरोप सही है कि गलत हैं। दशम् वित्त आयोग ने जो उत्तर प्रदेश में दिया था वह था 36158.91 करोड़ रूपया दशम् वित्त आयोग ने दिया था। 11वें वित्त आयोग ने 78509-30 करोड़ रूपया दिया ... कि दशम् वित्त आयोग के दूने से अधिक है। अगर प्रतिशत में देखें तो 15-95 प्रतिशत दशम् वित्त आयोग का था लेकिन ग्यारहवें वित्त आयोग से हमें 18-05 प्रतिशत मिला। यह 3 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई परन्तु धनराशि 36,158-91 करोड़ से 78509-30 करोड़ मिला। जो यह दर्शाती है कि पूरी तरह से पैरवी करके ग्यारहवें वित्त आयोग को समझाने का प्रयत्न किया गया।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि जब ग्यारहवां वित्त आयोग प्रदेश में आया था तो अध्यक्ष महोदय ने बैठक के बाद पूछा कि किसी को और कोई बात कहनी है तो मैंने कहा था कि दो निवेदन मेरा है। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रान्त है, यह उन्नति करेगा तो देश पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा अगर यह पिछड़ जायेगा तो सारे देश को पीछे घसीटकर समुद्र में चला जायेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश को ज्यादा देना चाहिए। दूसरा उत्तर प्रदेश के लूट को बंद कर दीजिए या इसकी भरपाई करवा दीजिए। यहां जितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, जो पैसा जमा होता है, उसका 27 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में निवेश करते हैं, जबकि महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, पंजाब में 70, 72, 78, 82 और 87 प्रतिशत निवेश करते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के लूट को बंद करिये या उसकी भरपाई करिये। बड़ा प्रदेश है,इसकी उन्नति होगी तो यह राष्ट्र की उन्नति का आधार बनेगा। अध्यक्ष जी सुसरो की इन बातों पर मुस्कराये थे। मैं समझता हूँ कि यह कहना कि पैरवी नहीं हुई तो इससे ज्यादा क्या प्रमाण है कि जितना हमें दशम् वित्त आयोग में मिला था उससे दूनी धनराशि ग्यारहवें वित्त आयोग में मिला। एक बात और कहना चाहता हूँ जब हमे ग्यारहवें वित्त आयोग ने इतना पैसा दिया तो सारे दक्षिण भारत के प्रदेश चिल्लाने लगे कि उत्तर प्रदेश के साथ पक्षपात हुआ। मैंने एक प्रदेश के मुख्य मंत्री को टेलीफोन किया और कहा कि हमें ज्यादा नहीं मिला है बल्कि इस बार प्रदेश के साथ अन्याय हुआ है और हमें न्यायोचित मिला है, इस बार आयोग का सही कदम उठा। उनका उत्तर था अभी तो अन्तरिम सिफारिश आयी है, अन्तिम बाकी है। मैं चौंका कि कहीं ऐसा न हो मेरे साथ खतरा हो जाये। आयोग द्वारा ग्रान्ट गैप अनुदान प्रशासन के उन्नयन हेतु अनुदान, ग्रामीण

निकाय हेतु अनुदान, नगरीय निकाय हेतु अनुदान, दैवी आपदा राहत हेतु अनुदान, इन पाँच मदों में मैंने जितना माँगा था उससे कम मिला तो मैंने आयोग को तत्काल दूसरा पत्र लिख दिया। हमको जो भाग केन्द्रीय करों की सिफारिशों में राज्य का अंश मिलता है, चूँकि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है जिन 5 मदों में हमारी माँग की पूर्ति नहीं है अन्तिम रिपोर्ट देते समय कृपया इस बात का ध्यान रखेगें जिससे हमारे साथ न्याय हो। इसलिए यह भी आरोप गलत है कि पैरवी ठीक से नहीं की गयी। एक निवेदन और करना चाहूँगा। अब मैं इस बात पर आता हूँ कि कुछ बातें और कही गयी हैं जिसके संबंध में कुछ उत्तर देना आवश्यक समझता हूँ । माननीय प्रतिपक्ष के नेता की तरफ से कुछ बातें आयीं मैं आरोप के रुप में नहीं कहता हूँ, कुछ प्रश्न उन्होंने उठाये, शंका किया गया, मैं प्रश्नों का उत्तर देकर समाधान करने की चेष्टा करता हूँ। उनका यह कहना कि प्रशासनिक व्यय 100 गुना बढ़ गया है। प्रशासनिक मद में 11 व्यय आते हैं।

मान्यवर, 11 मदों का उल्लेख कर देते हैं, वेतन मजदूरी, मंहगाई भत्ता, यात्रा व्यय, स्थानान्तरण यात्रा व्यय एवं यात्रा भत्ता मानदेय, अन्तरिम सहायता, सहायक अनुदान, प्रशिक्षण व्यय, अवकाश यात्रा भत्ता, के बारे में कहा गया है कि यह 100 गुना बढ़ गया है। मान्यवर, ऐसी बात नहीं है इसमें मात्र 1.22 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। मान्यवर, यह कहना कि आय के स्रोत कम हुए हैं लेकिन आप के स्रोत जो राज्य सूची में निर्धारित हैं उनमें कमी नहीं हुई है अगर पृष्ठ 72 को पढ़ लिया गया होता तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। मान्यवर, आय 10 प्रतिशत के हिसाब से हो रही है और व्यय 3.7 प्रतिशत की गति से हो रहा है। मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष का यह कथन कि लोक-लेखें की आय का स्रोत कैसे है, लोक लेखें का पैसा वापस करना पड़ता है लोक लेखा आय का स्रोत नहीं है। मान्यवर, यह एक प्रकार का ऋण है संविधान की व्यवस्था के अनुसार समेकित निधि, आकस्मिकता निधि, लोक-लेखा यह तीनों का सहारा लिया जाता है, जिसके द्वारा पैसा लेते हैं तथा अपनी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए पैसा लेते हैं और उसे वापस भी करते हैं। मान्यवर, अनुपूरक बजट के लिए संविधान में अनुच्छेद-205 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकार का बजट पास होने के बाद यदि कोई नयी आवश्यकता आ जाय तो उसके लिए अनुपूरक बजट प्रस्तुत कर सकते हैं। मान्यवर, यहां पर यह कहा गया है कि गत वर्ष 77.66 करोड़ की ऋणग्रस्तता थी जो बढ़कर 85 हजार 588 करोड़ हो गई है, यह कहा गया है कि 4 गुने बढ़ोत्तरी हो गई है, जो सही नहीं है यह ऋणग्रस्तता 15-16 वर्ष पहले शुरू हुई थी, इससे हम उत्तर प्रदेश को मुक्त करना चाहते हैं बजट बनाते समय हमने ध्यान दिया है कि कम से कम ऋण में काम चल जाये। मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि 68 विद्यालय ग्रान्ट इन एड में लिये गये है लेकिन अभी तक उनका जी0ओ0 नहीं हुआ है। मान्यवर, लेखानुदान में केवल चालू व्यय के लिए व्यवस्था होती है। माननीय नेता विपक्ष से मैं कहना चाहता हूँ कि इनको अनुदान सूची पर लेने का प्रस्ताव है इसलिए 2000-2001 का बजट पारित होते ही इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया जायेगा।

मान्यवर, इसी प्रकार माननीय प्रमोद कुमार जी ने एक प्रश्न उठाया था जिसका उत्तर हम पहले भी दे चुके हैं, श्री प्रमोद कुमार जी का कहना है कि पिछले वर्ष पुनरीक्षित आय का अनुमान लगभग 57 हजार 354.25 करोड़ का था जो कि इस वर्ष 51 हजार 403 करोड़ है। इस तरह 6000 करोड़ पीछे चले गये। तो मान्यवर, प्रमोद कुमार जी का जो यह कहना है कि हम 6 हजार करोड़ पीछे चले गये है, तो माननीय प्रमोद कुमार जी बुद्धिमान हैं, और हर चीज का गहन अध्ययन करते आये हैं, तो उन्हें यह पता होना चाहिए कि इस वर्ष केवल 10.000 करोड़ अर्थोपाय अग्रिम किया जाता है जबकि विगत वर्ष में 16500 करोड़ किया गया था। यह कमी इसी कारण है।

मान्यवर, कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने कहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि 13 हजार नये पदों का सृजन किया जायेगा तो मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने नये पदों का सृजन करने की कोई बात नहीं कही है, भर्ती किये जाने की बात कही है। मान्यवर, प्रतिवर्ष तीन प्रतिशत कर्मचारी अवकाश पर चले जाते हैं, उसमें से ही एक प्रतिशत जगह खाली बचती होती हैं, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग में भर्तियां चलती रहती हैं। अत: नए पद सृजन की आवश्यकता नहीं है, राज्य सरकार अपनी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र की आवश्यकता को समझकर ही भर्ती रोकती और चालू करती है, अभी कुछ दिन पहले ही समूह "ग" की भर्तियां हुई थी जिसमें हजारों लोगं भर्ती किये गये। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ-साथ में उत्तर प्रदेश का 2001-2002 की आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा में अपने विचारों को व्यक्त किया। तथा इस सम्बन्ध में जो चर्चाएं हुई हैं जिसमें पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा जो विचार प्रकट किये गये उसके लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि वित्तीय स्थिति कठिन है जिसको ठीक करने के लिए हमारा प्रयत्न जारी है इसमें हम आप सबका सहयोग चाहते हैं।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)-

मान्यवर, मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है वह प्रदेश की जनता को गुमराह करने वाला है। मेरा पहला प्रश्न यह है कि वित्त मंत्री जी ने अभी यह कहा है कि लोक लेखे का जो धन होता है वह सरकार होता है उसको सरकार लेती है और प्रयोग करने के बाद उसको वापस कर देती है। श्रीमन् मैंने कहा है कि लोक लेखे का जो धन होता है वह पब्लिक का धन है, सिक्योरिटी का धन है, प्रोविडेंट फंड का धन है, रिजर्व फंड का धन है, क्या उन्होंने घाटे को कम करने के लिये समायोजित करने के लिये इसको लिया है। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि माननीय मंत्री जी ने कहा की है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये कई योजनायें चलायी गयी है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इनको मिलने वाली स्कालरशिप में 50 प्रतिशत की कटौती की गयी है। इस बात को बजट में देख लिया जाय। अगर कटौती की गयी है तो क्या वह अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है।

श्री बालचन्द्र मिश्र-

मान्यवर, क्या नेता विपक्ष के प्रश्नों से असहमति व्यक्त करते हुये, उनके दल के सदस्य एक को छोड़कर, सभी सदस्य बर्हिगमन कर गये हैं।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीशजी" -

मान्यवर, जब आपने उस दिन यह बात कही तो मुझे आश्चर्य हुआ। लोक लेखे से धन लिया जाता है इसमें कहीं कोई आश्चर्य नहीं है। लोक लेखे से लेते हैं और उसको वापस कर देते हैं। यह बजट बनाने की प्रक्रिया में आता है।

श्री धनीराम वर्मा-

मान्यवर, लोक लेखे से पैसा सरकार का काम चलाने के लिये लिया जाता है। घाटे को समायोजित करने के लिये नहीं लिया जाता है। सरकार जनता को गुमराह कर रही है। वित्त मंत्री जी ने सदन को गुमराह करने का काम किया है।

उसी के बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूँ। क्या इससे जनता को गुमराह करने का काम नहीं किया गया?

श्री अधिष्ठाता-

क्या पहले बजट इससे अलग तरीके से बनता था?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीशजी"-

केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों का बजट इसी तरह बनता है। जो नहीं जानते हैं वह गुमराह हो जाते हैं।

श्री धनीराम वर्मा-

जब हमारी सरकार थी उस समय भी आपके नेता विरोधी दल हों या नारायण दत्त तिवारी हों या कोई भी हों सबने इसकी आलोचना की है एक गलत परम्परा पहले से चली आ रही है उसको मिटाने की बात हैं। वास्तविक स्थिति जो है उसको स्पष्ट कर दें। दूसरी बात अनुसूचित जाति जनजाति के स्कालरशिप को 50 प्रतिशत कम कर दिया।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीशजी" -

नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही है वह अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग में आएगा। उत्तरांचल के गठन के पूर्व जब पूरे प्रदेश का इसमें एक साथ बजट रखा जाता था। वह 2000-2001 में 682.05 करोड़ दिया गया था। अब 2001-2002 इसमें 681.49 करोड़ दिया गया है। ऐसी स्थिति में छात्रवृत्ति में 50 प्रतिशत की कटौती की बात आपने कही यह बात समझ में नहीं आती। मा0 नेता प्रतिपक्ष का कथन सही नही है। मैं निवेदन करूँगा कि जिस दिन समाज कल्याण विभाग का बजट आए उस दिन और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

श्री धनीराम वर्मा-

आप बजट सेट मंगवा लें कौन सही है और कौन गलत इसका पर्दाफाश हो जाएगा?

श्री कौकब अहमद-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से जानना चाहूँगा विकास दर आल इंडिया लेविल की 5.6 प्रतिशत थी वह 6 प्रतिशत होने जा रही है हमारे प्रदेश की 2.5 प्रतिशत और 3 प्रतिशत के करीब रहती थी यह 6 में कैसे आ गई ? क्या उत्तर प्रदेश की आल इंडिया लेविल से भी विकास दर बढ़ गई?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीशजी"-

यह बहुत ही सही बहुत ही अच्छा प्रश्न कहा गया है। मेरे सामने भी यह प्रश्न आया तो मैंने दिल्ली से लेकर यहां तक जितनी एजेन्सियां हैं सबसे सम्पर्क स्थापित करके जो सच्चाई निकली उससे में संतुष्ट हो गया। 99-2000 में विकास दर, 6.6% भारत की है और उत्तर प्रदेश की 6.5 है इसका कारण है कि उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न का उत्पादन और दूसरे क्षेत्र का उत्पादन जिस गति से बढ़ा उसने उत्तर प्रदेश की विकास दर को बढ़ा दिया। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई वह मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि कृषि एवं पशुपालन फण्ड की आय में 97-98 में 1898.30 करोड़ और 98-99 में 2422.43 करोड़ की वृद्धि हुई। माध्यमिक क्षेत्र का भी आंकड़ा ऐसा ही है वर्ष 87-88 में 1192.32 और 88-89 में 3458.95 करोड़ बढ़ गई।

श्री कौकव अहमद-

मैं और कुछ नहीं कह रहा कृपया एक बार दिखवा लें अगर आप इसको छः कह रहे हैं तो फिर 9 कहेंगे। तीन प्रतिशत की वृद्धि तो खुद में गिनीज वर्ड आफ रिकार्ड में आने लायक है।

श्री धनीराम वर्मा-

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या अभी रिजर्व बैंक और योजना आयोग ने कोई ताजा रिपोर्ट प्रस्तुत किया है जिसमें यह शंका व्यक्त की गई है कि उत्तर प्रदेश में जो आय वृद्धि का रिकार्ड बतलाया है कि 3 से 6.5 हो गया वह समझ में नहीं आता। यह इसलिए समझ में नहीं आता कि राष्ट्रीय औसत आय जो है उससे उत्तर प्रदेश की औसत आय 38 प्रतिशत कम है एक व्यक्ति की तो फिर सकल आय कैसे बढ़ गई?

श्री अधिष्ठाता-

स्पष्टीकरण यह आया कि इस तरह से केन्द्रीय सांख्यिकीय विभाग ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये उसके आधार पर यह बतलाया गया कि रेट बढ़ा है।

श्री धनी राम वर्मा-

रिजर्व बैंक और योजना आयोग की बात बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने गलत आंकड़े दिये केवल ऋण लेने के लिये।

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, दो बुजुर्गों का मामला है, बैठकर सुलझा लेंगे।

श्री धनी राम वर्मा-

काहे के लिये मान्यवर, प्रदेश की जनता भ्रमित रहे। यह थोड़ा सा साफ हो जाय।

श्री अधिष्ठाता-

जब डिटेल्ड मद आयेगी, तब कह लीजियेगा।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीशजी" -

मान्यवर, मैं थोड़ा सा इनके प्रश्न का उत्तर दे दूँ। योजना आयोग के बारे में यह प्रश्न कर चुके हैं। अभी हाल में ही हम दिल्ली गये थे। योजना आयोग के सभी माननीय सदस्य वहाँ उपस्थित थे। जो रिपोर्ट हमने पैश की योजना आयोग के सामने वह पूरी पढ़ी गई और उसी के आधार पर हमारी वार्षिक योजना स्वीकृत हुई। उस रिपोर्ट में हमने यह आंकड़े दिये हुए हैं। 1999-2000 में विकास दर 6.5 प्रतिशत थी। अगर इसमें कोई गलती या त्रुटि होती तो योजना आयोग पूरा बैठा था। इससे बड़ी पंचायत इस सम्बन्ध में और दूसरी नहीं हो सकती है। वे एक बार तो कह देते कि यह गलत है। एक बार भी किसी ने कुछ नहीं कहा कि इसमें यह त्रुटि है।

श्री धनी राम वर्मा-

श्रीमन् क्या माननीय वित्त मंत्री जी बतायेंगे कि योजना आयोग के समक्ष जो उत्तर प्रदेश की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उस पर योजना आयोग या रिजर्व बैंक ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की अभी 2/4 दिन में। बता दें।

श्री अधिष्ठाता-

अगर लिखित आया होगा तब ही बतायेंगे। अगर अखबार में छपी है तो उसका संज्ञान लेने का कोई मतलब नहीं है।

श्री धनी राम वर्मा-

इन आंकड़ों को सही नहीं माना जा सकता है। जब विकास दर कम है तो ज्यादा कैसे हो सकती है?

श्री अधिष्ठाता-

अब आप कह रहे हैं कि नहीं है, सरकार कह रही है कि है।

श्री धनी राम वर्मा-

अगर है तो पर्दाफाश होना चाहिए। पूरे देश की औसत आय से प्रदेश की औसत आय कैसे बढ़ गई। आप कहते हैं कि ऋण लगातार कम होता चला जा रहा है। 1995 के पहले इस प्रदेश पर कुल 21 हजार करोड़ रुपये ही ऋण था और आज यह बढ़कर 84 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया। इस पीरियड में आपकी ही सरकार ज्यादा चली है। यह प्रदेश की कंगाली को प्रदर्शित नहीं करना चाहते हैं। यह प्रदेश को कंगाल बताकर ऋणग्रस्त करना चाहते हैं। कैसे छुटकारा दिलायेंगे ऋणग्रस्तता से, उत्तर दें।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

यह कोई सवाल तो है नहीं।

श्री धनी राम वर्मा-

ठीक है, आपने कहा कि कोई प्रश्न नहीं है ठीक है। मैं दूसरा प्रश्न पूछ लेता हूँ।

प्रदेश की कृषि पर प्रदेश की 75 प्रतिशत जनता...

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीशजी'-

बिना पढ़े बिना समझे बोल रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अन्तिम प्रश्न हैं शान्त रहें।

श्री धनीराम वर्मा-

श्रीमन् मैं जानना चाहता हूँ इस प्रदेश की जनता 75 प्रतिशत कृषि पर निर्भर है और खेती की पैदावार बढ़ने के बजाय घटती जा रही है। मैंने आंकड़े दिए थे आबादी बढ़ रही है, कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए, किसानों की खेती और बीज दर पर कोई सब्सिडी देने की घोषणा मंत्री जी करेंगे।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीशजी'-

मान्यवर, कल कृषि विभाग का बजट है सारी बातें इसमें आ जाएंगी।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, एक मिनट सुन लें।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 9 मई, 2001 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल-9 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री अजय कुमार पोइया जी की है इन्होंने जनपद मथुरा में आंधी, ओला आदि दैवीय आपदाओं से पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता व राहत दिये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है, यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। दूसरी सूचना श्री संजय गर्ग की है इन्होंने शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अप्रशिक्षित अध्यापकों को दिये जाने वाले बी0टी0सी0 पत्राचार प्रशिक्षण कार्यक्रम को बीच में रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है, यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। तीसरी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी की है इन्होंने प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर बिना अनुमति के लाउडस्पीकर के प्रयोग पर पाबन्दी लगाये जाने संबंधी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन के संबंध में सूचना दी है, इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। चौथी सूचना श्री तेजभान सिंह की है इन्होंने जनपद रायबरेली के थाना नसीराबाद व मोहलगंज के थानाध्यक्षों द्वारा उक्त थानों में तैनाती के दौरान की गयी नागरिक उत्पीड़न की कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। पांचवी सूचना श्रीमती सुखदेवी वर्मा की है इन्होंने जनपद इटावा की तहसील भरथना अन्तर्गत ग्राम सलेमपुर में हुई अग्निकाण्ड की घटना के प्रभावित परिवारों को मुआवजा व राहत दिलाये जाने के संबंध में सूचना दी हैं, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। छठी सूचना श्री सीताराम निषाद की है इन्होंने राजकीय इण्टर कालेज, हैदरगंज एवं राजकीय बालिका इण्टर कालेज तोरोमाफी, फैजाबाद के भवन विहीन होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है, यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गई है। सातवीं सूचना श्री कौकब हमीद की है जनपद फिरोजाबाद में आवास एवं विकास परिषद् सुहागनगर के

अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा भवन संख्या 2/181 के आवंटी श्री जगदीश प्रसाद को उत्पीड़ित किये जाने के सम्बनध में है, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। आठवीं सूचना श्री जोखूलाल यादव की है इन्होंने ग्राम तिसोरा, तहसील फूलपुर जनपद इलाहाबाद में भीषण आग लग जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है, इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। नवीं सूचना श्री समरपाल सिंह की है इन्होंने जनपद अम्बेडकरनगर के तहसील अकबरपुर के ग्राम ससपना निवासी श्री राम श्रृंगार की भूमि पर अवैध कब्जेदारी किये जाने तथा पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है, इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

उत्तर प्रदेश के अन्य सीमावर्ती राज्यों से परिवहन के पारस्परिक समझौतों का अब तक पुनरीक्षण न किये जाने से जनता को हो रही असुविधाओं तथा राजस्व की क्षति के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा दिनांक 01 मई, 2001 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवहन मंत्री का वक्तव्य

परिवहन मंत्री (राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)-

यह कथन सही नही है कि उ0 प्र0 राज्य के सीमावर्ती राज्यों ....

एक सदस्य-

मान्यवर पढ़ा हुआ माना जाए।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

[से परिवहन समझौते 1983-85 के मध्य ही किये गये थे। वर्ष 1989 के पूर्व प्रभावी मोटरयान अधिनियम की धारा 63 के अन्तर्गत हरियाणा, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश के साथ क्रमश: 24-10-83, 24-10-83 तथा 6-5-85 को परिवहन करार किया गया जबकि राजस्थान से इसी धारा के अन्तर्गत समझौता 10-3-89 को सम्पन्न हुआ। चण्डीगढ़ एवं मध्य प्रदेश राज्यों से वर्तमान में प्रभावी मोटरयान अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत समझौते क्रमश: 23-7-93 एवं 27-5-94 को किये गये। दिल्ली राज्य से वर्ष 1985 में किया गया समझौता 3-3-2000 को विखण्डित किया जा चुका है तथा उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य के मध्य वर्ष 1993 से कोई समझौता प्रभावी नही है। शासन यातायात की आवश्यकताओं एवं अन्य क्षेत्रों में हुए विकास के प्रति पूर्ण रूप से सजग है तथा सीमावर्ती राज्यों-हरियाणा, पंजाब, हिमांचल प्रदेश, राजस्थान, चण्डीगढ़ एवं मध्य प्रदेश से हुए परिवहन समझौते को वर्तमान आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए पुनरीक्षित करने हेतु सम्बन्धित राज्यों से शासन द्वारा विचार-विमर्श प्रगति पर है। दिल्ली राज्य एवं बिहार से नया समझौता किया जाना भी शासन के विचाराधीन है। दिल्ली राज्य से नये समझौते के सम्बन्ध में कई उच्चस्तरीय बैठकें भी हो चुकी हैं तथा बिहार से समझौते की सम्भावनाओं का परीक्षण किया जा रहा है। जहां तक अन्तर्राज्यीय मार्गों पर निजी संचालकों को संचालन की अनुमति दिये जाने का प्रश्न है यह स्पष्ट करना समीचीन है कि समझौते से आच्छादित ऐसे मार्ग जो अधिनियम की धारा 100 के अन्तर्गत अधिसूचित नही हैं, उन पर निजी संचालकों को पूर्व में भी अनुमति दी जाती रही है तथा भविष्य में भी उन्हें अनुमति न दिये जाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता परन्तु ऐसे मार्ग जो अधिसूचित हैं, उन पर निजी बसों के संचालन की अनुमति दिया जाना विधिक दृष्टि से सम्भव नहीं है।]

नोट :- ['] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्नातक वेतनमान की शिक्षकों के सम्बन्धित स्थानान्तरण विषय के रिक्त स्थानों में न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री उदयराज यादव द्वारा दिनांक 01 मई 2001 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री का वक्तव्य

माध्यमिक शिक्षा, भाषा राज्य मंत्री (श्री चन्द्र किशोर)-

मान्यवर, प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों ....

एक सदस्य-

मान्यवर पढ़ा हुआ माना जाये।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री चन्द्र किशोर-

[में विषय विशेष में हुई रिक्ति के प्रति अध्यापकों को स्थानान्तरित/नियुक्ति से रिक्ति की पूर्ति करने हेतु मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को निर्देश/ आदेश दिये गये हैं। तद्नुसार उनके द्वारा कार्यवाही भी की जाती है। लेकिन परिस्थिति विशेष में उस विषय विशेष का एल0टी0 ग्रेड का अध्यापक उपलब्ध नही होता है तो उस स्थिति में जो भी शिक्षक उस विषय को पढ़ाने के लिए अन्य विषय में चयनित होने के बाद भी शैक्षिक अर्हता रखता है, की तैनाती/ स्थानान्तरण कर दिया जाता है सम्प्रति मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को स्पष्ट रूप से निर्देशित कर दिया गया है कि विषय से इतर किसी शिक्षक/शिक्षिका की नियुक्ति/स्थानान्तरण न किया जाय।

विषय से इतर किये गये स्थानान्तरण/नियुक्तियों के सम्बन्ध में मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों से सूचनायें मांगी जा रही हैं एवं उनको निर्देशित किया जा रहा है कि विषय से इतर विद्यालयों में कार्यरत ऐसे समस्त शिक्षक/ शिक्षिकाओं को वार्षिक प्रबन्ध के समय निर्धारित विषय के प्रति विद्यालय में पदस्थापित किया जाना सुनिश्चित करें।]

उत्तर प्रदेश के अन्य सीमावर्ती राज्यों से परिवहन के पारस्परिक समझौतों का अब तक पुनरीक्षण न किये जाने से जनता को हो रही असुविधाओं तथा राजस्व की क्षति के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा दिनांक 01 मई, 2001 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर परिवहन मंत्री का वक्तव्य

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, मेरा मूल प्रश्न था उसका जवाब नहीं आया है।

श्री अधिष्ठाता-

ब हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले आपने कहा नहीं है। आप माननीय मंत्री जी से मिल लीजियेगा।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। मान्यवर, सीमावर्ती राज्यों से परिवहन समझौते 1983-85 के मध्य ही किये गये थे यह कथन सही नहीं है ऐसा उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है। मान्यवर, अब तक 16 सालों से इन करारों का पुनरीक्षण न होने की वजह से जहाँ जनता को भारी असुविधा हो रही है वहीं प्रदेशों को भी भारी क्षति उठानी पड़ रही है। तो प्रदेश सरकार इन समझौतों में शीघ्रता लाकर बसों को संचालन करने की योजना बना रही है?

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

परिवहन मंत्री (राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)-

मान्यवर, अन्य राज्यों से बातचीत हो रही है जैसे ही समझौता हो जायेगा व्यवस्था लागू कर दी जायेगी।

जनपद संत रविदास नगर (भदोही) में ज्ञानपुर क्षेत्रान्तर्गत सीतामढ़ी में गंगा नदी पर पीपे के पुल के निर्माण के सम्बन्ध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा दिनांक 01 मई, 2001 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का वक्तव्य

सहकारिता मंत्री (श्री पटेल राम कुमार वर्मा)-

मान्यवर, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा गंगा नदी से तीन तरफ से घिरे होने के कारण इलाहाबाद

. . . .

एक सदस्य-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री पटेल राम कुमार वर्मा-

[एवं मिर्जापुर जनपदों को जोड़ने के लिए दो पीपे के पुल क्रमशः सीतामढ़ी गंगा घाट तथा डेगुरपुर-धनतुलसी गंगा घाट पर निर्माण की मांग का उल्लेख करते हुए सीतामढ़ी सीतासमाहित स्थान पर गंगा नदी पर बनने वाले पुल का कार्य कब तक पूरा हो जाने की सूचना चाही गयी है।

जनपद संत रविदास नगर भदोही ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में सीतामढ़ी स्थित सीतासमाहित स्थल है। यह एक धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक स्थल है। इस स्थल पर पाण्टूल पुल के निर्माण हेतु रू0 506.40 लाख का आगणन मुख्य अभियन्ता, वाराणसी से दिनांक 28-3-2001 को प्राप्त हुआ, जिसकी वित्तीय व्यवस्था गत वर्ष 2000-2001 में नही हो सकी। चालू वित्तीय वर्ष में इस प्रस्तावित प्लाटून पुल के निर्माण हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि की व्यवस्था करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को सन्दर्भित किया गया। वित्त विभाग द्वारा इस पुल के निर्माण हेतु अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था राज्य सेक्टर से कराये जाने के लिए नियोजन विभाग से अतिरिक्त परिव्यय प्राप्त करने एवं आगणन का परीक्षण व्यय वित्त समिति/ प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग से कराये जाने का परामर्श दिया है। तद्नुसार कार्यवाही की जा रही है।

जनपद संत रविदास नगर भदोही ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र के डेंगुरपुर-धनतुलसी घाट के पास गंगा नदी पर पीपे का पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि धनतुलसी घाट, सीतामढ़ी घाट के समीप होने तथा सीतामढ़ी घाट पर प्लाटून पुल बन जाने पर धनतुलसी घाट के यातायात के लिए नदी पार करने की व्यवस्था उपलब्ध हो जायेगी।]

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि सीतामढ़ी ऐतिहासिक, पौराणिक व धार्मिक दृष्टि से पूर्वांचल का महत्वपूर्ण स्थल है और यहाँ पर प्लाटून के पुल की घोषणा माननीय मंत्री जी ने की थी। मंत्री, लोक निर्माण ने बताया है कि धन की स्वीकृति दे दी गयी है। वित्त विभाग द्वारा इस पुल के निर्माण हेतु अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था राज्य सेक्टर से कराये जाने के लिए नियोजन विभाग से अतिरिक्त परिव्यय प्राप्त करने एवं

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आगणन का परीक्षण व्यय वित्त समिति/ परियोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग से कराये जाने का परामर्श दिया है। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसमें कब तक कार्यवाही हो जायेगी?

पटेल राम कुमार वर्मा-

मान्यवर, इसमें उत्तर स्पष्ट है, व्यवस्था करायी जायेगी। जब उपलब्ध हो जायेगी तब हम दे देंगे। यह वित्त विभाग में भेज दिया गया है।

उत्तरांचल में कार्यरत उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की वापसी के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा दिनांक 01 मई, 2001 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री का वक्तव्य

माध्यमिक शिक्षा भाषा राज्य मंत्री (श्री चन्द्र किशोर)-

मान्यवर, राजकीय सेवा में चयनित ....

एक सदस्य-

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री चन्द्र किशोर-

[प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विषय विशेष में हुई रिक्ति के प्रति अध्यापकों को स्थानान्तरित/नियुक्ति से रिक्ति की पूर्ति करने हेतु मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को निर्देश/आदेश दिये गये हैं। तद्नुसार उनके द्वारा कार्यवाही भी की जाती है। लेकिन परिस्थिति विशेष में उस विषय विशेष का एल0टी0 ग्रेड का अध्यापक उपलब्ध नहीं होता है तो उस स्थिति में जो भी शिक्षक उस विषय को पढ़ाने के लिए अन्य विषय में चयनित होने के बाद भी शैक्षिक अर्हता रखता है, की तैनाती/स्थानान्तरण कर दिया जाता है सम्प्रति मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को स्पष्ट रूप से निर्देशित कर दिया गया है कि विषय से इतर किसी शिक्षक/शिक्षिका की नियुक्ति/स्थानान्तरण न किया जाय।

विषय से इतर किये गये स्थानान्तरण/नियुक्तियों के सम्बन्ध में मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों से सूचनाएं मांगी जा रही हैं एवं उनको निर्देशित किया जा रहा है कि विषय से इतर विद्यालयों में कार्यरत ऐसे समस्त शिक्षक/शिक्षिकाओं को वार्षिक प्रबन्ध के समय निर्धारित विषय के प्रति विद्यालय में पद स्थापित किया जाना सुनिश्चित करें।]

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैंने उत्तरांचल में कार्यरत पूर्व के उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षकों के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की थी। उनकी जो बुरी स्थिति है उससे मंत्री परिचित होंगे। तो उत्तर प्रदेश के उन शिक्षकों को उत्तर प्रदेश में वापस नही किया जा रहा है और यह मेहरा कमेटी के नाम पर पल्ला झाड़ने का काम करने में लगे हुए हैं कि जैसे की निर्णय हो जायेगी तब हम कार्यवाही करेंगे। वहां उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षकों की इन्टीरियर में पोस्टिंग कर दी गयी है। वहां पर मैदानी शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। उत्तरांचल के मुख्य मंत्री ने कहा हैं कि हम इन्हें वापस नहीं भेजेंगे। सरकार मेहरा कमेटी पर निर्भर है, तो क्या सरकार इस पर गम्भीरता से विचार कर रही है?

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री चन्द्र किशोर-

मान्यवर, इसमें स्पष्ट रूप से मेहरा समिति का जिक्र है। दो राज्यों का मामला है इसमें उत्तरांचल राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य दोनों पक्षों की सहमति के बाद अन्तिम रूप से तैनाती की जायेगी क्योंकि 5,000 शिक्षक हैं उतने पद यहाँ रिक्त नहीं हैं लिहाजा कमेटी गठित कर दी गयी है जो अपना निर्णय देगी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, दो राज्यों के बीच का मामला है। मान्यवर, उनसे विकल्प भरवाया गया था उन्होंने उत्तर प्रदेश का विकल्प भर दिया अब अगर मेहरा कमेटी ने सिफारिश नहीं की तो इन शिक्षकों का क्या होगा उनमें असुरक्षा की भावना व्याप्त है।

श्री अधिष्ठाता-

आप बैठ जायें बात आ गयी है। मद सं0-14

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षकों की उदासीनता के कारण राजकीय शिक्षकों की न्यायोचित मांगों को शीघ्र पूरा न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा दिनांक 01 मई, 2001 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री का वक्तव्य

माध्यमिक शिक्षा भाषा राज्य मंत्री (श्री चन्द्र किशोर)-

मान्यवर, प्रदेश सरकार .....

श्री अधिष्ठाता-

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री चन्द्र किशोर-

[उत्तर प्रदेश के राजकीय शिक्षकों को केन्द्रीय वेतनमान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में प्रदेश शासन द्वारा मा0 वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जा चुकी है। समिति की आख्या प्राप्त होने पर शासन द्वारा अर्थोपाय को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया जायेगा। बी0टी0सी0 वेतनक्रम के शिक्षकों को 5 प्रतिशत एल0टी0 वेतनक्रम में पदोन्नति का प्रकरण शासन के विचाराधीन है। शिक्षकों की 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चयन वेतनमान की व्यवस्था है तथा चयन वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने पर प्रोन्नत वेतनमान वित्त वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार ही अनुमन्य कराया जा रहा है।

जहां तक एल0टी0 एवं प्रवक्ता वेतनक्रम में चयन वेतनमान प्राप्त कर रहे समस्त अध्यापकों को राजपत्रित घोषित किये जाने की मांग का प्रश्न है चयन वेतनमान एवं प्रोन्नत वेतनमान की व्यवस्था शिक्षकों की संख्या के अनुरूप पदोन्नति के पदों की अनुपलब्धता के कारण की गयी है, ऐसे समस्त शिक्षक मूलत: विद्यालयों में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। किसी पद विशेष को कार्य एवं दायित्वों के निर्वहन के आधार पर राजपत्रित घोषित किया जाता है न कि वेतनमान के आधार पर। अत: इनको राजपत्रित घोषित किये जाने की मांग में किसी प्रकार से औचित्य प्रतीत नहीं होता।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कानपुर में राजकीय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के 57वॉ अधिवेशन के अवसर पर 15 दिसम्बर, 2000 को दिये गये सत्रह सूत्रीय ज्ञापन पर आख्या निम्नवत् है:-

आख्या

बिन्दु संख्या-1 केन्द्रीय शिक्षकों के अनुरुप पद से पद की समानता देने हेतु मा0 वित्त मंत्री जी की अध्यक्ष में गठित समिति द्वारा विचार किया जा रहा है।

बिन्दु संख्या-2 50% पदों पर प्रधानाचार्य के सीधी भर्ती के पदों पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था की मांग का वर्तमान की व्यवस्था को देखते हुए कोई परिवर्तन किये जाने का औचित्य नहीं है।

बिन्दु संख्या-3 सत्रांत लाभ शिक्षकों के हित में नहीं अपितु छात्रों के हित में दिया जाता है अतएव प्रशिक्षण संस्थानों में सत्रांत लाभ दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

बिन्दु संख्या-4 प्रवक्ता संवर्ग के चयन वेतन एवं एल0टी0 संवर्ग के प्रोन्नति वेतनमान को राजपत्रित घोषित किये जाने तथा चयन वेतनमान प्राप्त स्नातकोत्तर एल0टी0 शिक्षकों को प्रवक्ता घोषित किये जाने के संबंध में अवगत कराना है किसी पद विशेष को वेतनमान के आधार पर राजपत्रित घोषित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

बिन्दु संख्या-5 उत्तरांचल से उत्तर प्रदेश का विकल्प देकर आने वाले शिक्षकों/प्रधानाचार्यों को समायोजित करने का प्रकरण नीतिगत है और उ0प्र0 पुर्नगठन विधेयक 2000 के अधीन भारत सरकार द्वारा गठित मेहरा "समिति"के विचाराधीन है।

बिन्दु संख्या-6 बी0टी0सी0 वेतनक्रम की स्नातक योग्यताधारी शिक्षक/शिक्षिकाओं को एल0टी0 के 5% पदों पर पदोन्नति दिये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

बिन्दु संख्या-7 समान कार्य के लिए समान वेतन तथा समान सेवाशर्तें अशासकीय विद्यालयों की भांति लागू की जाय अन्यथा राजकीय शिक्षकों को असुविधा भत्ता अनुमन्य कराये जाने के प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि राजकीय विद्यालय के शिक्षक राज्य कर्मचारी हैं तद्नुसार राज्य कर्मियों को अनुमन्य सभी सुविधाएं इन्हें अनुमन्य हैं, जोकि अशासकीय विद्यालय के शिक्षकों को अनुमन्य नहीं हैं। अतः वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन का सम्यक आधार नहीं है।

बिन्दु संख्या-8 संगीत, कला, शिल्प, व्यायाम एवं कम्प्यूटर के प्रवक्ता पदों के सृजन से संबंधित शासन में प्राप्त प्रस्तावों पर परीक्षणोपरान्त यथावश्यक निर्णय लिया जाता रहा है।

बिन्दु संख्या-9 तदर्थ नियुक्त शिक्षकों की सेवाओं के विनियमितीकरण के प्रकरण में शासन स्तर पर कार्यवाही गतिमान है।

बिन्दु संख्या-10 विधान परिषद्, उ0प्र0 में राजकीय शिक्षकों के कम से कम दो प्रतिनिधि मनोनीत किये जाने का प्रस्ताव राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली के प्राविधानों के विरुद्ध है।

बिन्दु संख्या-11 राजकीय शिक्षकों को उपार्जित अवकाश अन्य राज्य कर्मियों की भांति ही दिये जाने के सम्बन्ध में कहना है कि राजकीय शिक्षकों को ग्रीष्म अवकाश की सुविधा प्राप्त है, जबकि अन्य राज्य कर्मियों को यह सुविधा अनुमन्य नहीं है दीर्घावकाश विभाग होने के कारण ही इन्हें कलैण्डर वर्ष में अर्जित 31 दिनों में से 30 दिन को घटाते हुए। दिन का उपार्जित अवकाश अनुमन्य है- यह व्यवस्था अन्य दीर्घावकाश विभाग के कर्मचारियों पर भी यथावत प्रभावी है।

बिन्दु संख्या-12 भवन निर्माण, फर्नीचर, सांज-सज्जा व नियमित बजट आवंटन की व्यवस्था एवं बढ़ती छात्र संख्या से उत्पन्न प्रवेश समस्या के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि समय-समय पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के उक्त कार्यों हेतु उसके औचित्य एवं धन की उपलब्धता के दृष्टिगत शासन द्वारा निर्णय लिया जाता है।

बिन्दु संख्या-13 शिक्षा विभाग में महानिदेशक शिक्षा के पद के औचित्यपूर्ण न पाये जाने के कारण स्वीकृत/सृजन किया जाना सम्भव नहीं है।

बिन्दु संख्या-14 बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल ढोने जैसा अप्रिय, अमर्यादित शिक्षक प्रतिष्ठा के प्रतिकूल कार्य को शिक्षकों से न कराने के विषय में अवगत कराना है कि उक्त कार्य शिक्षकों से न चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से सम्पन्न कराया जाता है। मात्र उक्त कार्य के परीक्षण हेतु ही शिक्षकों को लगाया जाता है।

बिन्दु संख्या-15 राजकीय विद्यालय के शिक्षक पदों पर वाह्य समायोजन अपरिहार्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए ही शासन द्वारा समय-समय पर निर्णय लेकर किया जाता है।

बिन्दु संख्या-16 शिक्षा प्रसार योजना की विविध समस्याओं का विस्तृत उल्लेख न होने के कारण इस बिन्दु पर समुचित रुप से प्रकाश डालना सम्भव नहीं है।

बिन्दु संख्या-17 शिक्षा विभाग के संगठन के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण द्वेष भावना से न करके बल्कि परिस्थितियों एवं शासन द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के तहत ही किया जाता है।

उपरोक्त के आलोक में माननीय सदस्य विधान सभा का यह कथन कि शिक्षक संघ की मांग को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है, उचित प्रतीत नहीं होता है।

मैं सदन को यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि शासन द्वारा शिक्षक संघों की मांगों के सम्बन्ध में समय-समय पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में पारस्परिक विचार-विमर्श करके उनकी समस्याओं पर, शासन की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत ही निर्णय लिये जाते हैं तथा भविष्य में उक्त भावना के अनुरुप ही निर्णय लिए जाने का संकल्प है]

आगरा में ताज महल के प्रदूषण युक्त रखने हेतु ताजमहल के निकटवर्ती ग्रामों के निवासियों के वाहनों पर चलना बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रघुवर दयाल वर्मा द्वारा दिनांक 01 मई, 2001 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सहकारिता मंत्री का वक्तव्य

सहकारिता मंत्री (श्री पटेल राम कुमार वर्मा)-

माननीय सर्वोच्च न्यायालय.....

श्री अधिष्ठाता-

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री पटेल राम कुमार वर्मा-

[द्वारा याचिका संख्या 13381/84-एम0सी0 मेहता बनाम भारत सरकार एवं अन्य में ताजमहल को प्रदूषण से मुक्त रखने हेतु समय समय पर विभिन्न निर्देश पारित किये जाते रहे हैं कि ताजमहल से 500

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मीटर की परिधि के अन्दर डीजल/पेट्रोल वाहनों का संचालन प्रतिबंधित कर दिया जाए। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में दिनांक 30.8.86 द्वारा ताज संरक्षित क्षेत्र में विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों का निरीक्षण करने हेतु महाजन कमेटी का गठन किया गया। ताज के 500 मीटर की परिधि में रहने वाले निवासियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए महाजन कमेटी द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक रिर्पोट प्रेषित की गई जिसमें न्यायालय से अनुरोध किया गया कि ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में रखने वाले निवासियों के वाहनों को परिवहन कार्यालय अभिलेखों से चिन्हित कर लिया जाय तथा उनके आने व जाने की सुविधा के लिए स्टीकर जारी किये जाए। उक्त कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14-11-2000 को सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा को निर्देश दिये गये कि ताजमहल की 500 मीटर की परिधि के निवासियों की वाहनों को चिन्हित कर लिया जाय तथा उन वाहन स्वामियों को आने जाने के लिए स्टीकर उपलब्ध कराये जाए। इस सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी, यातायात तथा सम्भागीय परिवहन अधिकारी को 500 मीटर की परिधि क्षेत्र में वाहन नियंत्रण एवं प्रदूषण नियंत्रण के लिए सीधे जिम्मेदार ठहराया गया है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन में इस क्षेत्र में संचालित 1067 वाहनों को सम्भागीय परिवहन कार्यालय, आगरा द्वारा चिन्हित किया गया है तथा समाचार पत्रों के माध्यम स प्रचार-प्रसार कराकर 638 वाहनों को टोकन/स्टीकर जारी किये गये हैं जिसमें ट्रैक्टर ट्राली एवं अन्य सभी प्रकार के वाहन सम्मिलित हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा 500 मीटर की परिधि पर पड़ने वाले सभी मार्गों पर बैरियर स्थापित किये गये हैं तथा स्टीकर प्राप्त वाहनों को ही अन्दर आने जाने दिया जा रहा है। उत्तर पूर्व में बसे निकटवर्ती गांव के निवासियों के वाहनों का चलना प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

उपर्युक्त व्यवस्था मा0 न्यायालय के आदेशानुपालन में की गयी है। अतः इसमें शासन द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है।]

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

मान्यवर, जो 500 मीटर की परिधि जो है वह ताजमहल से पूरब की तरफ फतेहाबाद रोड जो है उस पर ताज नेचर वाक पर 500 मीटर का बैरियर है शिल्प ग्राम वहां पर 200 मीटर आगे है वहां पर भी बैरियर है तो 700 मीटर के बैरियर पर जो उत्तर पूर्व के ग्राम हैं उनके वाहन नही आने जाने देते हैं। जबकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है 500 मीटर से बाहर कोई रोक नहीं होगी शहर में 500 मीटर की परिधि में लाने की सुविधा है और देहात के लोगों को 500 मीटर से बाहर जाने की सुविधा न देना यह अन्याय होगा।

श्री पटेल राम कुमार वर्मा-

मान्यवर, 500 मीटर के बारे में इस वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया गया है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

मान्यवर, यह दोहरा अन्याय है। इधर 700 मीटर तक बैरियर है और ट्रैक्टर लाने की अनुमति नही है और उधर शहर के लोग को छूट है।

श्री पदेल राम कुमार वर्मा-

मान्यवर, माननीय सदस्य की पीड़ा से हम स्वयं अवगत हैं जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है उसका हमने उल्लेख किया। अगर उसके अन्दर कोई अनियमितता है तो उसको देख लिया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

एक तरफ तो 700 मीटर का बैरियर लगा है और दूसरी तरफ शहर की तरफ से खुला है तो माननीय सदस्य का यह कहना है कि यह दोहरा मापदण्ड क्यों है?

श्री पटेल राम कुमार वर्मा-

मान्यवर, सरकार तो न्यायालय के आदेश का परिपालन कर रही है।

श्री अधिष्ठाता-

अगर कोई ऐसी बात है जैसा माननीय सदस्य ने कहा है तो उसकी समीक्षा सुनिश्चित करा लें।

श्री पटेल राम कुमार वर्मा-

ठीक है।

कृषि उत्पादन मण्डी समिति मथुरा में सचिव एवं व्यापारियों की साँठ-गाँठ से किसानों का शोषण किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा दिनांक 01 मई, 2001 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत निर्धारित कृषि मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता-

इसमें माननीय मंत्री जी का स्थगन का अनुरोध है इसलिए इसे स्थगित कर रहा हूँ।

सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र में पूर्णकालिक निदेशक का पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा दिनांक 01 मई, 2001 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सूचना एवं प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रानिक्स मंत्री का वक्तव्य

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री शिवाकान्त ओझा)-

माननीय सदस्य द्वारा दी गयी सूचना में....

श्री अधिष्ठाता-

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री शिवाकान्त ओझा-

[यह कहा गया है कि सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र में पूर्णकालिक निदेशक का पद रिक्त है तथा केन्द्र के ही वरिष्ठ वैज्ञानिक कार्यवाहक निदेशक का कार्य देख रहे हैं। कार्यवाहक निदेशक/वरिष्ठ वैज्ञानिक के विरुद्ध सतर्कता जांच प्रारम्भ हो रही है जिसमें वैज्ञानिक संस्थान होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा व लोक महत्व को उद्वेलित करने वाले बिन्दु भी होंगे, प्राकृतिक न्याय के अनुसार ऐसे वैज्ञानिक संस्थान में सर्वोच्च पद पर आसीन अधिकारी यदि सतर्कता जांच में अपचारी कर्मी हैं तो उसे पद पर नहीं रहना चाहिये।

2- मा0 सदस्य ने यह भी अनुरोध किया है कि कार्यवाहक निदेशक को हटाकर उसका चार्ज शासन में प्रशासनिक विभाग के सचिव को तत्काल सौंप दिया जाये क्योंकि पूर्णकालिक निदेशक के चयन में काफी लम्बा समय लगेगा और सतर्कता जांच प्रभावित होगी।

3- डा0 ऐश्वर्य नारायण, सुदूर संवेदन उपयोगी केन्द्र के निदेशक के रुप में दिनांक 29-1-98 से कार्यरत थे जिन्हें दिनांक 10 मई, 1999 को कार्यमुक्त किया गया था तथा निदेशक के रिक्त पद का पदभार केन्द्र के वरिष्ठतम वैज्ञानिक डा0 ए0एन0 सिंह को, पूर्णकालिक निदेशक के पद पर स्थायी रुप में कार्यरत हैं।

4- पूर्णकालिक निदेशक के पद पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। उक्त चयन की प्रक्रिया चल रही है।

5- अभिलेखीय स्थिति के अनुसार सम्प्रति कार्यवाहक निदेशक, सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र, लखनऊ के विरुद्ध सतर्कता जांच चल रही है।]

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

राजकीय बालिका इण्टर कालेज, कुर्की बाजार अकबरपुर अम्बेडकर नगर के भवन निर्माण के सम्बन्ध में श्री राम अचल राजभर द्वारा दिनांक 01 मई 2001 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

माध्यमिक शिक्षा, भाषा राज्य मंत्री (श्री चन्द्र किशोर)-

राजकीय बालिका इण्टर कालेज, कुर्की बाजार, अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर की स्थापना वर्ष 1997 में की गयी थी।

सहकारिता मंत्री (श्री पटेल राम कुमार वर्मा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

पढ़ा हुआ माना गया।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री चन्द्र किशोर-

[तब से यह विद्यालय अभी तक किराये के भवन में चल रहा है। उक्त विद्यालय के सरकारी भवन निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 835/15-10-2001-32 (57) 2000 दिनांक 29 मार्च, 2001 द्वारा रु0 42.65 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। विद्यालय भवन का निर्माण उत्तर प्रदेश जल निगम की स्थानीय इकाई द्वारा कराया जायेगा]

जनपद गौतम नगर के ग्रेटर नोयडा में गोल्फ कोर्स का हस्तान्तरण जे0पी0 ग्रुप को किये जाने के फलस्वरुप कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा दिनांक 01 मई, 2001 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर श्रम राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

श्रम राज्य मंत्री स्वतन्त्र प्रभार (श्री धर्मपाल सिंह)-

मान्यवर, ग्रेटर नोएडा में गोल्फ कोर्स और....

सहकारिता मंत्री (श्री पटेल राम कुमार वर्मा)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री धर्मपाल सिंह-

[इंटीग्रेटेड स्पोटर्स काम्प्लेक्स चलाने के लिये मै0 स्टर्लिंग ग्रेण्ड को भूमि आवंटित की गयी थी। इस योजना के लिए मै0 स्टर्लिंग ग्रैण्ड ने आई0सी0आई0सी0आई0 से ऋण भी प्राप्त किया था। कालान्तर में मैं0 स्टर्लिंग ग्रैण्ड द्वारा ग्रेटर कैलाश नोएडा के किश्तों का भुगतान न किये जाने के कारण उनका आवंटन निरस्त कर दिया गया। आई0सी0आई0सी0आई0 द्वारा प्रस्तुत रिवाइवल पैकेज के अनुसार प्राधिकरण के बोर्ड के अनुमोदन के उपरान्त गोल्फ कोर्स व इन्टीग्रेटेड स्पोर्टस काम्पलेक्स का आवंटन मै0 जे0पी0 ग्रीन्स के पक्ष में किया गया।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2- जहां तक गोल्फ कोर्स में लगाये गये मजदूरों व जे0पी0 ग्रीन्स द्वारा उन्हें रोजगार उपलब्ध कराये जाने का प्रश्न है, वह निजी निवेशकों के अधिकार क्षेत्र में है। अनौपचारिक रुप से प्राधिकरण द्वारा जे0पी0 ग्रीन्स व इन तथाकथित मजदूरों के मध्य समझौता कराने की कोशिश भी गयी थी, परन्तु इसमें सफलता नही मिली। प्राधिकरण द्वारा मजदूरों को यह सुझाव दिया गया था कि वे श्रम विभाग से विधि सम्मत निर्देश प्राप्त कर लें। अतिरिक्त सूचना एकत्र की जा रही है।

3- उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिवद्ध है।]

श्री अधिष्ठाता-

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे तक के लिए।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 6 बजकर 40 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिय स्थगित हो गया)

लखनऊ :
दिनांक 9 मई, 2001

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

[देखिये अता0प्र0सं0 - - - - 38 का उत्तर पीछे पृष्ठ - - - - - - पर)

जनपद आगरा में वर्ष 1990-2001 के मध्य छात्रवृत्ति धनराशि के दुरुपयोग के लिए चिन्हित विद्यालयों की सूची:-

1-श्री हरीसिंह, जू0हा0 स्कूल, बाह

2-उच्च प्राथमिक विद्यालय, बाह

3-कन्या जू0हा0 स्कूल, जैतपुरकला

4-जनता इ0का0 जैतपुर कला

5-लाखन सिंह उ0मा0वि0 चांगोली (बाह)

6-कन्या प्रा0 विद्यालय-बागराजपुर

7-जू0हा0 स्कूल जैतपुर कलां

8-मीता जू0हा0स्कूल नमला नत्था (एत्मादपुर)

9-श्री केलू बाल मन्दिर जू0हा0 स्कूल रामनगर (खन्दौली)

10-ब्रहमलाल चम्बल घाटी विद्यालय उमरेठा

11-उच्च प्राथमिक विद्यालय टूला (शमशाबाद)

12-ज्वाला प्रसाद कटोरी देवी जू0हा0 स्कूल शमशाबाद

13-शमशाबाद बाल विद्यालय शमशाबाद

14-वीर सेन मान्टेसरी जू0हा0 स्कूल शंकरपुर

15-वेदराम बाल विद्यालय मोनटे0 अलीनगर

16-पंचशील जू0हा0 स्कूल, नगलां भवानी सिंह

17-शीला जू0हा0 स्कूल नगला धनी

18-स्वीट फ्लावर प्रा0पा0 कमलानगर

19-एटलस मदरलैन्ड जू0हा0 स्कूल बलकाबस्ती-आगरा

20-पुष्पादेवी जू0हा0 स्कूल कमलानगर-आगरा

21-दी0सी0 चन्द्रा जू0हा0 स्कूल सुहागनगर

22-गुलाब जू0हा0 स्कूल बाईपास रोड-आगरा

23-प्राइमरी पाठशाला गुर्जा बासौनी

24-उच्च प्राथमिक विद्यालय बासौनी

25-प्राथमिक विद्यालय कौलक्खा

26-प्राथमिक विद्यालय सैमरी

27-प्राथमिक विद्यालय नैनाबाहमण

28-प्राथमिक पाठशाला बडौस

29-प्राथमिक विद्यालय भूसेपुर

30-प्राथमिक विद्यालय ककोपुरा

31-जी0वी0 पन्त प्रा0पा0शाला-वारसूगेट-आगरा

32-एस0डी0 पब्लिक स्कूल राधानगर-सिकन्दरा-आगरा

33-भावना पब्लिक स्कूल-आगरा

34-डी0आर0 पब्लिक स्कूल टान्स यमुना-एत्मादटौला-आगरा

35-अम्बेडकर नवीन आदर्श विद्यालय विकासनगर-टेडी वगिया-आगरा

36-विजय पब्लिक स्कूल आनन्दनगर-शहीद नगर-आगरा

37-रानी अवन्ती बाई पब्लिक स्कूल रावली-आगरा

38-भारत बाल विद्या मन्दिर लाडौली कटरा-आगरा

39-ओम मान्टेसरी, जू0हा0 स्कूल-मलपुरा-आगरा

40-श्रीमती अंगूरी देवी जू0हा0 स्कूल रजपुरा-सैंया

41-जनता इ0को0 वांगुरी

42-प्रा0पा0-वासजोखी

43-वेसिक प्रा0पा0 पायचौकी आगरा

44-वेसिक प्रा0पा0 (बालिका) नई बस्ती-आगरा

45-वेसिक प्रा0पा0 (बालक) नई बस्ती-आगरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

[देखिये अता0 प्र0 सं0 38 का उत्तर पीछे पृष्ट 26 पर]

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूर्व में जारी स्थानान्तरण नीति विषयक समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए, शासन द्वारा वर्ष 2000-2001 के लिए निम्नवत् स्थानान्तरण नीति निर्धारित की जाती है:-

1. सामान्य स्थानान्तरण न किये जाएं। केवल प्रशासनिक दृष्टि से अथवा शिकायत प्राप्त होने पर, जब स्थानान्तरण किया जाना आवश्यक समझा जाय, तभी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण पर विचार किया जाय।
2. उपर्युक्त प्रशासनिक कारणों के अतिरिक्त केवल प्रोन्नति, सेवा-समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि स्थितियों में ही स्थानान्तरण किए जायें।
3. यदि दो सरकारी सेवक स्वयं के व्यय पर, पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए सहमत हों और उस पर प्रशासनिक आपत्ति न हो, तो उक्त स्थानान्तरण कर दिये जायें।
4. उपर्युक्तानुसार स्थानान्तरण करते समय अधिकारियों/कर्मचारियों के व्यक्तिगत कारण, जैसे-चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा इत्यादि के आधार पर विचार करते हुए, स्थानान्तरण/समायोजन कर दिया जाय।
5. प्रत्येक विभाग में कुल अधिकारी/कर्मचारी संख्या का 10 प्रतिशत तक स्थानान्वरण को सीमित रखा जाय एवं इस निर्धारित संख्या से अधिक स्थानान्तरण जहां आवश्यक हों वहां समूह "क" एवं "ख" के लिए मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय तथा समूह ग के लिए विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त क लिया जाय।
6. आय-व्ययक में स्थानान्तरण यात्रा व्यय मद में प्राविधानित धनराशि की सीमा के अनतर्गत ही स्थानान्तरण किए जायं, किन्तु यदि अपरिहार्य कारणों से प्राविधानित सीमा से अधिक धनराशि व्यय होती है, तो विभागीय मंत्री के अनुमोदनपरान्त, वित्त विभाग की सहमति से पुनर्विनियोजन कराकर आय-व्ययक मे अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान कराया जाय।
7. समूह "ख" तक के कार्मिकों के स्थानान्तरण सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा किये जायेंगे।
8. शासन स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर, मण्डल स्तर एवं जिला स्तर के समस्त स्थानान्तरण यथा सम्भव 15 जुलाई, 2000 तक पूर्ण किये जायं और विशेष परिस्थितियों में ही इस अवधि के बाद 31 जुलाई, 2000 तक स्थानान्तरण किये जायं। 31 जुलाई, 2000 के उपरान्त शासन स्तर से किए जाने वाले स्थानान्तरणों में मा0 मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन, समूह "ख"के अन्य कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन तथा समूह ग एवं घ के कार्मिकों के स्थानान्तरण के लिए निर्धारित स्तर से एक स्तर उच्च अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।
9. यदि किसी विभाग द्वारा, विभाग की विशेषताओं के क्रम में स्थानान्तरित नीति में कोई परिवर्तन अपेक्षित है तो 5 जुलाई, 2000 तक मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।
10. जनहित में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा कभी भी किसी भी कार्मिक को स्थानान्तरित किए जाने के आदेश दिये जा सकेंगे।
11. अन्य मार्गदर्शक सिद्धान्त:-

(1) संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कार्मिकों की तैनाती संवेदनशील पदों पर कदापि न की जाय।

(2) यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हों, तो यथासम्भव एक ही जनपद/नगर/स्थान पर तैनात किया जाय।

(3) मानसिक रुप से विक्षिप्त बच्चों के माता-पिता की तैनाती अधिकृत सरकारी डाक्टर के चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर, विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जाय, जहां चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो।

(4) कोई प्रतिकूल तथ्य न होने पर दो वर्ष में सेवा निवृत्त होने वाले समूह घ के कार्मिकों को उनके गृह जनपद में तैनात किया जा सकता है।

(5) समूह क एवं ख के अधिकारियों को उनके गृह जनपदों को छोड़ते हुए समीपवर्ती जनपद में तैनात किया जा सकता है।

(6) पदोन्नति के कारण स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के कार्यभार ग्रहण न करने पर उससे पदोन्नति को फोरगो करने के सम्बन्ध में लिखित रुप से प्रार्थना पत्र लेकर तद्नुसार उसे सेवा अभिलेखों में उल्लेख कर दिया जाय।

12. स्थानान्तरित कार्मिकों को अवमुक्त किया जाना:-

(1) स्थानान्तरण आदेशों में कार्मिकों के कार्यमुक्त करने की तिथि तथा यह निर्देश अंकित किये जाने चाहिए कि वे आदेश जारी किए जाने के दिनांक से अमुक तिथि/एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना कार्यभार ग्रहण कर लें, और सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तद्नुसार तत्काल अवमुक्त कर दें। स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समय में कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करते हुए. सम्बन्धित कार्मिकक को कार्यमुक्त नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

(2) स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाये।

(3) स्थानान्तरित कार्मिकों को बिना किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।

(4) उत्तराखण्ड एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तैनात कार्मिकों को उनके नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा तब तक अवमुक्त न किया जाय, जब तक कि उनके प्रतिस्थानी कार्यभार ग्रहण न कर लें। यह प्रतिबन्ध आई0ए0एस0, आई0पी0एस0, पी0सी0एस0 एवं पी0पी0एस0 अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।

13. सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण:-

सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष/सचिव, जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष एवं सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण, उनके द्वारा संगठन में पद धारित करने की तिथि से दो वर्ष तक न किए जायं। यदि स्थानान्तरण किया जाना अपरिहार्य हो, तो स्थानान्तरण हेतु प्राधिकृत अधिकारी से एक स्तर के ऊपर के अधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाय। जिला शाखाओं के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण-प्रकरणों पर जिलाधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त की जाय।

14. स्थानान्तरण रोकने के लिए प्रत्यावेदन एवं सिफारिश:-

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित किया जाय। यदि कोई सरकारी सेवक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करें, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तर

प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासा एवं अपील) नियमावली, 1999* के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए, निलम्बन के सम्बन्ध में भी विचार किया जाय। निर्धारित अवधि में कार्यभार न छोड़ने पर उस अधिकारी/कर्मचारी के वेतन का भुगतान न किया जाय तथा उसकी सूचना सम्बन्धित कोषाधिकारी को दे दी जाय।

15. पर्वतीय संवर्ग कार्मिकों के सम्बनध में नीति:-

जो कार्मिक पर्वतीय संवर्ग के हैं, उन्हें पर्वतीय क्षेत्र में ही नियुक्त किया जाय। सम्प्रति पर्वतीय संवर्ग के जो कार्मिक मैदानी क्षेत्र में नियुक्त हैं उन्हें सम्बन्धित विभागों द्वारा अविलम्ब पर्वतीय क्षेत्र में तैनात कर दिया जाय।

16. चार्ज नोट:-

नवीन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त सम्बन्धित स्कछ एवं स्खछ के अधिकारी को कार्य की जानकारी होने में किंचित समय लगना स्वाभाविक है, अत: स्थानान्तरित अधिकारी को चाहिए कि वे महत्वपूर्ण प्रकरणों/विकास कार्यक्रमों परियोजनाओं आदि के सम्बन्ध में एक चार्ज नोट बना दें, ताकि नये अधिकारी को कार्य सम्पादित करने में सुविधा हो।

17. यह स्थानान्तरण नीति जब तक शासन द्वारा विखण्डित न कर दी जाय, सयथावत लागू रहेंगी। इस नीति में विचलन कार्मिक विभाग की सहमति है उपरान्त मा0 मुख्य मंत्री जी के आदेश प्राप्त कर, किया जा सकेगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

[देखिये अता0प्र0सं0 ---------- 133 का उत्तर पीछे पृष्ठ ---------- पर)

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की अनुमन्य सूची में सम्मिलित जातियां

(मार्च 2001 तक संशोधित)

1- अहीर, यादव, यदुवंशीय, ग्वाला
2- अरख, अर्कवंशीय
3- काछी, काछी-कुशवाहा, शाक्य
4- कहार, कश्यप
5- केवट या मल्लाह, निषाद
6- किसान
7- कोइरी
8- कुम्हार, प्रजापति
9- कुर्मी, चनऊ, पटेल, पटनवार, कुर्मी-मल्ल, कुर्मी-सैथवार
10- कम्बोथ
11- कसगर
12- कुंजड़ा या राईन
13- गोसाई
14- गूजर
15- गड़ेरिया, पाल और बघेल
16- गद्दी, घोसी
17- गिरि
18- चिकवा, कस्साव, कुरैशी, चक
19- छीपी, छीपा
20- जोगी
21- झोजा
22- डफाली
23- तमोली, बरई, चौरसिया
24- तेली, सामानी, रोगनगर, साहू, रौनियार, गन्धी, अरार्क
25- दर्जी, इदरीसी, काकुस्थ
26- धीवर
27- नक्काल
28- नट (जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित न हो)
29- नायक
30- फकीर
31- बंजारा, रंकी, मुकेरी, मुकेरानी
32- बढ़ई, बढ़ई-शैफी, विश्वकर्मा, पांचाल, रमगढ़िया, जांगिड़, धीमान
33- बारी
34- बैरागी
35- बिन्द
36- बियार
37- भर, राजभर
38- भुर्जी या भड़भूजा, भूंज, काँटू, कसौधन
39- भठियारा
40- माली, सैनी
41- मनिहार, कचेर, लखेरा
42- मुराव या मुराई, मौर्य
43- मोमिन, अंसार
44- मिरासी
45- मुस्लिम कायस्थ
46- नद्दाफ (धनिया), मन्सूरी, कन्डेरे, कडेरे, करण (कर्ण)
47- मारछा
48- रंगरेज, रंगवा
49- लोध, लोधा, लोधी, लोट, लोधी राजपूत
50- लोहार, लोहार-सैफी
51- लोनिया, नोनिया, गोले-ठाकुर, लोनिया-चौहान
52- सोनार, सुनार, स्वर्णकार
53- स्वीपर (जो अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित न हों), हलालखोर
54- हलवाई, मोदनवाल
55- हज्जाम, नाई, सलमानी, सविता, श्रीवास
56- राय सिक्ख
57- सक्का- भिश्ती, भिश्ती-अब्बासी
58- धोबी (जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित न हो)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

59- कसेरा, ठठेरा, ताम्रकार

60- नानबाई

61- मीरशिकार

62- शेख सरवरी (पिराई), पीराही

63- मेव, मेवाती

64- कोष्टा/कोष्टी

65- रोड़

66- खुमरा, संगतराश, हंसीरी

67- मोची

68- खागी

69- तंवर सिंघाड़िया

70- कतुआ

71- माहीगीर

72- दागी

73- धाकड़

74- गाड़ा

75- ततवा

76- जोरिया

77- पटवा, पटहारा, पटेहरा, देववंशी

78- जाट

79- कलाल, कलवार, कलार

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

[देखिये अता0प्र0सं0 ---------- 176 का उत्तर पीछे पृष्ठ ----------+--- पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या-176 के उत्तर का संलग्नक

जनपद बलिया को वित्तीय वर्ष 1997-1998 से 2000-2001 के दिनांक 15-3-2001 तक की दी गई सामग्री का विवरण

वर्ष	निरोध पीसेज	ओरल पिल्स साईकिल	कापर टी पीसेज	फैलोपियन रिंग्स पेयर्स	लेप्रोस्कोप सेट	ड्रगकिट ए यूनिट	ड्रगकिट बी यूनिट
1997-98	1110000	130000	46200	5000	0	720	720
1998-99	600000	53000	13800	5000	0	63	63
1999-2000	900000	120000	28800	8000	5	63	63
2000-2001	1498400	150000	0	10000	0	0	0

प्रश्नगत अवधि में उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित लेखन सामग्री, टिन प्लेट्स तथा विटामिन-ए भी दी गई है:-

क्रम सं0	मद का नाम	अदद
1.	फार्म नं0-3	22 पीसेज
2.	फार्म नं0-4	7 पीसेज
3.	फार्म नं0-7	50 पीसेज
4.	फार्म नं0-8	260 पीसेज
5.	फालोअप कार्ड	300 पीसेज
6.	मिजिल्स कन्ट्रोल पुस्तिका	6 पीसेज
7.	डायरिया बुक	110 पीसेज
8.	स्पेशिंग बुक	217 पीसेज
9.	टिन प्लेट बड़ी	2 पीसेज
10.	टिन प्लेट छोटी	5 पीसेज
11.	विटामिन ए	1150 शीशी
12.	सर्वे पंजिका	1000 पीसेज

उत्तर प्रदेश विधान सभा